प्रस्तावना

मुझे यह जानकर बेहद खुशी है कि हरियाणा पुलिस यातायात संबंधी नियमों के बारे में जागरूकता लाने तथा भावी चालकों के ड्राइविंग कौशल को बढ़ाने के लिए अन्तर विद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है।

ड्राइविंग की समझ के अभाव और यातायात नियमों की निरंतर अवहेलना ने हमारी सड़कों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। यह कोई कम आश्चर्य की बात नहीं है कि मोटर वाहन चालकों, पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और यहाँ तक कि यातायात पुलिस कर्मियों को भी यातायात के नियमों की पर्याप्त जानकारी नहीं है। सुरक्षित ड्राइविंग की जानकारी के अभाव और यातायात के नियमों को भली–भाँति लागू न किये जाने के कारण आज सड़कों पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत में हर साल 1,40,000 से अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। केवल पिछले दशक में ही देश में सड़कों पर होने वाली मौतों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व के कुल वाहनों में से केवल एक प्रतिशत ही वाहन भारत में हैं जबकि विश्व में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 10 प्रतिशत हादसे भारत में होते है।

चालक, वाहन और सड़कों की गुणवत्ता इन तीन कारकों पर सड़क सुरक्षा निर्भर करती है। इनमें से चालक की भूमिका सबसे अहम् है। ड्राइविंग कौशल का अभाव सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक समृद्धि के कारण चालकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। जब तक भावी चालकों को ड्राइविंग का समुचित प्रशिक्षण तथा यातायात के नियमों की पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती, सड़क सुरक्षा की यह भयावह स्थिति नहीं सुधरेगी। अतएव सड़क पर अनुशासन लाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन चलाने का समुचित प्रशिक्षण दिया जाना और एक प्रभावी लाइसेंसिंग प्रणाली को लागू करना अति आवश्यक है। यह प्रयास हमारे भावी नौजवान चालकों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों के प्रति ओर अधिक जागरूक, जिम्मेदार व संवेदनशील बनायेगा व उनमें इससे सम्बन्धित अच्छी आदतों व भावनाओं को पैदा करेगा, जिससे उनके ड्राइविगं कौशल में सुधार आयेगा।

मेरा यह मानना है कि स्कूल के बच्चे श्रेष्ठ शिक्षक होते हैं तथा जब वे अपने अभिभावकों व सगे सम्बन्धियों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं, तो यह बात उनके अभिभावकों की अन्तरआत्मा पर गहरी छाप छोड़ती है। जिसके परिणामस्वरूप वे चाहकर भी यातायात के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बच्चा बचपन से यातयात के नियमों का पालन करना शुरू कर देता है तो यह उसके जीवन भर की आदत बन जाती है।

मैं श्री शत्रुजीत कपूर, भा0पु0से0, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को सड़क सुरक्षा विषय पर अन्तर विद्यालय प्रश्नोतरी प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए बधाई देता हूँ। इस कार्य में मेरी शुभकामनाएँ सदैव इनके साथ हैं।

पुलिस महानिदेशक
हरियाणा।

विषय सूची

1. परिचय 4
1.1. ड्राइविंग मैनुअल का उद्देश्य.......... 4
2. ड्राइविंग लाइसेंस 5
2.1. आयु संबंधी योग्यता 5
2.2. ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार 5
2.3. ड्राइविंग लाइसेंस के वर्ग 7
2.4. प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्त करना 8
2.5. ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना 9
2.6. अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आई॰डी॰पी॰) प्राप्त करना 11
2.7. ड्राइविंग लाइसेंस में और वाहन जोड़ना 12
2.8. ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण 12
2.9. डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस 13
3. अपने वाहन को जानिए 14
3.1. ब्रेक 14
3.2. कलच व ऐक्सेलरेटर.......... 14
3.3. स्टीयरिंग व्हील 15
3.4. हॉर्न 16
3.5. लाइसेंस प्लेट 16
3.6. साइलेंसर 17
3.7. टायर 18
3.8. विंडस्क्रीन और खिड़कियाँ 18
3.9. विंडस्क्रीन वाइपर 18
3.10. दिशा सूचक और स्टॉप लाइट 18
3.11. रिफ्लेक्टर 19
3.12. हैड लैम्प और रियर लैम्प 20
3.13. पार्किंग लाइट 21
3.14. लाल, सफेद, नीली लाइट या स्पॉट लाइट का उपयोग 21
3.15. रियर–व्यू मिरर 22
3.16. सीट बैल्टस और एयर–बैगस 22
3.17. प्रदूषण नियंत्रण 23
3.18. मेरे वाहन पर क्या नहीं होना चाहिए? 24
3.19. अपनी गाड़ी की जाँच करें 24
4. यातायात संकेत, सूचक और सड़क चिह्न.......... 26
4.1. संकेत 26
4.2. सूचक (ट्रैफिक लाइटें) 34
4.3. यातायात पुलिस के हाथ के सकेंत 36
4.4. सड़क पर लगे चिह्न 37

5. ड्राइविंग की मूल बातें 44
5.1. एक अच्छे चालक के गुण 44
5.2. ड्राइविंग चेकलिस्ट 44
5.3. सुरक्षित ड्राइविंग के मार्गदर्शक नियम 45
5.4. कटिंग कॉर्नरस (कोने काटना) 53
5.5. सड़कों पर शिष्टाचार 54
5.6. सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सुझाव 55
5.7. मुड़ने के संकेत 57
5.8. गति 58
6. सड़क को साझा करना 60
6.1. बाएँ रहना 60
6.2. लेन (पथ/गली) बदलना 60
6.3. मुड़ना 61
6.4. ओवरटेक करना 64
6.5. राउंड अबाउट 65
6.6. यू–टर्न मोड 67
6.7. पीछे की ओर (रिवर्स में) चलाना 67
6.8. रुकना 67
6.9. पार्किंग 68
6.10. सड़क पर आपात स्थिति 72
7. खतरनाक ड्राइविंग परिस्थितियाँ........ 77
7.1. मौसम की स्थिति........ 77
7.2. पहाड़ों में वाहन चलाना 78
7.3. रात में वाहन चलाना 78
8. ड्राइविंग अपराध और दंड........ 81
8.1. शराब पीकर वाहन चलाना 81
8.2. अत्यधिक गति पर वाहन चलाना 81
8.3. खतरनाक वाहन चालन........ 81
8.4. हेलमेट का प्रयोग करना 82
8.5. मोबाइल फोन या सेलफोन का उपयोग 82
8.6. वाहन चलाते समय धूम्रपान करना 82
8.7. दौड़ या गति का परीक्षण 82
8.8. पंजीकरण या बीमा के बिना वाहन का उपयोग 83
8.9. यातायात के मुक्त प्रवाह को बाधित करना 83
8.10. आपातकालीन वाहन 83
8.11. दुर्घटना के मामले में एक चालक का कर्तव्य 83
9. सामान्य परिभाषाएँ........ 85

1. परिचय

ड्राइविंग एक विशेष अधिकार है। इस अधिकार के साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। वाहन चलाने का पूर्ण आनंद लेने के लिए यह आवश्यक है कि आपको सुरक्षित ड्राइविंग के नियम तथा कानूनोंकी पूर्णजानकारी हो तथा आपहर समय उनका पालनभीकरें। एकवाहन चालक के रूप में आपका निरन्तर प्रयासहोना चाहिए कि आपकाड्राइविंगकौशलबेहतर हो तथा आपकी ड्राइविंगआपके अपनेलिए, आपके वाहन में सवार यात्रियों के लिए तथा सड़क पर चल रहे अन्य चालकों के लिए एक सुरक्षित और सुखद अनुभव बनें।

ड्राइविंग एक जटिलकार्य है,जिसमेंविषम परिस्थितियाँ किसी भी समय पैदा हो सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया आपके प्रशिक्षण, सतर्कता और आपके रवैये पर निर्भर करती है।

1.1. ड्राइविंग मैनुअल का उद्देश्य

यह मैनुअल नए ड्राइवरों को सुरक्षित और जिम्मेदारी पूर्ण ड्राइविंग के सिद्धांत सीखने में मदद करने के लिए बनाया गया है। इस किताब में वाहन चलाने के मूल सिद्धातोंकोउदाहरणों व चित्रों के माध्यम से दर्शाते हुए वाहन चालकों कोजागरूक बनानेकी कोशिश की गई है। यहाँ यह बताना जरूरी हैकि इस मैनुअल कोयातायात के नियमोंके विकल्प के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

यदि आप ड्राइविंगलाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इस मैनुअल से आपको ड्राइविंग परीक्षा हेतु तैयारी करनेमें मदद मिलेगी। यदि आपके पास पहले से ही ड्राइविंगलाइसेंस है तब भी इस मैनुअल में निहित जानकारी ड्राइविंगके मौलिकनियमों के बारे में आपकी समझ में सुधार लाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

कृपया ध्यान दें कि इस किताबमें दी गईजानकारीमौजूदाविधि, नियमों और सड़क संकेतों के आधार पर तैयार की गई है, तथा कानून अथवा नियमों में संशोधन होने की अवस्था में आप स्वयं इसमें तदनुसार बदलाव अवश्य कर लें।

2. ड्राइविंग लाइसेंस

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर कोई भी मोटर वाहन चलानेके लिए प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती, जब तक उसके पास उस श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस ना हो।

ड्राइविंग लाइसेंस स्थानीय लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। हरियाणा राज्य में प्रत्येक उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) को उसके अधिकार क्षेत्रमें,परिवहन वाहनों व ओमनीबस (किराए की मोटर गाड़ी) को छोड़कर, अन्य सभीमोटर वाहनों के लिए लाइसेंस प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरे शब्दों में, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) हल्के मोटर वाहनों तथा दुपहिया वाहनों के लिए ड्राईविंग लाइसेंस प्रदान करता है। परिवहन वाहनों के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और सहायक जिला परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, अपने अधिकार क्षेत्रमें रहने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकृतहै।

2.1. आयु संबंधी योग्यता

किसी भी व्यक्ति को तब तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता, जब तक वह उस वाहन की श्रेणी हेतु निर्धारित आयु पूरी नहीं कर लेता, जिसके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसने आवेदन किया है। भारत में मोटर वाहन ड्राइविंग के लिए आयुसीमा निम्नानुसार है–

16 साल – 50 सी.सी. तक की इंजन क्षमता के मोटर साइकिल।

20 साल – परिवहन वाहन (सार्वजनिक सेवा वाहन, माल ढोने वाले वाहन, शैक्षणिकसंस्थानों की बस या निजी सेवा वाहन) जो किराये, पारिश्रमिक या माल ढोने हेतु प्रयोग किया जाता हो।

18 साल – अन्य कोई वाहन।

वाहन के मालिक या जिस व्यक्ति के नियत्रंण में वह वाहन है, उसकीयह जिम्मेदारी है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास वैध लाइसेंस ना हो या जो आयु संबंधी योग्यता पूरी नहीं करता हो, अपनावाहन चलाने की अनुमति ना दे।ऐसा करना मोटरयान अधिनियम की धारा 180के तहत अपराध है, जिसके लिए 3 महीने का कारावास अथवा 1000/– रूपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

2.2. ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

भारत में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निम्न प्रकार के ड्राइविंगलाइसेंस जारी किए जाते हैं–

- प्रशिक्षु लाइसेंस

  ड्राइविंग लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पहले प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रशिक्षु लाइसेंस एक प्राथमिक परीक्षण से गुजरने के पश्चात जारी किया जाता है और यह लाइसेंसजारी करने की तिथिसे छह महीने के लिए मान्य होता है।

  प्रशिक्षु लाइसेंस धारक को प्रशिक्षण प्राप्त करने या अभ्यास करने के लिए वाहन चलाने की अनुमति होती है बशर्ते उसके साथ वाहन की उस श्रेणी के लिए प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस धारक प्रशिक्षक हो तथा वह प्रशिक्षक इस प्रकार से बैठा हो कि आवश्यकता पड़ने पर वाहन को नियंत्रित कर सके या रोक सके।

  प्रशिक्षु लाइसेंस धारक व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे वाहन के आगे और पीछे सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से**'L'** का निशान (पेंट या चिपकायाहुआ)प्रदर्शित होना चाहिए। **'L'** अक्षर कीऊँचाई कम से कम दस सेंटीमीटर, मोटाई दो सेंटीमीटर व तल पर चौड़ाई नौ सेंटीमीटर होनी चाहिए जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है।

  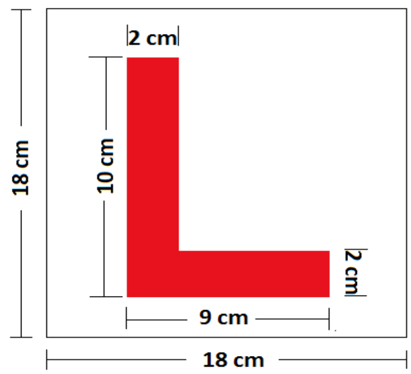

  चित्र 1

- ड्राइविंग लाइसेंस

  ड्राइविगं लाइसेंस पात्रव्यक्तियों, चाहे वे भारतीय नागरिक हों अथवाविदेशी, कोजारी किया जासकता है।लाइसेंस धारक को ड्राइविंग लाइसेंस पर उल्लेखित श्रेणी के वाहन चलाने की अनुमति होती है। ड्राइविंग लाइसेंस भारत के हर भाग में वैध होता है। आवेदक प्रशिक्षु लाइसेंस जारी होने की तारीख केतीस दिन बाद से लेकर प्रशिक्षु लाइसेंस की अवधि की समाप्ति तक कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

  परिवहन वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों हेतु ड्राइविगं लाइसेंसजारी करने की तिथिसे बीस साल की अवधि तकअथवाड्राइविंग लाइसेंस धारककी आयु पचास वर्षहोने तक की अवधि, जो भी पहलेहो, के लिए जारी किया जाता है।यदि धारक लाइसेंस जारी होने अथवा नवीनीकरण के समय पचास साल की उम्र पार कर चुका हो, तो लाइसेंस पाँच साल की अवधि के लिए जारी किया जाता है।

  परिवहन वाहनों के लिए नया लाइसेंस अथवा नवीनीकरणतीन साल की अवधि के लिए किया जाता है।खतरनाक प्रकृति का सामान ले जाने वाले परिवहन वाहन के लिए यह अवधिकेवल एक साल है।

- इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (आई॰डी॰पी॰)

  जिन देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध नहीं हैं, उन्हें छोड़कर लाइसेंस प्राधिकारी भारतीय नागरिकों को अन्य देशों में वाहन चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने हेतु सक्षम होता है। अतंराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट धारक व्यक्ति द्वारा विदेशमें मोटर वाहन चलाते समय वहाँ के कानूनों और नियमों की पालनाकरना अनिवार्य है।आई॰डी॰पी॰, जारी करने की तिथि से अधिक से अधिक एक साल या ड्राइविंग लाइसेंस की वैधताकी अवधि, जो भी पहले हो, तक मान्य होता है।

2.3. ड्राइविंग लाइसेंस के वर्ग

भारतवर्ष में ड्राइविंग लाइसेंस वाहनों की श्रेणी के हिसाब से जारी किए जाते हैं। वाहनों की प्रत्येक कैटेगरी में भी उनके सम्भावित इस्तेमाल के आधार पर परिवहन अथवा गैर परिवहन श्रेणी के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

वाहनों के विभिन्न वर्ग निम्न प्रकार से हैं–

- बिना गियर मोटर साइकिल

  गियर के बिना मोटर साइकिल वर्ग के लिए जारी लाइसेंस केवल बिना गियरवाले दो–पहिया वाहन चलाने के लिए होता है। इस वर्ग का लाइसेंस धारक व्यक्ति गियर–युक्त दुपहिया वाहन अथवा इस वर्ग में ना आने वाला वाहन नहीं चला सकता।

- गियर युक्त मोटर साइकिल

  गियरयुक्त मोटर साइकिल लाइसेंस केवल मोटर साइकिल व स्कूटर जैसे वाहन चलाने के लिए जारी कियाजाता है। इस वर्ग का लाइसेंस धारक व्यक्ति गियर रहित या गियरयुक्त दुपहिया वाहन चला सकता है, परन्तु ऐसा कोई भीवाहन नहीं चला सकता, जो मोटर साइकिल की श्रेणी में ना आता हो।

- हल्का मोटर वाहन

  हल्का मोटर वाहन लाइसेंस मोटर कारों, जीपों, ट्रैक्टर आदि वाहनों को चलाने के लिए जारी किया जाता है। हल्के मोटर वाहन लाइसेंस को वाहन के प्रकार व उसके प्रयोग के आधार पर सीमित किया जाता है।

- परिवहन वाहन

  परिवहन वाहन जैसे कि ट्रक, बस, पर्यटकवाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर व माल वाहन आदि को चलाने के लिए परिवहन वाहन लाइसेंस जारी किया जाता है। परिवहन वाहन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं यात्री वाहन तथा माल ढ़ोने वालेवाहन।
- विकलाँगों हेतु वाहन

  यह वाहनों की वह श्रेणी है जो शारीरिक दोष या विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से बनाए गए हों और केवल ऐसे व्यक्तियों के उपयोग के लिए या उनके ही द्वारा प्रयोग किए जाते हों।
- रोड़ रोलर

  यह वाहनों का विशेष वर्ग है, जिसका प्रयोग सड़कके निर्माण के दौरान किया जाता है।
- विशेष किस्म के वाहन

  विशेषकिस्म के वाहन चलाने के लिए अलग से लाइसेंस जारी किये जाते हैं, जैसे कि लोडर और उत्खनन वाहन (खुदाई करने वाले वाहन), क्रेन, फोर्क–लिफ्ट, बोरिंग–रिग, निर्माण यंत्र आदि।

2.4. प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

प्रशिक्षु लाइसेंस हेतुआवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं–

- विधिवत भरा हुआ आवेदन (फॉर्म 2)
- निर्धारित शुल्क
- निवास प्रमाण
- आयु प्रमाण
- हाल ही में खींचे गए पासपोर्ट आकार के तीन फोटो
- आत्म घोषणा (फॉर्म 1), परिवहन वाहन हेतु प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अथवा चालीस वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदक के लिये चिकित्सा प्रमाण पत्र (फॉर्म 1-ए) आवश्यक है।
- आवेदक का वर्तमान ड्राइविंग लाइसेंस, यदि आवेदन परिवहन वाहन के लिए है, तथा
- आवेदक के नाबालिग होने की दशा में माता–पिता या अभिभावक की सहमति।

प्राथमिक परीक्षण

उपरोक्तदस्तावेजों के साथ आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्तआवेदक द्वाराएक प्राथमिकपरीक्षा पास करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकोनिम्नलिखितका पर्याप्त ज्ञान है:

- यातायात के चिह्न, संकेतऔर सड़क के नियम,
- दुर्घटना होने की सूरत में चालक के कर्त्तव्य,
- मानव रहित रेलवे फाटक से गुजरते समय रखी जाने वाली सावधानियॉ, तथा
- दस्तावेज, जो वाहन चलाते समय चालक को साथ रखने चाहिएँ।

आवेदकद्वारा परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत सवालों का सही जवाब देना आवश्यक है।

2.5. ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

आवेदक प्रशिक्षु लाइसेंस जारी होने की तारीख के तीस दिन बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है–

- विधिवत भरा हुआ आवेदन (फॉर्म 4)
- उस वर्ग के वाहन हेतु प्रभावी प्रशिक्षु लाइसेंस, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है,
- निर्धारित शुल्क,
- हाल ही में खींचे गए पासपोर्ट आकार के तीन फोटो,
- आत्म घोषणा (फॉर्म 1), परिवहन वाहन हेतु प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अथवा आवेदक के चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, चिकित्सा प्रमाण पत्र (फॉर्म 1-ए) आवश्यक है।
- निवास प्रमाण,
- आयु प्रमाण, तथा
- फॉर्म 5 में ड्राइविंग स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यदिआवेदक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।परिवहन वाहन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के आवेदन की दशा में यह प्रमाण पत्र आवश्यक है।

ड्राइविंग परीक्षण

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवेदक को ड्राइविंग परीक्षण से गुजरना आवश्यक है। ड्राइविंग परीक्षण ऐसे वाहन पर लिया जाता है जिस वर्ग के वाहन के लिए आवेदक द्वारा लाइसेंस चाहागया है। आवेदक का ड्राइविंग कौशल, वाहन बारे जानकारी, यातायात कानूनों का ज्ञान, नियमों और विनियमों की समझ,

संकेतकों, सूचकों और वाहन चलाते समय उसके दृष्टिकोण को जाँचने के लिए निम्नलिखित के आधार पर परीक्षण किया जाता है–

- इंजन को स्टार्ट करने से पहले बरती जाने वाली सावधानियॉ (जैसे कि रियर-व्यू मिरर, साइड मिरर तथा सीट को एडजस्ट करना),
- सुरक्षित और सुचारू रूप से वाहन को सीधे आगे बढ़ाना,
- सड़क की हालत व यातायात की स्थिति के अनुसार गियर बदलना व स्पीड में परिवर्तन करना,
- वाहन कोरोकना, पार्क करना, स्टार्टकरना तथा पहाड़ी रास्ते अथवाढलान पर बिना पीछे खिसकेहैंड ब्रेक, ऐक्सेलरेटरऔर फुट ब्रेक का उचित उपयोग करते हुए आगे बढ़ना,
- संकेत देने से पहले रियर-व्यू मिरर (पीछे का दृश्य दिखाने वाला शीशा) का उचित प्रयोगकरते हुए दाईं व बॉईं ओर मुड़ना,
- रियर-व्यू मिरर (पीछे का दृश्य दिखाने वाला शीशा) और संकेतकों का उचित प्रयोगकरते हुएओवरटेक करना तथाअपने वाहन कोठीक प्रकार से ओवरटेक करनेदेना,
- मुड़ने हेतु स्पष्ट और अचूक तरीके से हाथ अथवाबिजली चालित सूचकोंद्वारा समुचितसंकेत देना,
- उचित संकेतदेकर व सावधानीपूर्ण तरीके सेलेन बदलना,
- आपात स्थिति में या अन्य परिस्थितियोंमेंवाहन रोकना। यदि आपात स्थिति ना हो तो उचित संकेत देते हुए वाहन को सड़क पर उपयुक्त स्थान पर रोकना,
- यदिवाहन में रिवर्स गियर है तोवाहन को पीछे की ओर चलाना, सीमित स्थान में भी वाहन को नियंत्रित एवं सटीक तरीके से बॉईं अथवा दाईंओर रिवर्स करना,
- आगे के गियर वरिवर्स गियर का प्रयोगकरते हुए वाहन का रूख बिल्कुलविपरीत दिशा में करना,
- यातायात चिह्नों, यातायात संकेतों अथवा यातायात पुलिसऔर अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए इशारोंपर सही और त्वरित कार्यवाही करना,
- अनियंत्रित पैदल यात्री पारपथ, जो ट्रैफिक लाइट या यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा नियंत्रित नहीं हैं, पर सड़क पार कर रहे पैदल यात्रियों को वरीयता देते हुए वाहन चलाना,
- आवश्यकतानुसार गियर बदलना, ब्रेक लगाना आदि तथाआत्मविश्वास सेवाहनपरसामान्य नियंत्रण का प्रदर्शन करना,

- चौराहे पर बाएँ अथवा दाएँ मुड़ते समय या सीधे चलते समय उचित लेन (या साइड) का प्रयोग करना,
- पैदल यात्रियों, अन्य वाहन चालकों और साइकिल चालकों की गतिविधि का पूर्वानुमान लगाना,
- चौराहों या अन्यजंक्शनों पर पहुँचते समय गति नियंत्रित करते हुए सावधानी दिखाना, रियर-व्यू मिरर का प्रयोग करते हुए वाहन को सही स्थिति में रखना वबिना कोना काटे हुए दाएँ मुड़ना,
- विचलित हुए बिनाड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करना व मानसिक चौकन्नेपन का प्रदर्शन करना, तथा
- पैदल यात्रियों, अन्य वाहन चालकों और साइकिल चालकों आदि की सुरक्षा का ध्यान रखना तथाउनके प्रति शिष्टाचार का प्रदर्शन करना।

यदि आवेदक परीक्षण में विफल रहता है तो वह सात दिन के बाद ड्राइविंग परीक्षण में फिर से भाग ले सकताहै। यदि कोई आवेदक तीन प्रयासों मेंभी परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है तो उसे पुनः परीक्षा में बैठने से पूर्व साठ दिनों तक इंतजार करना होगा।

किसी व्यक्ति को ड्राइविंग परीक्षण से छूट दी जा सकती है, यदि,

- उसके पास पहले से ही उसी वर्ग का ड्राइविंग लाइसेंस हो, जिसके लिए उसनेअब आवेदन किया है तथा उस लाइसेंस की समाप्ति की तारीख तथा अब किए गए आवेदन की तारीख के बीच पाँच साल से अधिक काअंतराल न हो, या
- उसके पास पहले से केन्द्र सरकार के उसी वर्ग के वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस हो अथवा पूर्व में रहा हो, या
- उसके पास भारत वर्ष के बाहर किसी अन्य देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उसी वर्ग के वाहन को चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।

लाइसेंस प्राधिकारी उन आवेदकों को भी ड्राइविंग परीक्षण से छूट दे सकता है, जिनके पास किसी ऐसी संस्था द्वारा जारी ड्राइविंग प्रमाण पत्र है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्रदान की गईहो।

2.6. अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आई॰डी॰पी॰) प्राप्त करना

आईडीपी के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे–

- विधिवत भरा हुआ आवेदन (फॉर्म 4-ए),
- लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस,

- निर्धारित शुल्क,
- हाल ही मेंखींचे गए पासपोर्ट आकार के तीन फोटो,
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (फॉर्म 1–ए),
- वैध भारतीय पासपोर्ट, तथा
- वीजा का वैध प्रमाण, जहाँ आवश्यक हो

2.7. ड्राइविंग लाइसेंस में और वाहन जोड़ना

यदि कोई व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस में किसी दूसरे वर्ग के वाहन कोजोड़ने का इच्छुक हो, तो निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन करेगा–

- विधिवत भरा हुआआवेदन (फॉर्म 8),
- निर्धारित शुल्क,
- प्रभावी प्रशिक्षु लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस, जिस में नया वाहनजोड़ा जाना है, तथा
- फॉर्म 5 में ड्राइविंग प्रमाण पत्र, यदि आवेदन परिवहन वाहन जोड़ने बारे है।

ऐसे प्रत्येक आवेदन पर वाहनों के जिस वर्ग को लाइसेंस में जोड़ने हेतु आवेदन किया गया है, उस वर्ग के लाइसेंस जारी करने बारे अन्य सभी प्रावधान भी लागू होगें।

2.8. ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण

लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए उस लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन देना होता है, जिसके अधिकारक्षेत्र में आवेदक आमतौर पर रहता है या काम करता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं–

- विधिवत भरा हुआआवेदन (फॉर्म 9),
- निर्धारित शुल्क,
- हाल ही मेंखींचे गए पासपोर्ट आकार के तीन फोटो (5 से.मी. X 6 से. मी.)
- ड्राइविंग लाइसेंसजिसका नवीनीकरण किया जाना है,तथा
- आत्म घोषणा (फॉर्म 1), यदि आवेदनपरिवहन वाहन के लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु हो अथवा आवेदकचालीस वर्ष की आयु पारकर चुका हो, तोचिकित्सा प्रमाण पत्र (फॉर्म 1–ए) आवश्यक है।

लाइसेंस नवीनीकरण का आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने के 30 दिनों के बाद तक भी किया जा सकता है।ऐसी अवस्था मेंलाइसेंस नवीनीकरण की तिथि से ही नवीनीकृत किया जाता है।

यदि लाइसेंस नवीनीकरण का आवेदन लाइसेंस खत्महोने के 5 साल से अधिक अवधि केबाद प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदक को फिर से ड्राइविंग परीक्षण से गुज़रना होगा।

2.9. डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने, चोरी हो जाने अथवा खराब हो जाने की दशा में डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है। डुप्लिकेट लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों की जरूरत होती है–

- विधिवत भरा हुआआवेदन (फॉर्म एच आर स01),
- निर्धारित शुल्क, (यदि लाइसेंस किसीन्यायालय या प्राधिकारी के पास जमाहोते हुए खो जाता है, तो कोईशुल्क नहीं लगता),
- हाल ही खींचे गए पासपोर्ट आकार के दो फोटो, तथा
- ड्राइविंग लाइसेंस चालान में अथवा किसी प्राधिकारीके पास जमा नहीं है, बारे शपथ-पत्र।

3. अपने वाहन को जानिए

एक चालक के लिये अपने वाहन को अच्छी तरह जानना अत्यन्त आवश्यक है। उसे वाहन के विभिन्न नियंत्रकों, सुरक्षा प्रणालियों, सूचकों, विभिन्न लाइटों और अलार्मआदि के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसलिये अपने वाहन की उपयोगकर्ता पुस्तिका (user guide) को अवश्यपढ़ें और वाहन की विभिन्न प्रणालियोंऔर चेतावनी संकेतों से परिचित हो जाएँ जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। वाहन की लाइटें, हॉर्न, ब्रेक, टायर और अन्य नियंत्रकों को नियमित रूप से चैक करें और सुनिश्चित करें कि वे सही कार्य कररहेंहों।

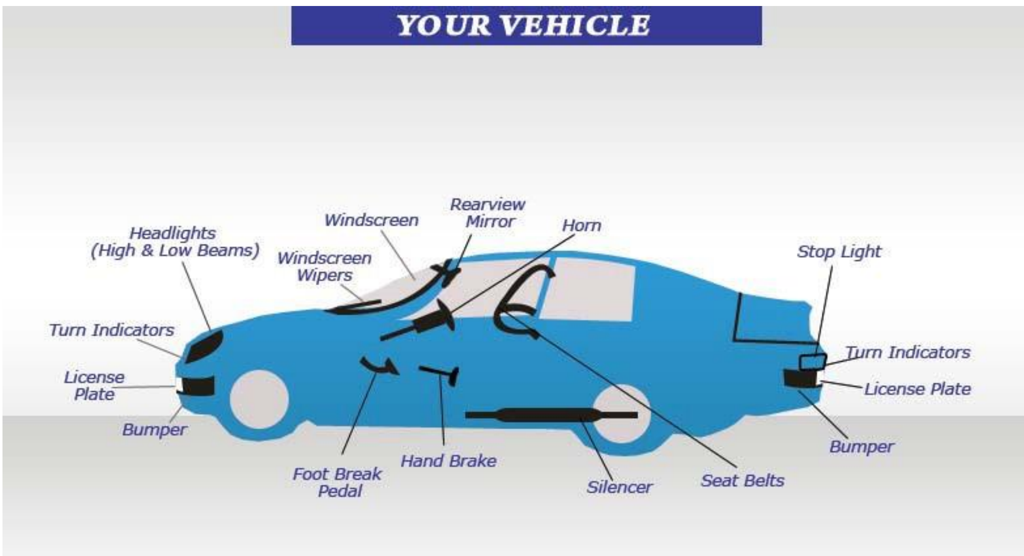

चित्र 2

3.1. ब्रेक

हर मोटर वाहन दो स्वतंत्र और कारगर ब्रेक प्रणालियों से सुसज्जित होता है– हाथ से संचालित पार्किंग ब्रेक और पैर से संचालित सर्विस ब्रेक (चित्र 3 देखें)। ब्रेकिंग प्रणाली इतनीसक्षम होनी चाहिए जो वाहन को निर्धारित दूरी के भीतर रोक ले चाहे परिस्थितियाँकैसी भी हों।

3.2. क्लच व ऐक्सेलरेटर

क्लच का प्रयोग गियर बदलने या गाड़ी रोकने के दौरान ईंजन कोट्रांसमिशन से अलग करने के लिए किया जाता है ताकि जब चालक चाहे, ईंजन की पावर पहियों तक ना पहुँचे। ऐक्सेलरेटर जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, गाड़ी की गति बढ़ाने/घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है(चित्र 3 देखें)।

चित्र 3

3.3. स्टीयरिंग व्हील

स्टीयरिंग व्हील को पकड़नेका सही तरीका है किआपके हाथ “Quarter to three” या “ten to two” पोजीशन में हो, जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है।चालक को चाहिए किस्टीयरिंग व्हील को लगातार पकड़े रहे व उसे कभी भी अनियन्त्रित न छोड़े।कभी एक हाथ से गाड़ी न चलायें। इसके अतिरिक्त, स्टीयरिंग व्हील को घुमाते समय कभी अपने हाथों को क्रॉस न करें। कभी भी स्टीयरिंग व्हील के अन्दर सेहाथ डालकरकिसी स्विच आदि को हैंडल न करेंजैसा कि निम्न चित्रों में दर्शाया गया है।

चित्र 4

चित्र 5

चित्र 6

चित्र 7

चित्र 8

चित्र 9

3.4. हॉर्न

प्रत्येक मोटर वाहन में हॉर्न अनिवार्य होता है। हॉर्न का उद्देश्य ध्वनि के माध्यम से वाहन के स्थान या आगमन की पर्याप्त चेतावनी देना है। घंटी अथवासायरन हॉर्न का विकल्प नहीं हो सकते। हॉर्न का उपयोग केवल जहाँ आवश्यक हो वहाँकरें।Multi-toned हॉर्न यानि हॉर्न जो अनेक प्रकार की ध्वनियाँ, या अपेक्षाकृत तीखी, कठोर या चेतावनीपरख आवाज़ निकालता हो, केवलआपातकालीन वाहनों जैसे कि ऐम्बुलेंस, फायर इंजन, पुलिस वाहनों अथवा पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अधिकृत वाहनों पर ही लगाया जा सकता है।ध्यान देने योग्य बात है कि पर्यावरण संबंधी नियम हॉर्न के उपयोगपर भी लागू होतेहै। एक सामान्य नियम के रूप में, आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें–

- अनावश्यक रूप सेऔर लगातार हॉर्न ना बजाएँ।
- मौन क्षेत्रों (Silence Zones) में हॉर्न ना बजाएँ।
- साइलेंसर के अलावा निकास गैसें निकालने के लिए किसी कट–आउट का प्रयोग ना करें।
- कठोर, तीखी, जोरदार या चेतावनीपरक आवाज़ निकालने वाले (Multi-toned) हॉर्न यानि सायरनना लगवाएँ और ना ही उनका प्रयोग करें।
- ऐसा वाहन ना चलाएँ जो चलते समय अनुचित शोर करता हो।
- ऐसा वाहन ना चलाएँ जिसका साइलेंसर चेतावनीपरक अथवा पटाखे जैसीआवाज़ करता हो।

3.5. लाइसेंस प्लेट

पंजीकरण चिह्न, जिसेलाइसेंस या नंबर प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, सभी मोटर वाहनों के सामने और पीछे दोनों ओर स्पष्ट रूपसे प्रदर्शित करना अनिवार्य है। नंबर प्लेट परसफेद बल्ब या रियर लैम्प का समुचित प्रकाश रहनाचाहिए।

नंबर प्लेट पर अक्षर अंग्रेजी में व अंक अरबी में होने चाहिए जैसे HR 21A 2121। नंबर प्लेट पर देवनागरी अथवा किसी अन्य लिपि का प्रयोग वर्जित है। परिवहन वाहनों में नंबर प्लेट पर नंबर पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग से लिखे होने चाहिए तथा अन्य सभी वाहनों में नंबर सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से लिखे होने चाहिए।लाइसेंस प्लेट पर पंजीकरण संख्या के अलावा अन्य कुछ भी प्रदर्शित, लिखित या चित्रित नहीं होना चाहिए। लाइसेंस प्लेट पर

अक्षरों और अंकों के आकार के निम्नलिखित न्यूनतम मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य है–

वाहन की श्रेणी	स्थान	ऊँचाई (मि॰मी॰)	मोटाई (मि॰मी॰)	बीच में अंतर (मि॰मी॰)
सभी मोटर साइकिल और तिपहिया अमान्य कैरिज	पीछे–अक्षर	35	7	5
	आगे–अंक	40	7	5
70 सीसी तक की इंजन क्षमता के मोटर साइकिल	आगे–अक्षर व अंक	15	2.5	2.5
अन्य मोटर साइकिल	आगे–अक्षर व अंक	30	5	5
500 सी॰सी॰ तक की इंजन क्षमता के तिपहिया वाहन	पीछे व आगे अक्षर व अंक	35	7	5
500 सी॰सी॰ से अधिक इंजन क्षमता के तिपहिया वाहन	पीछे व आगे अक्षर व अंक	40	7	5
अन्यसभी मोटर वाहन	पीछे व आगे अक्षर व अंक	65	10	10

वाहनों के विभिन्न वर्गों के लिए नंबर प्लेट का आकार निम्नलिखित रूप में होना चाहिए–

दो व तीन पहिया वाहन	200 x 100 मि॰मी॰ (मोटर साइकिल में आगे के लिए 285 x 45 मि॰मी॰ के आकार की अनुमति है)
यात्री कार	500 x 120 मि॰मी॰
अन्य हल्के मोटर वाहन (कार के अलावा)	340 x 200 मि॰मी॰
कृषि ट्रैक्टर	285 x 45 मि॰मी॰ (आगे) 200 x 100 मि॰मी॰ (पीछे)

3.6. साइलेंसर

सभी मोटर वाहनों में निकास गैसों के शोर को जितना हो सके कम करने के लिए साइलेंसर लगा होना चाहिए। किसी भी रिसाव के लिए साइलेंसर का नियमित रूप से निरीक्षण करें।

3.7. टायर

टायर में हवा का दबाव निर्धारित स्तर पर रखें तथाकिसी प्रकार के कट, दरार, असमानघिसाई, पंचर आदि का पता लगाने के लिये टायरों की नियमित जाँच करें। साथ ही एक अतिरिक्त टायर भी रखें और इसमें हवा के दबाव की जाँच समय–समय पर करते रहें।

3.8. वायुरोधी शीशा**(windscreen)**तथा खिड़कियाँ

हर मोटर वाहन की अगली विंडस्क्रीन लैमनेटिड सेफ्टी ग्लास से बनी होनी चाहिए और बाजू की खिड़कियाँ और पीछे की खिड़कियाँ सेफ्टी ग्लास से बनी होनी चाहिएँ। खिड़की टूटने या चटकने की स्थिति में इस प्रकार के काँच के टुकड़े छिटकते नहीं हैं।

सुनिश्चित करें कि आपकी दृष्टि विंडस्क्रीन तथा पिछली खिड़कीमें पड़ी हुईदरारों, गंदगी, भाप, पानी, बर्फ या किसीअन्य वस्तु (जो चालक और विंडस्क्रीन के बीच रखी हो) के कारण बाधित ना हो रहीहो।

इसके अलावा, केंद्रीय मोटर यान मैनुअल, 1989 के नियम 100 के अनुसार हर मोटर वाहन की विंडस्क्रीन और पीछे की खिड़की का शीशाइस प्रकार से होनाचाहिए कि प्रकाश का संचरण 70 प्रतिशत से कम ना हो। इसी प्रकारबाजू की खिड़की सेप्रकाश का संचरण 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि सर्वोच्च न्यायलय के निर्देशानुसार वाहन की खिड़कियों पर किसी भी प्रकार की काली फिल्म लगाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

3.9. विंडस्क्रीन वाइपर

मोटर साइकिल या विकलांगो हेतु वाहनों को छोड़कर हर मोटर वाहन की विंडस्क्रीन पर एक बिजली संचालित विंडस्क्रीन वाइपर प्रणाली लगी होनी चाहिए। बारिश में वाहन चलाते समय विंडस्क्रीन से पानी को साफ करने के लिए वाइपर को हर समय अच्छी हालत मेंरखें।

3.10. दिशा सूचक और स्टॉप लाइट

हर मोटर वाहन में पीले रंग की टिमटिमाती हुई रोशनी देने वाले विद्युत संचालित दिशा सूचकलगे होने चाहिएँ, जिनका प्रयोग कर चालक दाएँ या बाएँ मुड़ने का इशारा करसके। ये दिशा सूचक वाहन के दाईं और बॉईं ओर इस प्रकार लगे होने चाहिए ताकि उन्हें सामने और पीछे से स्पष्ट रूप से देखा जा सके।

मोटर साइकिल को छोड़कर अन्य सभी वाहनों में पीछे की तरफ दाईं और बाईं ओर लाल रंग की स्टॉप लाइट लगी होनी चाहिए। जिस समय पैर से संचालित ब्रेक का उपयोग कियाजाता है, उस समय येलाइटें प्रकाशित होकर वाहन के धीमे होने या रुकने की मंशा को दर्शाती हैं। मोटर साइकिल के पीछे की ओर इसी तरह की एकस्टॉप लाइट लगी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, हर मोटर वाहन के पीछे कम से कम एक लाइट लगीहोनी चाहिए जो वाहन को रिवर्स गियर में चलाते समय स्वचालित रूप से सफेद प्रकाश फैलाए।

उपरोक्त लाइटों के अतिरिक्त, मोटर साइकिल को छोड़कर अन्य सभी वाहनों में ऐसी प्रणाली लगी होनी चाहिए जो दूसरे वाहनों को खतरे की चेतावनी देने के लिए सभी दिशा सूचक संकेतकों को एक साथ प्रकाशित कर दे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपरोक्त सूचक सही काम कर रहे हैं, इनकी नियमित रूप से जाँच करते रहें।

3.11. रिफ्लेक्टर

मोटर साइकिल व तिपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के पीछे दोनों ओर एक–एक लाल रिफ्लेक्टर लगा होना आवश्यक है। मोटरसाइकिल के पीछे कम से कम एक लाल रिफ्लेक्टर लगा होनाचाहिए। रिफ्लेक्टरों की आवश्यकता को समझने के लिए वाहन की निम्नलिखित श्रेणियों का ज्ञान होना आवश्यक है –

– श्रेणी एमकम से कम चार पहियों का ऐसामोटर वाहन जो यात्रियों के आवागमन के लिए प्रयोग किया जाता है।इन वाहनों की निम्नलिखित तीन उप श्रेणियां हैः–

- श्रेणी एम–1ः चौपहियायात्री वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा अधिकतम आठ सीटें हों।
- श्रेणी एम–2ः चौपहिया यात्री वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें हों और उसका कुल अधिकतम भार 5 टन से अधिक न हो।
- श्रेणी एम–3ः चौपहियायात्री वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें हों और उसका कुल अधिकतम भार 5 टन से अधिक हो।

– श्रेणी एन कम से कम चार पहियों का ऐसा मोटर वाहन जो सामान की ढुलाई के लिए प्रयोग किया जाता है।इन वाहनों की भी तीन उप श्रेणियां हैंः–

- श्रेणी एन–1ः चौपहिया वाहन जो सामान की ढुलाई के लिए प्रयोग किया जाता हो और जिसका कुल अधिकतम भार 3.5 टन से अधिक न हो।
- श्रेणी एन–2ः चौपहिया वाहन जो सामान की ढुलाई के लिए प्रयोग किया जाता हो और जिसका कुल अधिकतम भार 3.5 टन से अधिक हो लेकिन 12 टन से अधिक न हो।
- श्रेणी एन–3ः चौपहिया वाहन जो सामान की ढुलाई के लिए प्रयोग किया जाता हो और जिसका कुल अधिकतम भार 12 टन से अधिक हो।

अलग–अलग श्रेणी के वाहनों पर रिफ्लेक्टरोंका आकार और प्रकार निम्न प्रकार से होना चाहिए–

- 1 अप्रैल, 2009 या उसके बाद निर्मित एन–1 और एन–2 श्रेणी के ऐसे मालवाहक वाहन जिनका वज़न 3.5 टन या उससे अधिक लेकिन 7.5 टन से कम हो, पर आगे सफेद रिफ्लेक्टिव टेप व पीछे लाल रिफ्लेक्टिव टेपकी पट्टी लगी होनी चाहिए। दोनों पट्टियों की चौड़ाई कम से कम 20 मि॰मी॰ होनी चाहिए और यह वाहन की पूरी चौड़ाई में लगी होनी चाहिए।
- 1 अप्रैल, 2009 या उसके बाद निर्मित एन–2 और एन–3 श्रेणी के ऐसे मालवाहक वाहन जिनका वज़न 7.5 टन से अधिक हो, पर उनके आगे 50 मि॰मी॰ चौड़ी सफेद रिफ्लेक्टिव टेप व पीछे 20 मि॰मी॰ चौड़ी लाल रिफ्लेक्टिव टेप की पट्टीलगी होनी चाहिए। दोनों पट्टियाँ वाहन की पूरी चौड़ाई में लगी होनी चाहिए।
- 1 अप्रैल, 2009 या उसके बाद निर्मित एन–2 और एन–3 श्रेणी में आने वाले ऐसे ट्रेलर और सेमी–ट्रेलर जिनका वज़न 7.5 टन से अधिक हो,उनके आगे,पीछे वदोनों ओर पूरे ढाँचे कोपरिरेखितकरते हुए रिफ्लेक्टिव चिह्नलगेहोने चाहिए। साइड चिह्न पीले रंग के व कम से कम 50 मि॰मी॰ मोटे जबकि पीछे के चिह्न कम से कम 50 मि॰मी॰ मोटे और लाल रंग के होने चाहिए। वाहन के आगे भी एक सफेद रंग की कम से कम 30 मि॰मी॰ मोटी रिफ्लेक्टिव टेप की पट्टी लगी होनी चाहिए (चित्र 10)।

चित्र 10

- 1 अक्तूबर, 2009 या उसके बाद निर्मित एम–2 और एम–3 श्रेणी के सभी वाहनों पर 50 मि॰मी॰ चौड़ी सफेद रिफ्लेक्टिव टेप आगे व लाल रिफ्लेक्टिव टेप पीछे की ओर लगी होनी चाहिए। दोनों पट्टियाँ वाहन की पूरी चौड़ाई में लगी होनी चाहिएँ। साथ ही एम–3 श्रेणी के सभी वाहनों केदोनों ओर पूरी लंबाई में 50 मि॰मी॰ चौड़ी पीली रिफ्लेक्टिव टेप की पट्टीलगी होनी चाहिए।

3.12. हैड लैम्प और रियर लैम्प

हर मोटर वाहन पर सामने हैड लाइट और पीछेरियर लैम्प लगा होना चाहिए, जिसका उपयोग सामने व पीछे की ओर सड़क पर रोशनी करने के लिए किया जा सके।

हैड लाइट सूर्यास्त के आधे घंटे बाद या समुचित रोशनी ना होने पर किसी भी समय जला लेनी चाहिए। हैड लाइटसड़क पर एक सौ पचपन मीटर आगे तक वस्तुओं, वाहनों और लोगों को स्पष्ट रूप से दिखानेमें सक्षम होनी चाहिए। इसके अलावा, हैड लाइट में प्रकाश बीमको नीचे (लो–बीम अर्थात डिप्पर लाइट) करने वाली प्रणाली भी लगी होगी चाहिए ताकि उसके प्रकाश से किसीव्यक्ति या चालक की आँखें चौंधिया न जाएं।

ऐसे स्थान पर, जहाँ समुचित प्रकाश व्यवस्था हो, वाहन चलाते समय लो–बीम (डिप्पर) का प्रयोग करना चाहिए। हाई–बीम के प्रयोग की सिफारिश उन इलाकों में की जाती है, जहाँ सड़क पर प्रकाश व्यवस्थान होतथायातायात कम हो। यदि आप किसी राजमार्ग पर यात्रा करते हुए उच्च बीम का प्रयोग कर रहे हों तो सामने से वाहन आने पर लो–बीम कर लें। इसी प्रकार जब आप किसी अन्य वाहन के पीछे चल रहे हों तो लो–बीम का प्रयोग करें ताकि आगे वाले चालक को कठिनाई ना हो।

अपनी हैडलाइट को हमेशासाफ रखें और उन्हें नियमित रूप से व्यवस्थितकरवाते रहें ताकि सड़क पर उनका लक्ष्य ठीक रहे।

3.13. पार्किंग लाइट

मोटर साइकिल के अलावा अन्य सभी वाहनों पर सामने की तरफ दोनों ओर एक–एक सफेद या पीली तथा पीछे की तरफ दोनों ओर एक–एक लालपार्किंग लाइट लगी होनी चाहिए। जब भीवाहन सड़क पर स्थिर खड़ा हो तो पार्किंग लाइटजली होनी चाहिऐं।

3.14. लाल, सफेद, नीली लाइट या स्पॉट लाइट का प्रयोग

विधिद्वारा नीली, लाल, फलैशिंग लाइट अथवाझिलमिलाती लाइटोंका प्रयोग केवल विशिष्ट उद्देश्य के सेवा वाहनों के लिए सीमितकिया गया है। किसी भी अन्य मोटर वाहन परसामने की ओर लाल बत्ती लगाना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार वाहन केपीछे लाल लाइट, पंजीकरण चिह्न को प्रकाशित करने हेतु एक सफेद लाइट, वाहन को पीछे की तरफ चलाते समय प्रयोग हेतु एक सफेद लाइट व दिशा सूचक पीली लाइटों को छोड़कर किसी अन्य रंग की लाइट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

नीली, लाल, सफेद या फ्लैशिंग लाइट का प्रयोग निम्नलिखित वाहनों पर ही किया जा सकता है–

- ऐम्बुलेंस वाहन परबैंगनी काँच मेंटिमटिमाने वाली लाल लाइट,
- केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत और अधिसूचित उच्च गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों पर लाल बत्ती (फ्लैशर सहित अथवा बिना फ्लैशर के),
- राज्य सरकार द्वारा अधिकृत और अधिसूचित वाहनों पर नीली बत्ती (फ्लेशर सहित),
- उच्च गणमान्य व्यक्तियों के सुरक्षा(Escort) वाहन पर नीली लाइट (फ्लैशर सहित अथवाउसके बिना),
- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहनों पर लाल, नीली या सफेद बहुरंगी लाइट,

- पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर बैंगनी लाइट, तथा

इसके अलावा, किसी भीवाहनपर आगे की ओर स्पॉट लाइट अथवा सर्च लाइट नहीं लगाई जा सकती जब तक असाधारण परिस्थितियों में पंजीयन प्राधिकारी द्वारा ऐसा करना अनुमोदित न हो।

3.15. रियर–व्यू मिरर

हरियाणा मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 123 के अनुसार रोड़ रोलर के अलावा हर वाहन पर, आंतरिक या बाह्य रियर–व्यू मिरर इस प्रकार से लगा होनाअनिवार्य है, जिससे किचालक पीछे की ओर अन्य किसी वाहन को देखने व उसकीस्थितिबारे पता करने में सक्षम हो।

वाहन में दिन/रात्रि प्रकार (Day/Night Type) के रियर–व्यू मिरर का प्रयोग करना चाहिए।इस प्रकार के शीशे मेंरात्रि–अंदाज़ (night mode)होता है जोरात के समयपीछे चल रहे वाहन की हेडलाइट से दर्पण में परिलक्षित होने वाली रोशनी को कम कर देता है।

अधिकांश नए मोटर वाहनों में दोनों ओर साइड–व्यू मिरर लगे होते हैं।ये शीशेसड़ककेदोनों ओर का दृश्य देखने में ड्राइवर की सहायता करते हैं।

साइड–व्यू मिरर (जिन्हें विंग–मिरर भी कहा जाता है) को मोड़ कर बंदन रखेंबल्किइनका प्रयोग करें। यह एक अच्छी आदत है। वाहन के पीछे व आसपास सही प्रकार सेदेख पाने के लिए इन शीशों को साफ रखें और इन पर खरोंच न आने दें।चलने से पहले रियर–व्यू मिरर को सही स्थिति में कर लें और अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को जान लें।

3.16. सीट बैल्ट और एयर–बैग

सीट बैल्ट पहनना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।इससे दुर्घटना की स्थिति में चोट लगने या मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अनुसारसीटबैल्ट से सुसज्जित वाहनों में चालकतथाआगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए चलते वाहन में हर समय सीट बैल्ट पहनना अनिवार्य है।M1श्रेणी के यात्री वाहनों (चालक तथा अधिकतम आठ यात्रियों की क्षमता वाले) में पिछली सीट पर सामने की ओर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बैल्ट पहनना अनिवार्य है।

सीटबैल्ट आपकी सुरक्षा के लिए है। यदि आपने सीट बैल्ट पहनी है तो दुर्घटना होने की दशा में आपके बचने की संभावना कहीं अधिक हो जाती है क्योंकिः–

- सीट बैल्ट दुर्घटना होने पर चालक कोस्टीयरिंग के पीछे सही स्थिति में रखती है जिससे वाहन पर उसकानियंत्रणबना रहता है,

- सीट बैल्ट आपके सिर वशरीर को वाहन के भीतरी हिस्से से टकराने से बचाती है, तथा
- सीट बैल्ट टकराव की स्थिति में आपको वाहन सेबाहर नहीं गिरने देती। यदिकोई व्यक्तिदुर्घटना के दौरान वाहन से बाहर गिर जाए, उसे गंभीर चोटें लगने की संभावना अधिकहोती है।

सीट बैल्ट को सही ढंग से पहनना बहुत महत्त्वपूर्ण है। कंधे का पट्टा हमेशा कंधे के ऊपर से डालें, ना की बाजू के नीचेसे। गोद केपट्टे को पेट पर डालने के बजाय हमेशा बैल्ट के ऊपर से डालें।

सीट बैल्ट की तरह एयर–बैगभी टकराव के दौरान गंभीर शारीरिक चोट को रोकने और मृत्यु से बचने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यदिआपके वाहन में एयर–बैग लगे हों, तो आपको सीट बैल्टअवश्य पहननी चाहिए,क्योंकि एयर–बैग तभी चोट को रोकने में सहायक होते हैं यदि आपने सीट बैल्ट लगा रखीहो। यदि आपने सीट बैल्ट नहीं पहनी है तो एयर–बैग से शारीरिक चोटभी लग सकती है।

3.17. प्रदूषण नियंत्रण

हर मोटर वाहन में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो छह महीने के लिए मान्य होता है। नए मोटर वाहन को पंजीकरण की तिथि के एक वर्ष बाद प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए पुनः प्रमाणित करवाना होता है। प्रदूषणप्रमाण पत्र हर समय वाहन में होना चाहिए।

अपने वाहन का रख रखाव अच्छारखने और ड्राइविंग के दौरान निम्नलिखित अच्छी बातों का अनुसरण करने सेना केवल वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती हैं बल्कि ईंधन की भी बचत होती हैं–

- इंजन को ठीक हालत में रखें और टायरों में हवा का दबाव सही रखें।
- सड़क पर सूचकों व यातायात के नियमों का पालन करें।
- निर्धारित गति सीमा के भीतर चलें।
- अचानक गति बढ़ाने अथवा ब्रेक लगाने से बचें।
- वाहन में अनावश्यक वजन न रखें।
- जहाँ संभव होकार साँझी (Car pooling) करें, तथासार्वजनिक परिवहन के साधनोंद्वारा, बाइक द्वारा या पैदल यात्रा करने से परहेज ना करें।
- बार–बारयात्रा करने की बजाय एक ही बार में अनेक कार्य निपटाएँ।
- लंबे ठहराव, जाम आदि मेंइंजन बंद करना ना भूलें।

3.18. वाहन पर क्या नहीं लगाहोना चाहिए ?

- सामने की ओरलाल अथवानीले रंग की चमकती या टिमटिमाती बत्तियाँ,
- स्पॉट लाइट या सर्च लाइट,
- Multi-toned हॉर्न या सायरन जो सिलसिलेवार विभिन्न ध्वनियाँ उत्पन्न करता हो,
- खिड़कियों पर काली फिल्म,
- साइलेंसर के अलावा निकास गैसें निकालने के लिए कोई अन्य कट–आउट,
- फौजी वाहन सरीखा हरा रंग(यह रंगरक्षा विभाग के वाहनों के लिए आरक्षित है),
- गहरे नीले रंग की लाइनों के साथ पीले रंग कावाहन (यह रंग शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों के लिए आरक्षित है), तथा
- पीले रंग की मोटर साइकिल(मोटर साइकिल का पीला रंग पुलिस विभाग के लिए आरक्षित है)।

3.19. अपने वाहन की नियमित जाँच करें

अपना वाहन स्टार्टकरने से पहले प्रतिदिननिम्नलिखित जाँच अवश्यकरें–

- विंडस्क्रीन और खिड़कियों में कोई दरार ना हो,
- वाइपर अच्छी हालत में हों,
- वाहन के नीचे पानी या तेल के धब्बे न हों, क्योंकि ये रिसाव का संकेत हो सकते हैं,
- टायरों में कट न होंतथा उनमें हवाकादबाव सही हो,
- सुनिश्चित करें कि गेज (पैमाने) ठीक से काम कर रहे हों,
- सभी लैम्प और लाइट ठीक से काम कर रहे हों, विशेष रूप से रात्रि के दौरान,
- लाइसेंस प्लेट ठीक से लगी हों और उन पर पंजीकरण संख्यास्पष्ट दिख रही हो,
- दर्पण साफ और ठीक स्थिति में हों, तथा
- प्रदूषण नियंत्रण का प्रमाण पत्र मान्य हो।

इसके अतिरिक्तलंबी यात्रा पर जाने से पहले निम्नलिखित की जाँच करना भी फायदे मंद होता है –

- बैटरी अच्छी हालत में हो और कनेक्शन ठीक हो,

- इंजन तेल, इंजन शीतलक, ब्रेक तेल और विंडस्क्रीन वाइपर द्रव का स्तर निर्दिष्ट न्यूनतम स्तर से ऊपर हो,
- सभी लाइटें, हैडलाइट (हाई–बीम और लो–बीम),औरस्पॉट/ब्रेक लाइट ठीक से काम कर रही हों,
- निकास प्रणाली में रिसाव न हो,
- वाहन काअतिरिक्त टायर (स्टैप्नी) अच्छी हालत में हो, तथा
- प्राथमिक चिकित्सा किट, टॉर्च, टायर बदलने के लिए आवश्यक उपकरण तथा यदि संभव हो तो एक पोर्टेबल (आसानी से ले जाने योग्य) आग बुझाने का यंत्र वाहन में रखा हो।

4. यातायात संकेत, सूचक और सड़क चिह्न

यातायात संकेत, सूचक तथा सड़क पर बने चिह्न चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने, यातायात को नियमित करने, चालक को आगे आने वाले खतरों से सावधान करने व मार्ग में उपलब्ध सुविधाओं बारे स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाये गये हैं। यातायात के संकेत सड़क के नियमों का स्पष्ट व सटीक अर्थ बेहद सरल तरीके से तस्वीरों के माध्यम से बतलाते हैं। इसलिए प्रत्येक वाहन चालक को सड़कों व राजमार्गों पर पाये जाने वाले यातायात संकेतों का पूरा ज्ञान होना चाहिए और इसे हर समय उनका पालन करना चाहिए।

4.1. संकेत

यातायातके संकेत भारतीय रोड़ कांग्रेस (आई॰आर॰सी॰) द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं। ये संकेत चिह्नों और चित्रों का उपयोग कर बनाये गए हैं। इनका देश भर में समान रूप से पालन किया जाता है। इनका अर्थ तुरंत स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक संकेत को एक विशिष्ट आकार और रंग इस प्रकार से दिया गया है कि चालक दूर से बिना पढ़े ही मात्र देख कर इनका अर्थ समझ सके। सड़क संकेत तीन प्रकार के होते है–

- अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत
- चेतावनीपरक संकेत
- सूचनापरक संकेत

अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत

इस वर्ग के संकेत अनिवार्य होते हैं यानि इनका हर समय पालन किया जाना अनिवार्य है। 'स्टॉप संकेत' व 'गिव–वे संकेत' को छोड़कर अन्य सभी अनिवार्य संकेत आकार में गोल होते हैं। अनिवार्य संकेत नीचे दर्शाये गये हैं–

स्टॉप संकेत

इस संकेत का अर्थ है कि आप रूकें, देखें व जब सुरक्षित हो तो आगे बढ़े। यह संकेत उन मार्गों पर प्रयुक्त होता है जहाँ ट्रैफिक को मुख्य सड़क अथवा चौराहे पर प्रवेश करने से पूर्व रुकना अनिवार्य होता है।

गिव–वे संकेत

इस संकेत का अर्थ है कि आप ऐसे वाहनों को रास्ता दें, जिन्हें मार्ग का अधिकार(right-of-way)है।

नो– एन्ट्री संकेत

यह चिह्न उन स्थानों पर लगाया जाता है जहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध हो।

आगे जाना वर्जित यानि नो एन्ट्री संकेत

यह चिह्न उन जगहों पर होता है जहाँ वाहनों का प्रवेश सीधे आगे जाना निषिद्ध हो।

वन–वेसंकेत

एक दिशा में यातायात प्रतिबन्धित है। यह संकेत दर्शाता है कि ट्रैफिक का आगे जाना मना है।

वन–वेसंकेत

एक दिशा में यातायात प्रतिबन्धित है। यह संकेत दर्शाता है कि सामने की दिशा सेवाहनों का आना मना है।

दोनों दिशाओं में आवागमन निषिद्ध संकेत

यह चिह्न उन जगहों पर होता है जहाँ दोनों दिशाओं में वाहनों का यातायात वर्जित हो।

सभी वाहन निषिद्ध

ट्रक निषिद्ध

बैल–गाड़ी व ठेला निषिद्ध

बैल–गाड़ी निषिद्ध

तांगा निषिद्ध

ठेला निषिद्ध

साइकिल निषिद्ध

पैदल यात्री निषिद्ध

दायाँ मोड़ निषिद्ध

बायाँ मोड़ निषिद्ध

वापिस मुड़ना **(U-Turn)** निषिद्ध

ओवरटेक करना निषिद्ध

हॉर्न बजाना निषिद्ध

नो–पार्किंग

रुकना या पार्क करना निषिद्ध

गति सीमा

चौड़ाई सीमा

ऊँचाई सीमा

लंबाई सीमा

भार सीमा

एक्सल भार सीमा

प्रतिबंध समाप्त

अनिवार्य बायाँ मोड़

सीधा जाना अनिवार्य

अनिवार्य दायाँ मोड़

सीधा जाना या दाएँमुड़ना अनिवार्य

सीधा जाना या बाएँ मुड़ना अनिवार्य

बाएँ रहना अनिवार्य

अनिवार्य साइकिल मार्ग

हॉर्न बजाना अनिवार्य

चेतावनीपरक संकेत

चेतावनीपरक संकेत वाहन चालकों को आगे आने वाली असामान्य परिस्थितियों या खतरों के बारे में सावधान करने के लिए होते हैं। ये संकेत आकार में तिकोने होते हैं। मोटरयान अधिनियम, 1988 में निम्नलिखित चेतावनीपरक संकेत वर्णित हैं–

दाईं ओर मोड़

बाँईं ओर मोड़

दाईं ओर दोहरा मोड़

बाँई ओर दोहरा मोड़

दाहिने मुड़कर फिर आगे

बाएँ मुड़कर फिर आगे

आगे चढ़ाई है

आगे उतराई है

संकरापुल

आगे सड़क चौड़ी है

आगे सड़क तंग है

फिसलन भरी सड़क

बिखरी बजरी

पैदल यात्री पार पथ

साइकिल पार पथ

आगे स्कूल है

काम चालू है

पशु

पत्थर गिरने की संभावना

नाव

चौराहा

मध्यरेखा में अन्तराल

दाईं ओर रास्ता है

बाँई ओर रास्ता है

बाईं तरफ वाय जंक्शन

दाईं तरफ वाय जंक्शन

वाय जंक्शन

टी–जंक्शन

विषम सड़क संगम

विषम सड़क संगम

आगे मुख्य सड़क है

आगे मुख्य सड़क है

गोल चक्कर

खतरनाक गहराई

रंबल स्ट्रिप

उभार या खराब रास्ता

स्पीड–ब्रेकर

आगे बैरियर है

मोड़ों की श्रंखला

घाट या नदी का किनारा

द्वि–मार्ग प्रारम्भ

द्वि–मार्ग समाप्त

मानव रहित रेल पारपथ

फाटकवाला रेल पारपथ

लेन बंद (दो–लेन मार्ग पर)

ऊपर तार है

यातायात संकेत

सूचनापरक संकेत

सूचनापरक संकेत वाहन चालकों को दिशा, गंतव्य तथा सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं आदि की जानकारी प्रदान करते हैं। ये संकेत आकार में चौकोर या आयताकार होते हैं–

आगामी दिशा संकेत

गंतव्य संकेत

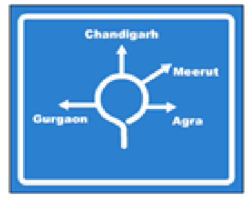

गोल चक्कर पर दिशा संकेत

दिशा संकेत

स्थान संकेत

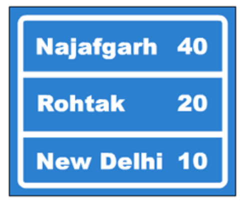

पुनराश्वासन संकेत

पैट्रोल पम्प दाहिनी ओर

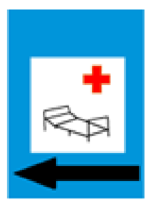
अस्पताल बाईं ओर

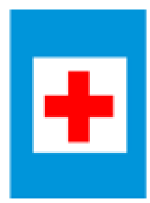
प्राथमिक चिकित्सा स्थल

भोजन स्थल

अल्पाहार

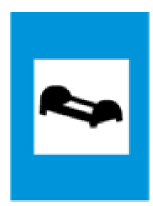
विश्राम स्थल

आर–पार रास्ता नहीं है

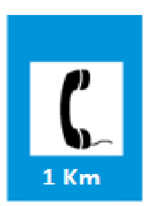

सार्वजनिक दूरभाष

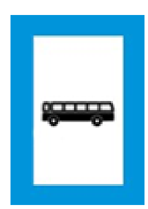
बस स्टॉप

दोनों ओर पार्किंग स्थल

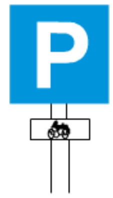

स्कूटर व मोटरसाइकिलों हेतु पार्किंग स्थल

साइकिलों हेतु पार्किंग स्थल

टैक्सी स्टैंड

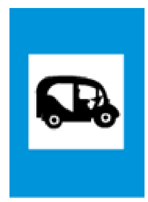

ऑटोरिक्शा स्टैंड

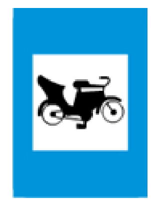

साइकिल रिक्शास्टैंड

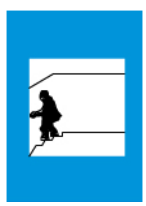

पैदल यात्री सुरंगपथ

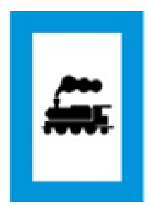

रेलवे स्टेशन

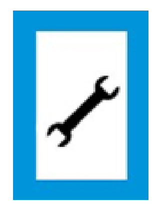

मुरम्मत सुविधा

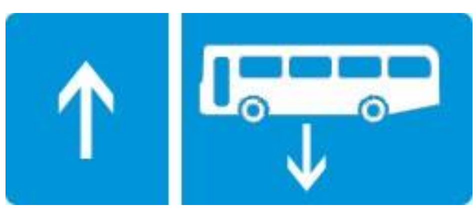

विपरीत दिशा में बस लेन

बस लेन

4.2. ट्रैफिक लाइट

ट्रैफिक लाइटें चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए लगाई जाती हैं। कई चौराहों पर ट्रैफिक लाइटों के ऊपर बिजली संचालित तीर के निशान बने होते हैं। ये तीर के निशान यातायात के प्रवाह को निशान की दिशा में नियंत्रित करते हैं।

लालबत्ती

चित्र 11

लाल बत्ती का अर्थ है कि चौराहे में प्रवेश से पहले स्टॉप लाइन या पैदल पारपथ से पहले रुकें तथा जब तक लाल बत्ती हरे रंग मेंनहीं बदल जाती, इंतज़ार करें। लाल बत्ती पर तीर के निशान का मतलब है कि तीर की दिशा में मुड़ना मना है।

पीली बत्ती

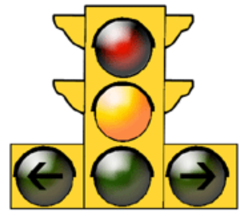

चित्र 12

यदिचौराहे में प्रवेश से पहले बत्ती पीली हो जाती है, तो स्टॉप लाइन या पैदल पारपथ से पहले ही रुक जाएँ। यदि आपके चौराहे में प्रवेश करने के बाद बत्ती पीली होती है तो सावधानी पूर्वक चलते रहे तथा चौराहा पार कर लें। पीले तीर के निशान का मतलब है तीर की दिशा में सावधानीपूर्वक चलना।

हरीबत्ती

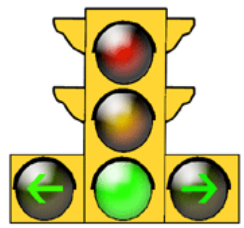

चित्र 13

हरी बत्ती का अर्थ है कि आप चौराहे में पहले से चल रहे पैदल यात्रियों और अन्य वाहनों को जगह देते हुए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। हरा तीर इंगित करता है कि आप अपनी उचित लेन मेंरहते हुए तीर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

फ्लैशिंग लाल व पीली बत्ती

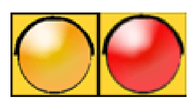

चित्र 14

फ्लैशिंग लाल बत्ती का अर्थ है कि आप स्टॉप लाइनयापैदल पारपथ से पहले रुकें तथा केवल तभी आगे बढ़ें जब सुरक्षित हो। फ्लैशिंग पीलीबत्ती का अर्थ है कि आप धीमे व सावधानीपूर्वकचलते रहें।

पैदल पार पथ सूचक

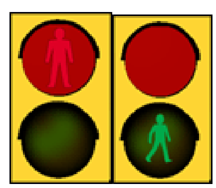

चित्र 15

कई जगह पैदल पारपथ पर बत्तियॉ लगी होती हैं। ये सूचक पैदल चलने वालों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने में मदद करते हैं। यदि आप पैदल यात्री हैं तो हरी बत्ती (जिस पर पैदल चलने का चिह्न बना होता है) होने पर सड़क पार कर सकते हैं।

ट्रैफिक लाइट की उल्लंघना कभी ना करें। बत्ती पीली होने के बाद यदि आपके पास सुरक्षित रूप से रुकने के लिए पर्याप्त जगह हो तो रुक जाएँ।

4.3. यातायातपुलिसद्वारा हाथ के संकेत

यदि यातायात पुलिस कर्मी यातायात कोनिर्देशित व नियंत्रित कर रहे हो, तो उनकेहाथ के संकेतों का पालन करें, चाहे वे ट्रैफिक लाइटों या सूचकोंसे भिन्नभी क्यों न हों, क्योंकि होसकता है कि कोई आपात स्थिति हो। निम्नलिखित चित्रों (16–21) में यातायात पुलिस द्वारा दियेजानेवाले विभिन्न संकेत प्रदर्शित किये गएहैं–

चित्र 16

पीछे से यातायात रोकें

चित्र 17

आगे से आने वालायातायात रोकें

चित्र 18

पीछे व आगेसे आने वाला यातायात रोकें

चित्र 19

दाएँ व बाएँ से यातायात रोकें

चित्र 20

दाएँ से आ रहे यातायात को दाएँ मुड़ने की अनुमति

चित्र 21

बाएँ से आ रहे यातायात को दाएँ मुड़ने की अनुमति

बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए एक से अधिकहाथके संकेतों का एक साथ इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

4.4. सड़क पर लगे चिह्न

सड़क पर लगे चिह्न यातायात प्रबंधन में बहुत उपयोगी भूमिका निभाते हैं तथा यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने व सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इसलिये चालकों को चाहिए कि वे सड़क पर लगे चिह्नों को अच्छी तरह से समझें व उनकी पालना करें। कुछ एक महत्त्वपूर्ण सड़क चिह्नों का वर्णन निम्न है–

विच्छेदित केंद्र रेखा

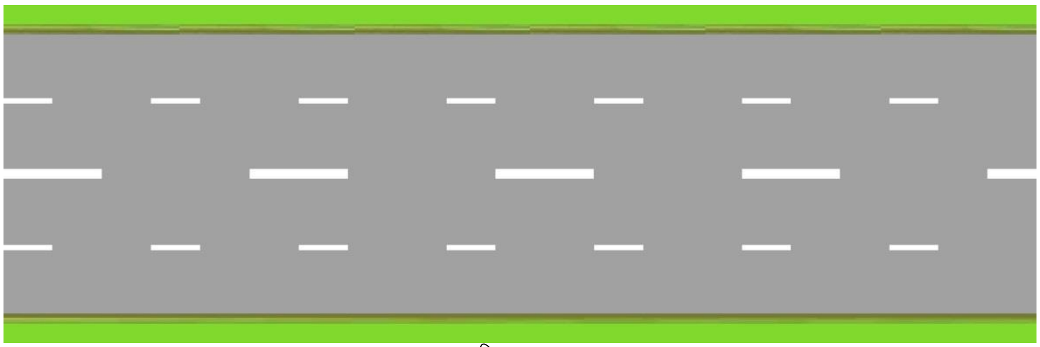

चित्र 22

विच्छेदित केंद्रीय रेखा (चित्र 22) यातायात की दो विपरीत धाराओं को अलग करती है। केवल ओवरटेकिंग के लिए इसके दूसरी ओर जाने की अनुमति है तथा वह भी जब ओवरटेक करना सुरक्षित हो। इसके अतिरिक्त, लेन निर्धारण करने के लिए भी विच्छेदित रेखा का प्रयोग किया जाता है।विच्छेदित लेन रेखा इंगित करती है कि जब सुरक्षित हो तब आगे निकलने के लिए दूसरी लेन में जाने की अनुमति है। विच्छेदित केंद्रीय रेखा की मार्किंग लेन रेखा की मार्किंग से अधिक लंबी होती है व इसकी लंबाई 3 मीटर होती है।

ठोस केंद्र रेखा

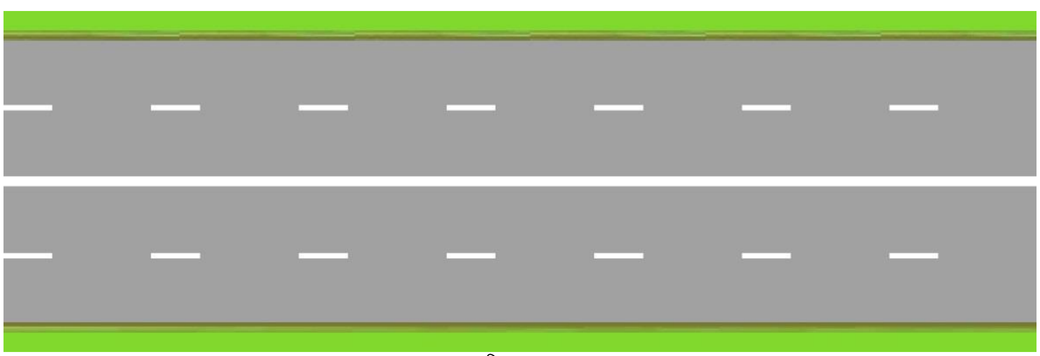

चित्र 23

ठोस केंद्रीय रेखा (चित्र 23) इंगित करती है कि सड़क के दूसरी ओर जाने की अनुमति केवल मार्ग के दूसरी ओर स्थित किसी परिसर में प्रवेश करने अथवा बाहर निकलने, किसी बाधा से बचने अथवा अन्य सड़क पर मुड़ने हेतु ही है। इसके अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति मे ठोस केन्द्र रेखा के दूसरी ओर जाना प्रतिबन्धित है। ठोस केंद्रीय रेखा साधारणतया सफेद रंग की होती है, लेकिन वैकल्पिक रूप से पीले रंग की भी हो सकती है।

दोहरी केंद्रीय अवरोधक रेखा

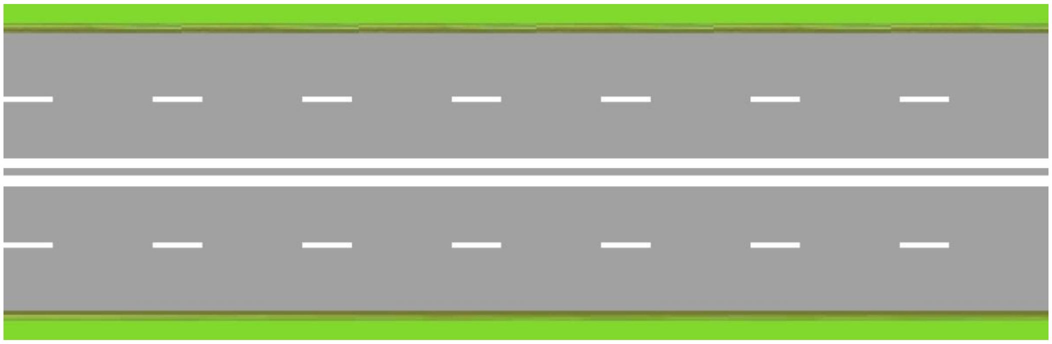

चित्र 24

दोहरी केंद्रीय अवरोधक रेखा (चित्र 24) इंगित करती है कि आपात स्थिति को छोड़कर सड़क के दूसरी ओर जाने की अनुमति कदापि नहीं है।

ठोस व टूटी हुई रेखाओं का संयोजन

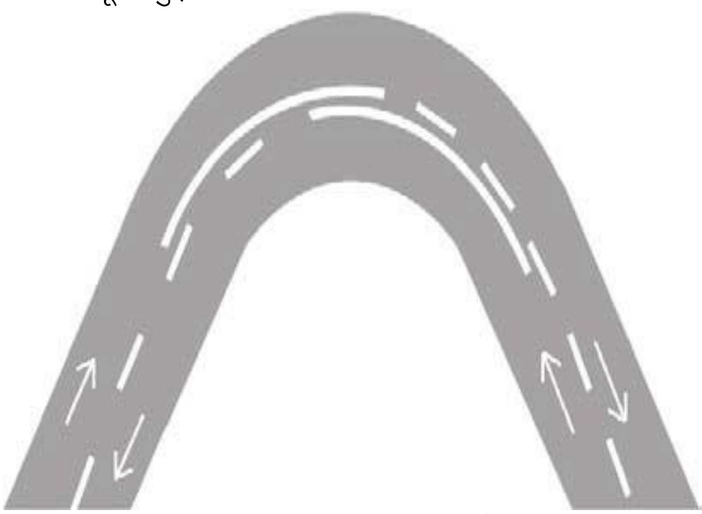

चित्र 25

यदि आपकी लेन कीओर रेखाविच्छेदित है, तो इसका अर्थ है कि यदिसुरक्षित होतो आप दूसरी ओर लांघ सकते हैं। इसके विपरीतयदि आपकी ओर की रेखा ठोस हो तो उसे लांघना वर्जित है। इस प्रकार की दोहरी रेखाऐं वहाँ प्रयोग होती हैं जहाँ मोड़ अथवा कोई रूकावट होने के कारण आगे पर्याप्त दूरी तक दिखाई ना देता हो, जैसा कि चित्र 25 में दर्शाया गया है। सड़क के ऐसे भाग में पार्किंग निषिद्ध होती है।

स्टॉप रेखा

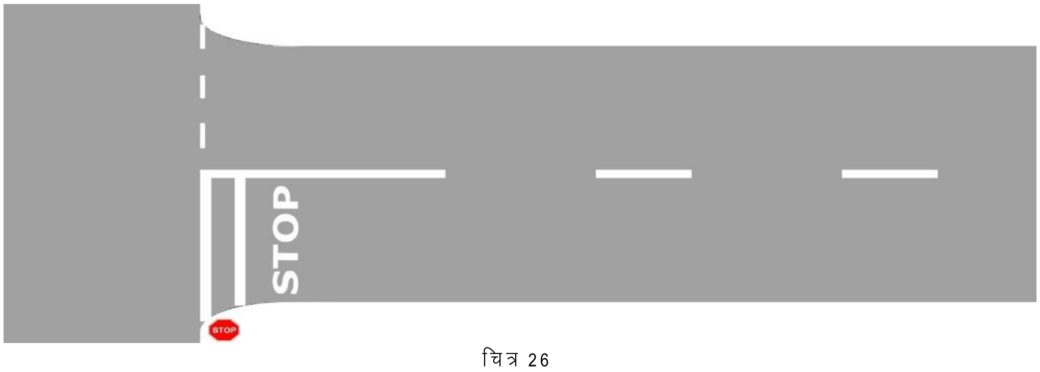

चित्र 26

सड़क पर चिह्नित स्टॉप रेखा इंगित करती है कि आप इस रेखा से पहले रूकें तथा मुख्य सड़क पर चल रहे यातायात को रास्ता दें। आपको तभी आगे बढ़ना चाहिए जब ऐसा करना सुरक्षित हो। जहाँ पैदल पार पथ हो वहाँ स्टॉप रेखा पैदल पार पथ से पूर्व चिह्नित होती है।स्टॉप रेखा के साथ स्टॉप चिह्न लगा होता है अथवा कँही–2STOPशब्द लिखा होता है जैसा कि चित्र 26 में दर्शाया गया है।

Give Wayरेखा

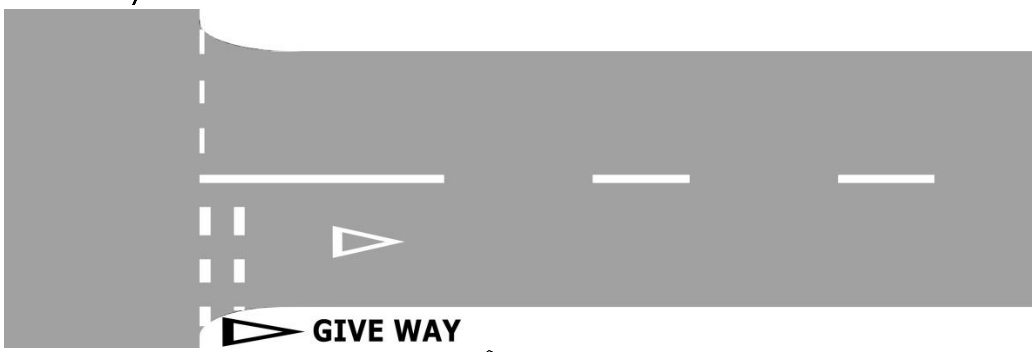

चित्र 27

यह चिह्न प्रायः चौराहों पर दो समानान्तर विच्छेदित रेखाओं के रूप में होता हैं। साधारणतया इन रेखाओं के पहले एक उलटा त्रिकोण 'Give way' शब्द सहित सड़क पर चित्रित होता है (चित्र 27) अथवा सड़क के किनारे इस प्रकार का सूचक लगा होता है। इस चिह्न का अर्थ है कि आप मुख्य सड़क पर ट्रैफिक को रास्ता दें तथा गैप मिलने पर ही आगे बढें।

ज़ेबरा पार पथ

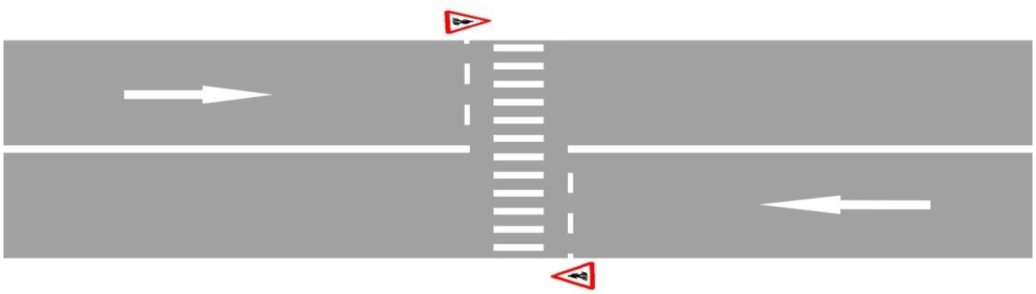

चित्र 28

ये सड़क के समानांतर काले व सफेद रंग की क्रमवार धारियाँ होती हैं। ये पैदल चलने वालों को सुरक्षित सड़क पार करवाने के लिए बनाई जाती है। पैदल चलने वालों को इस रास्ते से सड़क पार करने का अधिकार होता हैअर्थात् यदि कोई पैदल यात्री ज़ेबरा पारपथ पर हो तो आपको वाहन रोकना अनिवार्य है। ज़ेबरा पार पथ से पहले प्रायः 'पैदल पार पथ' के सड़क सकेंत लगे होते हैं जैसा कि चित्र 28 में दर्शाया गया है।

साइकिल लेन

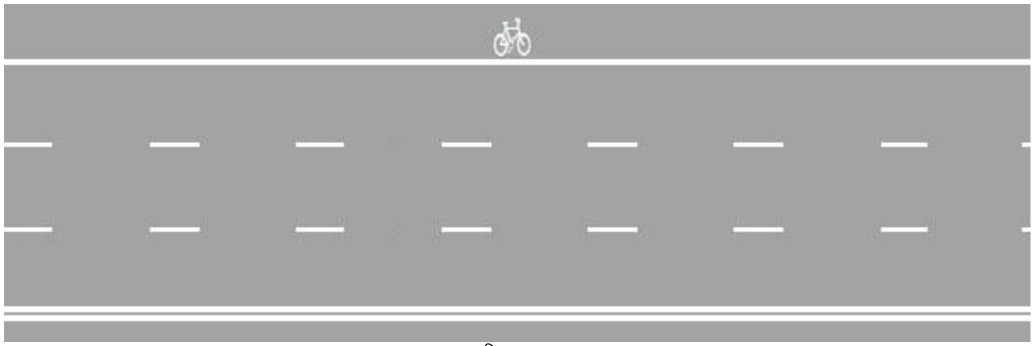

चित्र 29

साइकिल लेन चिह्न (चित्र 29) केवल साइकिल चालकों केलिए विशेष रूप से बनाई गई लेन को इंगित करता है। अन्य वाहनों को इस लेन में प्रवेश की अनुमति नहीं होती।

आदर्श चौराहा

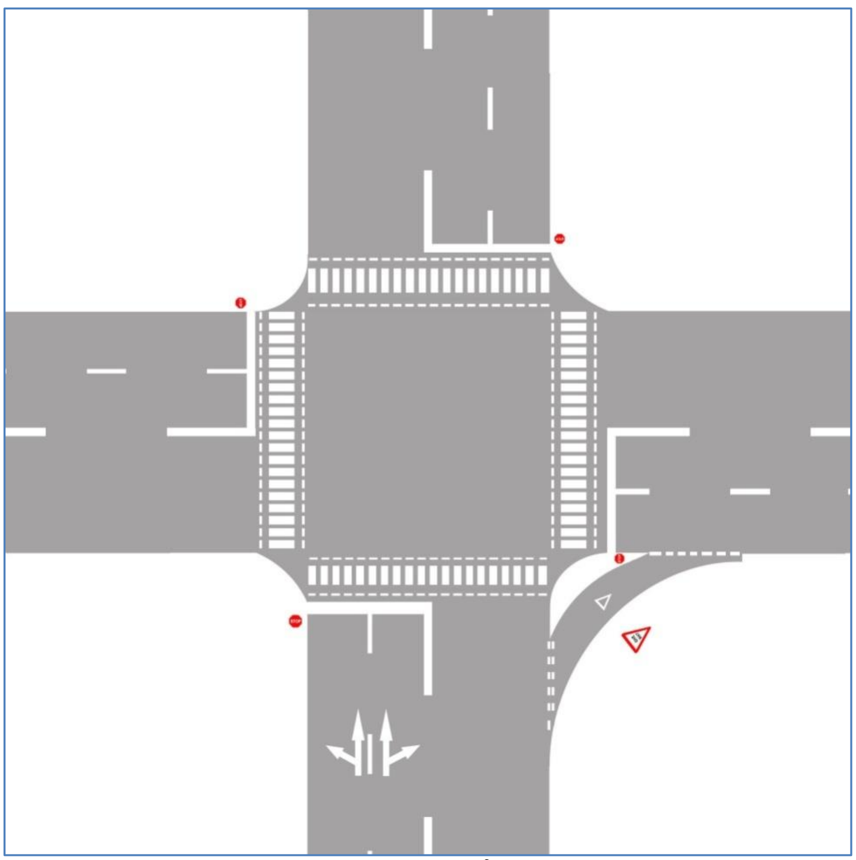

चित्र 30

उपरोक्त चित्र 30में एक आदर्श चौराहा दर्शाया गया है, जिसमें स्टॉप रेखाऐं, पैदल यात्रियों हेतु ज़ेबरा पार पथ, **'Give way'** संकेत, स्लिप लेन (चौराहे से बचकर निकलने का रास्ता), दिशासूचक तीर के निशान तथा अन्य यातायात चिह्न दिखाये गये हैं।

बॉक्स जंक्शन

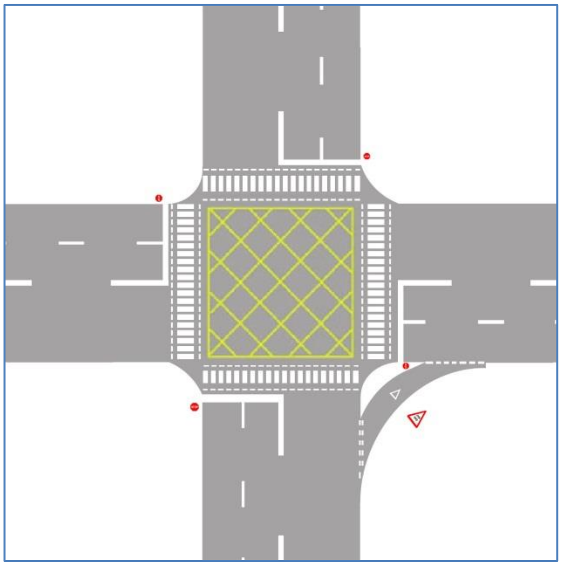

चित्र 31

बॉक्स जंक्शनमें चित्र 31 में दर्शाये अनुसार पीले रंग की कोणीय रेखाऐं बनीहोती हैं।ये रेखाऐंइंगित करती हैं किवाहनों को इस बॉक्स में तभी प्रवेश करना चाहिए जब आगे निकास मार्ग खाली हो। बॉक्स जंक्शन के अन्दरवाहन का क्षण भर रूकना भी निषिद्ध होता है।

Keep Clearचिह्न

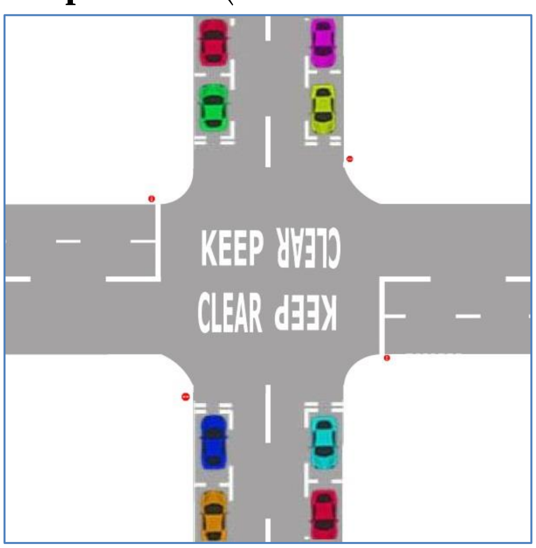

चित्र 32

Keep Clearचिह्न चित्र 32 में दिखाया गया है, यह सड़क चिह्न इंगित करता है कि अंकन के क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा होने की अनुमति नहीं है। यह चिह्न वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ वाहनों द्वारा साइड रोड़ से आ रहे ट्रैफिक को अवरूद्ध करने का अन्देशा होता है।

छोर रेखा **(Edge line)**

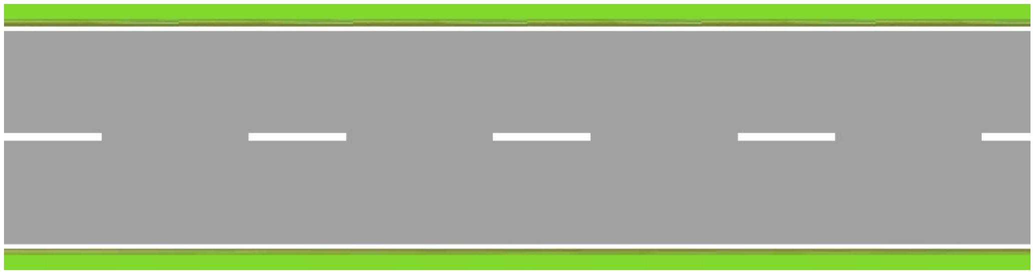

चित्र 33

सड़क पर ठोस सफेद (या पीली) रेखा जैसा कि चित्र 33 में दिखाया गया है, वाहन चलाने हेतु सड़क की सीमा इंगितकरती है।सफेद छोररेखा सड़क के किनारे पार्किंग अथवासाइकिल लेन का संकेत देने के लिए भी प्रयोग की जाती है। पीले रंग की छोर रेखा इंगित करती है किसड़क किनारे पार्किंग प्रतिबंधित है।

साइकिल पार पथ

साइकिलपारपथ (चित्र 34) साइकिल सवारों को सड़क पार करने के लिए बनाये जाते हैं। ये वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ साइकिल लेन सड़क के पार जा रही हो। साइकिल पारपथप्रायः पैदल पार पथ के साथ-साथ बनाए जाते हैं।

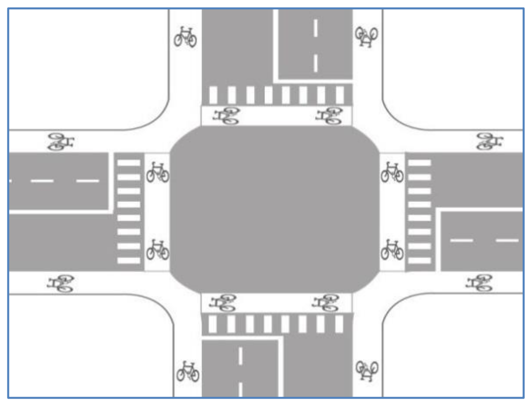

चित्र 34

त्वरण **(Acceleration)**चिह्न

यह चिह्न राजमार्गों पर प्रवेश के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा इंगित करता है कि आपको अपने वाहन की गति बढ़ानी चाहिए।

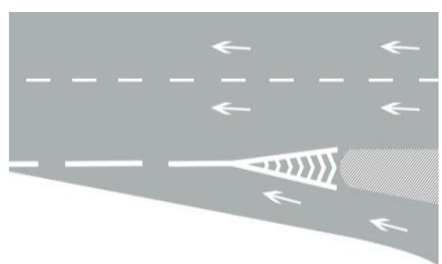

चित्र 35

अवत्वरण **(Deceleration)**चिह्न

यह चिह्न राजमार्गों से निकास स्थान पर प्रयुक्त होता है तथा इंगित करता है कि आपको अपने वाहन की गति कम करनी चाहिए।

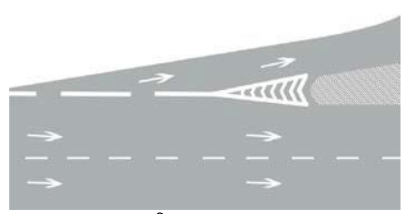

चित्र 36

सड़क की पटरी पर चित्रण

कई बार सड़क या राजमार्ग के किनारे ऐसी चीजें होती हैं जो खतरा पैदा कर सकती हैं। इस तरह की वस्तुओं को क्रमवार काले और सफेद रंग या कंपित (Staggered)काले और सफेद रंग से चित्रित किया जाता है।

चित्र 37

क्रमवार काली और सफेद धारियाँ

चित्र 38

कंपित काली और सफेद धारियाँ

नो पार्किंग

नो पार्किंग चिह्न आमतौर पर फुटपाथ के किनारे एक ठोस पीली रेखा से बनाया जाता है तथा इंगित करता है कि इस स्थान पर कदापि पार्किंग ना करें।

चित्र 39

धीरे (SLOW) चिह्न

धीरे(SLOW) सड़क चिह्न चालक को किसी खतरे, चौराहे, मोड़, संकरे पुल या ऐसी स्थिति के बारे अग्रिम चेतावनी देता है, जहाँ गति धीमी करना आवश्यक हो।

चित्र 40

बस स्टॉप

बस स्टॉप(BUS STOP) चिह्न विच्छेदित रेखाओं वाला एक आयताकार बाक्स होता है। यह स्थान बस स्टॉप के लिये आरक्षित होता है और केवल यात्रियों को उतारने व चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है।

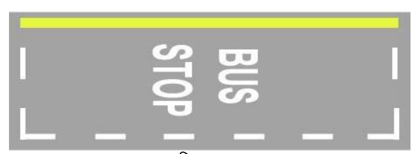

चित्र 41

5. ड्राइविंग की मूल बातें

मोटर वाहन के चालक के रूप में यह जरूरी है कि आप ड्राइविंग करते समय कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं को समझेंऔर उनसे परिचित हो जाएँ। ये वो सरल बातें हैं जिनका पालन सुरक्षित और रक्षात्मक ड्राइविंग के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

5.1. एक अच्छे चालक के गुण

ड्राइविंग करते समय हाथों व आँखों के बीच समन्वय तथा सजगता महत्त्वपूर्ण होती है।

पूर्वानुमानः एक अच्छे चालक के लिये अपने आसपास के यातायात, विभिन्न संकेतों वचिह्नों तथा अन्य वाहन चालकों की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिये यदि सड़क के किनारे कोई बच्चा खेल रहा है, तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अचानक सड़क पर आ सकता है। चालक के लिये ऐसी अनपेक्षित परिस्थितियों हेतु तैयार रहना बेहद जरूरी है।

एकाग्रताः सड़क पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और संभावित रूकावटों के प्रति सजग रहें। चालक को चाहिये कि वह अच्छी तरह से विश्राम करके, शांत मन से वाहन चलाये। किसी भी सूरत में शराब अथवा किसी दवा के प्रभाव में ड्राइविंग कदापि न करें।

सकारात्मक दृष्टिकोणः वाहन चलाते समय सकारात्मक रवैया बहुत जरूरी है। एक जिम्मेदार चालक बनें तथा सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं के प्रति शिष्टाचार दिखाएँ। आक्रामक रवैया सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग के अनुकूल नहीं होता। सभी परिस्थितियों में शांत रहें। आक्रामक चालकों के साथ प्रतिस्पर्धा या गुस्सा करने की बजायउन्हे आगे जाने दें।

5.2. ड्राइविंग चैकलिस्ट

अपने वाहन में बैठने से पहले–

- आरामदायक कपड़े पहनें। पैरों में स्थित पैडलों पर समुचित पकड़ के लिए ड्राइविंग के समय चप्पल या स्लीपर के बजाय जूते पहने।
- यदि आप मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे होंअथवा थके हुए और नींद में लग रहे हों, तो वाहन न चलाएँ।
- यदि आपने कोई दवा ली है जो आपकी सुरक्षित ड्राइविंग करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है अथवा आपने शराब का सेवन किया है, तो ड्राइव न करें। शराब पीकर वाहन चलाना मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत एक दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये आपको प्रथम दृष्टांत में 6 माह तक का कारावास अथवा 2000 रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है।
- टायर पंचर, तेल रिसाव, खुली हुई डिक्की आदि का पता करने के लिए अपने वाहन का चारों ओर से निरीक्षण करें।

अपनेवाहन में बैठने के उपरान्त–

- अपने वाहन को भीतर से भली भाँति जान लें ताकि आप विभिन्न संकेतकों व प्रणालियों आदि का आराम से परिचालन कर सकें।

- जाँच लें कि आपकी दृष्टि विंडस्क्रीन पर गंदगी अथवा खरोंच इत्यादि के कारण बाधित तो नहीं हो रही है।
- आसपास पूरा दृश्य देख पाने के लिए अपने रियर–व्यू मिरर व साइड–मिरर को सही स्थिति में करें।
- सुनिश्चित करें कि आपके पैर पैडल तक आराम से पहुँच रहे हैं। क्लच पैडल को फर्श तक पूरा दबाएँ। यदि खिंचाव पड़ता हो, तो अपनी सीट और स्टीयरिंग व्हील को समायोजित (adjust) करें ताकि आप आरामदायक मुद्रा में वाहन चला सकें।
- सीट बेल्ट लगाएँ तथा सभी यात्रियों से भी सीट बेल्ट पहनने का अनुरोध करें।
- सुनिश्चित करें कि सभी दरवाजे ठीक से बंद हैं।
- मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वाहन में इंजन शुरू करने से पहले जाँच लें कि हैंडब्रेक लगी हो तथा गियर लीवर न्यूट्रल स्थिति में हो। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाले वाहन में गियर लीवर 'पी' (P) अथवा 'एन' (N) स्थिति में होना चाहिए।

अपना वाहन स्टार्ट करना व चलाना

- कार के डैशबोर्ड पर यदि कोई चेतावनी संकेत दिख रहा हो, तो उसकी जाँच करें। आम तौर पर इंजन स्टार्ट होते ही ये संकेत स्वतः बंद हो जाते हैं।
- यदि आपको ट्रैफिक की मुख्य धारा में मिलना हो तो उचित इण्डिकेटर का प्रयोग करें।
- यातायात में शामिल होने से पहले पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों व अन्य वाहनों को देख लें व तभी मुख्य धारा में मिलें जब ऐसा करना पूरी तरह से सुरक्षित हो।

5.3. सुरक्षित ड्राइविंग के नियम

इस अनुभाग में सुरक्षित ड्राइविंग के कुछ महत्त्वपूर्ण नियम बताये गये हैं।

आगे जा रहे वाहन से दूरी

सुरक्षित ड्राइविंग के लिए अपने वाहन और आगे चल रहे वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें। इससे आपको आगे चल रहे वाहन की गति धीमी होने की अवस्था में अथवा अपनी लेन बदलने हेतु पर्याप्त समय व स्थान मिल जाता है। एक अच्छा चालक यातायात की स्थिति, अपने वाहन की गति, मौसम तथा दृश्यता (visibility) के अनुसार अगले वाहन से सुरक्षित दूरी तय करता है। सामान्य परिस्थितियों में इस दूरी को तय करने के लिए '2 सेकंड नियम' का प्रयोग किया जाता है।

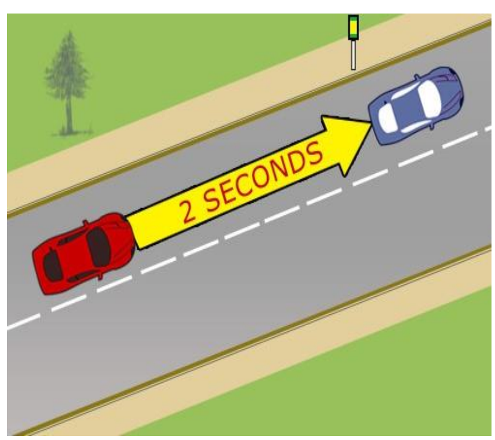

चित्र 42

2 सेकंड नियम का मतलब है कि आपको अपने वाहन को आगे जा रहे वाहन से इतनी दूरी पर रखना चाहिए कि यदि अगला वाहन रुक जाए तो आपके वाहन को उस तक पहुँचने में कम से कम 2 सेकंड लगें जैसा कि चित्र 41 में दर्शाया गया है।

इस दूरी को आँकने के लिए आगे चल रहे वाहन के आगे एक निश्चित वस्तु जैसे टेलीफोन का खम्भा, पुल या कोई पेड़ चुनें। जैसे ही आपके आगे वाला वाहन उस वस्तु के साथ से गुज़रता है आप 'एक हजार एक, एक हजार दो, एक हजार तीन' कहते हुए गिनती शुरू करें और ऐसा करते रहें जब तक आपका वाहन उसी जगह तक ना पहुँच जाए। यदि आप 'एक हजार दो' गिनने से पूर्व ही उस वस्तु तक पहुँच जाते हैं तो इसका मतलब है कि अगले वाहन से आपकी दूरी कम है। यदि ऐसा हो तो अपनी गति धीमी करें तथा यही प्रक्रिया पुनः करें जब तक आप सुरक्षित दूरी पर ना पहुँच जाएँ।

खराब मौसम जैसे बारिश, बर्फ, कोहरे या रात के समय पीछे चलने की दूरी को बढ़ा देना चाहिए।

टायर एवं टारमक (Tyre and Tarmac) नियम

जब आपको अपना वाहन किसी दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो उसे इस प्रकार रोकें कि आपको अपने आगे वाले वाहन के पिछले टायरों के नीचे की सड़क भी दिखाई दे। इसका मतलब है कि आपके व आगे वाले वाहन के बीच करीब 4–5 फीट की दूरी हो। यह दूरी आपके वाहन को घुमाने में सहायक होगी। यदि आपके आगे वाला वाहन चढ़ाई पर खड़ा है व दुर्घटनावश पीछे की ओर चल पड़ता है तो यह दूरी आपको स्वयं को सुरक्षित करने में मदद करेगी। इसी प्रकार अगर आपका वाहन ढ़लान वाली सड़क पर खड़ा है व दुर्घटनावश आगे चल पड़ता है तो यह दूरी आपको प्रतिक्रिया के लिए समय देगी (चित्र 42 –44)।

चित्र 43

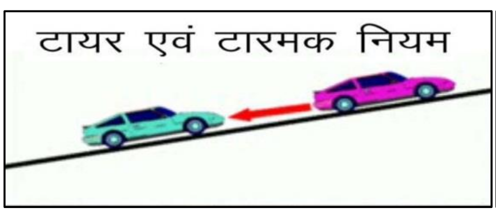

चित्र 44

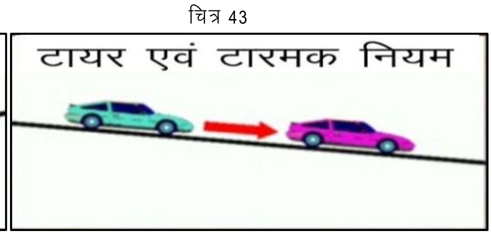

चित्र 45

टायर व टारमक नियम का अनुसरण करने का एक और फायदा यह है कि ट्रैफिक जाम की स्थिति में चालकों को इतनी जगह मिल जाती है कि वे अपने वाहनों को एक साइड में कर सकें ताकि आपातकालीन वाहन जैसे ऐम्बुलेंस आदि को रास्ता दिया जा सके (चित्र 45)।

महत्त्वपूर्ण टिपः अगर आप अपने पीछे खड़े वाहन की हैडलाइटों को देख सकते हैं तो इसका अर्थ है कि पीछे वाले वाहन की आपके वाहन से दूरी पर्याप्त है।

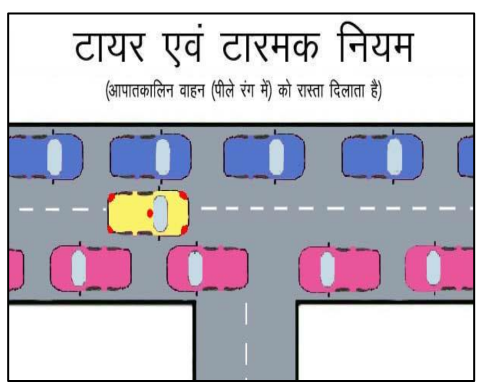

चित्र 46

'एम॰एस॰एम॰' नियम

एम॰एस॰एम॰ नियम सुरक्षित ड्राइविंग के सबसे महत्त्वपूर्ण नियमों में से एक है। एम॰एस॰एम॰ का अर्थ है मिरर, सिग्नल, मैन्युवर (Mirror, Signal, Manoeuvre)। जब भी वाहन की दिशा में परिवर्तन करना हो जैसे कि लेन बदलना, ओवरटेक करना अथवा मुड़ना, इस नियम का प्रयोग किया जाता है।

मिरर का प्रयोग एम॰एस॰एम॰ नियम का प्रथम चरण है। चालक को नियमित रूप से रियर–व्यू मिरर और साइड–मिरर से सड़क के दोनों ओर देखते रहना चाहिए। इससे मन में चारों ओर के यातायात का एक चित्र बन जाता है तथा पता रहता है कि आपके आगे पीछे तथा दाएँ बाएँसड़क पर क्या है।

अपनी दिशा बदलने की योजना बनाने से पूर्व दर्पण में ध्यानपूर्वक यातायात का निरीक्षण करें। इससे आपको अन्य वाहनों की स्थिति, उनकी गति और यदि किसी अन्य वाहन ने भी अपनी दिशा बदलने का संकेत दिया है, तो उसका पता चल जाएगा। पीछे के यातायात का अंदाज़ा लगाने के लिए अन्दर के रियर–व्यू मिरर को देखें। फिर साइड–मिरर से बाँई तथा दाँई ओर चल रहे वाहनों को देखें। ध्यान रखें कि अन्दर का रियर व्यू मिरर समतल होता है जबकि दोनों साइड मिरर (विंग मिरर) उत्तल (Convex) होते हैं जिसके परिणामस्वरूप वाहन दूरी पर छोटा प्रतीत होता है तथा जैसे–2 वह नजदीक आता है उसका आकार बढ़ता जाता है।

सिग्नल देना अर्थात मुड़ने हेतु संकेत देना एम॰एस॰एम॰ नियम का दूसरा चरण है। एक बार जब आपने दर्पण का निरीक्षण कर लिया और रास्ता साफ मिलने पर दिशा बदलने का निर्णय कर लिया तो वाहन के विद्युत संचालित दिशा सूचक अथवा हाथ से संकेत देकर अथवा दोनों का प्रयोग करते हुए मुड़ने का संकेत दें ताकि अन्य सड़क उपयोगकर्ता आपके मुड़ने की मंशा से अवगत हो जाऐं।

मैन्यूवर इस नियम का वह चरण है, जब आप वास्तव में दिशा बदलने की कार्यवाही करते हैं। इस चरण को आगे चार उप–चरणों में विभाजित किया जा सकता है–पोज़िशन, स्पीड, लुक (ब्लाइंड स्पॉट चैक करने के लिए) तथा कार्यवाही।

पोजिशन चरण में वाहन को उस स्थिति में लाया जाता है जहाँ से उसकी दिशा को आसानी से बदला जा सके। यदि आप पहले ही दिशा बदलने के लिये अच्छी स्थिति में हैं तो आपको वाहन की स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है।

स्पीड यानि गति में बदलाव, दिशा बदलने के लिए वाहन को सही स्थिति में लाने के बाद अगला कदम है। सुनिश्चित करें कि आपकी गति दिशा बदलने के लिए उपयुक्त हो। इस

चरण में संभव है कि आपको अपनी गति घटाने की आवश्यकता पड़े या फिर कभी गति बढ़ाना आवश्यक हो। कभी–कभी वाहन को पूर्णतया रोकने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। वाहन का नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस दौरान गियर बदलना भी आवश्यक हो सकता है।

लुक (देखना) चरण यह तय करने के लिये एक अन्तिम चैक है कि चालक दिशा बदलने की कार्यवाही शुरू करे अथवा प्रतीक्षा करे। यद्यपि आप पूरी प्रक्रिया के दौरान अन्तिम स्थिति का आंकलन करते रहे हैं, पर आपको आगे बढ़ने या प्रतीक्षा करने का अन्तिम निर्णय इसी स्टेज पर लेना है। इस चरण में आपको अपने कंधे के ऊपर से बाएँ अथवा दाएँ देखना है कि आपके नजदीक कोई अन्य वाहन तो नहीं है। गर्दन घुमाकर कंधे के ऊपर से देखने से आप उन जगहों को भी चैक कर पाते हैं जिन्हें आप दर्पण में नहीं देख पाते। इन्हें ब्लाइंड स्पॉट (Blind Spots) कहा जाता है।

इस दौरान दोनों ओर किसी अवरोध, साइकिल चालक और पैदल चलने वालों को भी चैक करें। जब तक आपके व अन्य वाहनों के बीच समुचित दूरी न हो, कार्यवाही न करें।

एक्ट यानि कार्यवाही मैन्यूवर को पूरा करने का अन्तिम चरण है। जब पूर्णतया सुरक्षित हो, दिशा बदलने की कार्यवाही करें।

नीचे दिए गए उदाहरण में मध्य लेन से दाईं लेन (तीव्र लेन) में जाने के लिए एम॰एस॰एम॰ नियम का प्रयोग दर्शाया गया हैं–

चित्र 47

मिरर (दर्पण)

आसपास के यातायात का मानसिक चित्र बनाने के लिए चालक सबसे पहले दर्पण- अन्दर वाला रियर व्यू मिरर तथा दोनों विंग मिरर-की जाँच करता है।

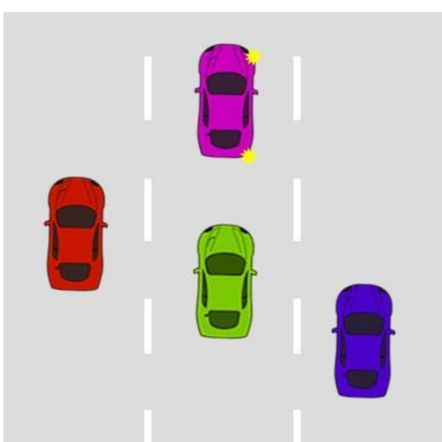

चित्र 48

सिग्नल (संकेत)

यातायात का आंकलन करने के पश्चात चालक दिशा (इस उदाहरण में लेन) बदलने का संकेत देता है। दिशा बदलने के लिए समय रहते अग्रिम संकेत देना आवश्यक है। इससे अन्य चालकों को अपनी स्थिति व गति समायोजित (adjust) करने का पर्याप्त समय मिल जाता है।

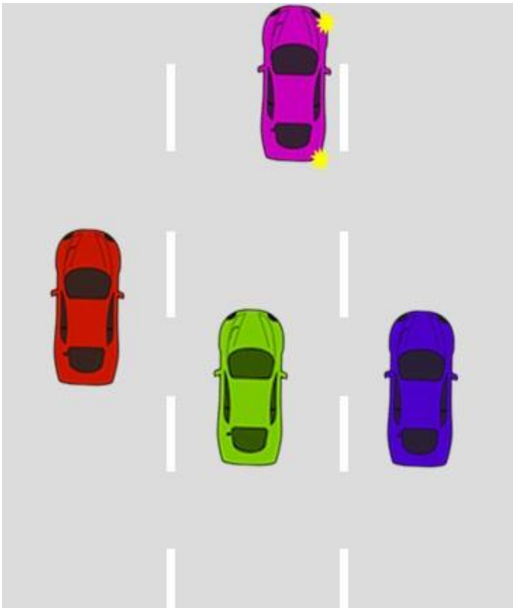

चित्र 49

मैन्यूवर

पोजिशन (स्थिति)

दिशा बदलने का संकेत देने के पश्चात वाहन को सही स्थिति में लाएँ। यदि आप पहले से ही दिशा बदलने के लिये अच्छी स्थिति में हों तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इस उदाहरण में चालक अपने वाहन को लेन के दाहिने छोर पर ले जाता है परन्तु वह अपनी लेन के भीतर ही रहता है।

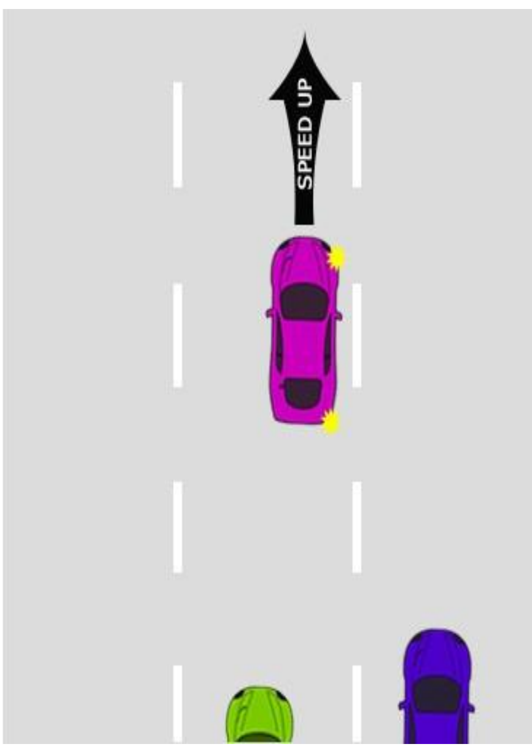

चित्र 50

स्पीड (गति)

इस चरण में सुरक्षित रूप से लेन बदलने के लिए अपने वाहन की गति और गियर को समायोजित किया जाता है।इस उदाहरण में लेन दाईं ओर बदली जानी है जो आम तौर पर तीव्र लेन होती है, इसलिए चालक अपनी गति बढ़ाकर दाईं लेन में चल रहे वाहनों के समान या उससे थोड़ी अधिक करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वाहन की गति तभी बढ़ानी चाहिए जब ऐसा करना सुरक्षित हो अन्यथा प्रतीक्षा करनी चाहिए। गति बदलने के बाद चालक तब तक अपनी नई गति व स्थिति को बनाए रखता है जब तक वह लेन बदलने का कार्य पूरा नहीं कर लेता।

चित्र 51

लुक (देखना)

लेन बदलने की कार्यवाही करने से पूर्व यह अंतिम चरण है। इस चरण में चालक अपने आसपास व दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखता है, ताकि एक अंतिम निर्णय ले सके कि दिशा बदलना सुरक्षित है अथवा प्रतीक्षा करना बेहतर है।

चित्र 52

एक्ट (कार्यवाही)

एक बार जब चालक फैसला कर लेता है कि लेन बदलना सुरक्षित है, वह चित्र में दिखाए अनुसार दिशा बदलने का कार्य पूर्ण करता हुआ सुरक्षित रूप से दाईं लेन में चला जाता है।

मार्ग का अधिकार

दूसरे लोगों के साथ सड़क साँझा करते समय मार्ग का अधिकार बहुत महत्त्वपूर्ण नियम है। यह नियम निर्धारित करता है कि किन परिस्थितियों में किस वाहन को पहले जाने का अधिकार है। सभी वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की जिम्मेदारी है कि यातायात के निर्बाध प्रवाह हेतु वे इस नियम का पालन करें। यह नियम शिष्टाचार और सामान्य ज्ञान पर आधारित है।

इस नियम को समझने के लिए कुछ आम स्थितियों का वर्णन किया जा रहा है–

- ऐम्बुलेंस,दमकल वाहन, पुलिस वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों को हर परिस्थिति में हमेशा मार्ग का अधिकार मिलता है (लेकिन तभी जब उनकी बत्ती जल रही हो)।

- ज़ेबरा पार पथ पैदल यात्रियों के लिए होता हैं। ज़ेबरा पार पथ और अनियंत्रित (जहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं लगी होती) पैदल पार पथ पर पैदल चलने वालों को मार्ग का अधिकार होता है। ज़ेबरा पार पथ से पहले अपने वाहन को धीमा करें और सड़क पार कर रहे पैदल यात्रियों को पहले रास्ता दें।
- यदि आप गोल चक्कर (Round about) में प्रवेश करने वाले हैं तो जो वाहन आपके दाहिनी ओर हैं यानि पहले से ही गोल चक्कर में हैं, उन्हें मार्ग का अधिकार है।
- स्लिप लेन से बाएँ मुड़ने के बाद मुख्य यातायात में विलय होते समय मुख्य सड़क पर चल रहे वाहन को पहले रास्ता दें।
- मुख्य सड़क में मिलने से पहले यदि स्टॉप सूचक लगा हो, तो स्टॉप लाइन पर रुकें तथा मुख्य सड़क खाली होने पर ही आगे बढ़ें। ऐसे में मुख्य सड़क पर चल रहे वाहनों को मार्ग का अधिकार होता है।
- यदि दो वाहन एक ही समय एक अनियंत्रित जंक्शन पर पहुँच जाएँ तो दाईं ओर के वाहन को मार्ग का अधिकार होता है।
- जब दाएँ मुड़ रहे हों तो सामने से सीधे आ रहे अथवा बाएँ मुड़ रहे वाहनों को मार्ग का अधिकार है।
- यदि किसी चौराहे पर सभी ओर स्टॉप सूचक या स्टॉप लाइन न हो, तो स्टॉप लाइन पर खड़े वाहन को उस ओर से आ रहे वाहनों को मार्ग का अधिकार देना चाहिए जिस ओर स्टॉप सूचक या स्टॉप लाइन नहीं है।
- अनियंत्रित तिराहे में प्रवेश करते समय मुड़ने वाले वाहन को सीधे जाने वाले वाहनों के लिए रास्ता देना चाहिए।
- जंक्शन पर छोटी सड़क से आ रहे वाहनों को मुख्य सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए रास्ता देना चाहिए।

नीचे दिये गये चित्रों में उपर्युक्त नियमों को और अधिक स्पष्ट किया गया है–

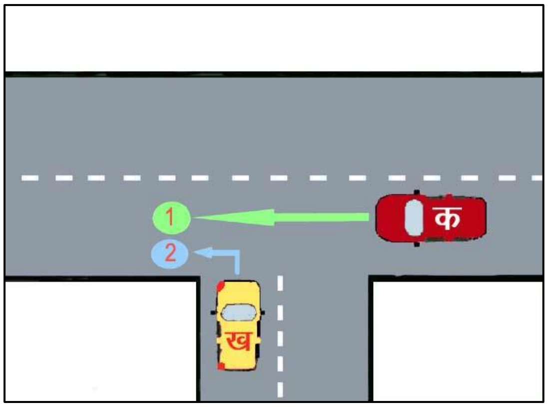

चित्र 53

मुख्य सड़क पर होने के कारण वाहन 'क' को मार्ग का अधिकार है। वाहन 'ख' मुख्य सड़क पर यातायात में विलय से पहले वाहन 'क' के गुजरने की प्रतीक्षा करेगा।

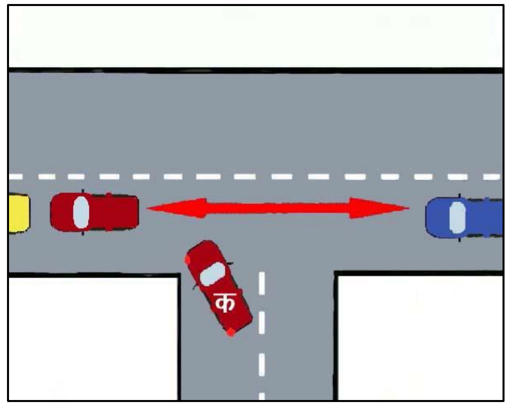

चित्र 54

वाहन 'क' मुख्य सड़क के यातायात में तभी विलय कर सकता है जब ऐसा करना सुरक्षित हो।

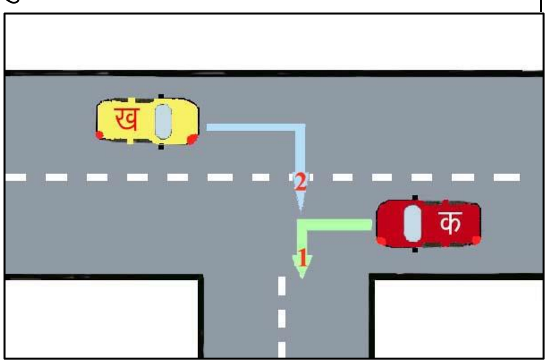

चित्र 55

वाहन 'ख' वाहन 'क' को मार्ग का अधिकार देगा क्योंकि वाहन 'क' अपनी दिशा में मुड़ रहा है तथा वाहन 'ख' विपरीत दिशा में मुड़ रहा है।

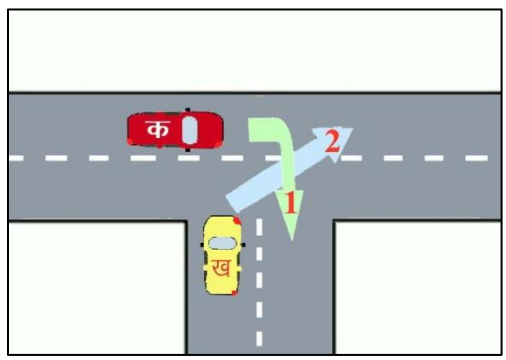

चित्र 56

मुख्य सड़क को छोड़ रहे वाहन 'क' को वाहन 'ख' की तुलना में मार्ग का अधिकार है क्योंकिवाहन 'ख' मुख्य सड़क में विलय करना चाह रहा है।

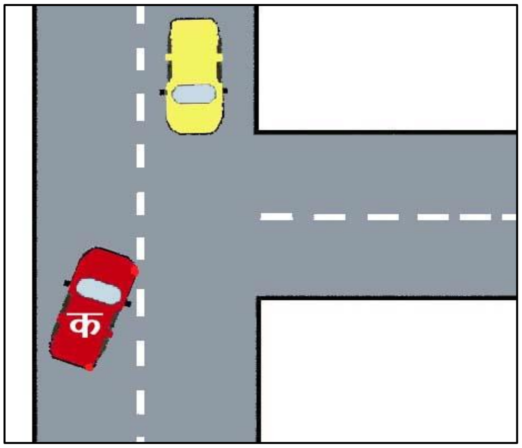

चित्र 57

दाईं ओर मुड़ने के लिएवाहन 'क' सामने से आ रहे वाहनों को मार्ग का अधिकार देगा तथा तभी मुड़ेगा जब उसे यातायात में सुरक्षित अन्तराल उपलब्ध होगा।

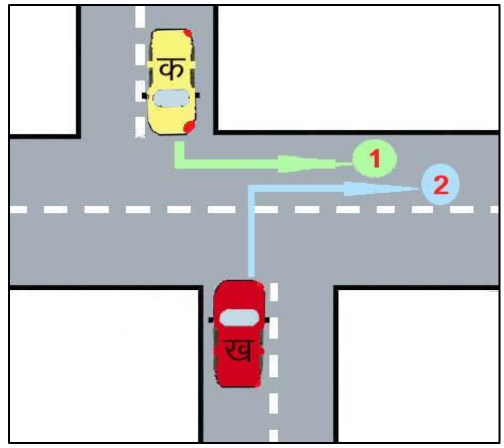

चित्र 58

वाहन 'क' को अपनी दिशा में मुड़ना है तथा वाहन 'ख' को विपरीत दिशा में जाकर यातायात में मिलना है। यहाँ वाहन 'ख' वाहन 'क' को मार्ग का अधिकार देगा।

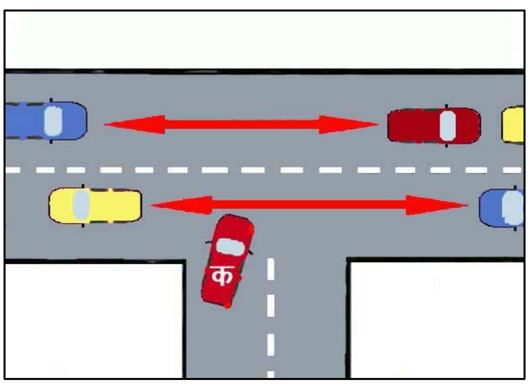

चित्र 59

चित्र 59 में वाहन 'क' दाईं ओर मुड़ रहा है। क्योंकि वह विपरीत दिशा में जाकर यातायात में विलय कर रहा है इसलिए वह तभी ऐसा कर सकता है जब दोनों तरफ सुरक्षित अन्तराल उपलब्ध हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

5.4. कोना काटना (Cutting corners)

कोना काटना भारत की सड़कों पर एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर वाहन चालक दाहिने मुड़ने का सही तरीका नहीं जानते व कोने काटने की गलती करके, अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। दाहिने मुड़ने का सही तरीका है– आप अपने वाहन को सीधे ले जायें तथा तभी मोड़ना शुरू करें जब दाईं ओर की सड़क की मध्य रेखा आपके वाहन के लगभग बीच में आ जाये, जैसा कि चित्र 60 में दर्शाया गया है। इस नियम का पालन करने से आप साइड रोड़ पर सही लेन में पहुँचेगें। यदि आप पहले से ही वाहन को दाहिने मोड़ना शुरू कर देगें (जैसा कि चित्र 61 में दिखाया गया है) तो साइड वाली सड़क से आ रहे वाहन से टकराने का खतरा होगा। सही तरीके से वाहन मोड़ने से साइड रोड़ से आ रहे वाहन को आपके वाहन को स्पष्ट रूप से देखने में भी मदद मिलती है।

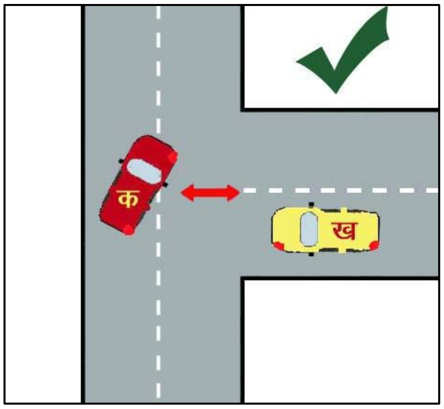

चित्र 60

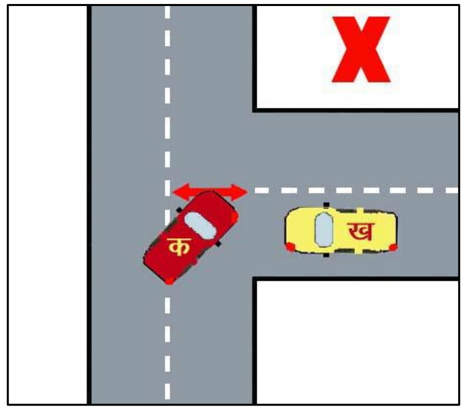

चित्र 61

यह नियम उन वाहनों पर भी लागू होता है जो बाजू वाली सड़क से आकर दांई ओर मुड़कर मुख्य सड़क में विलय कर रहे हो। जैसा कि चित्र 62 में दिखाया गया है।वाहन

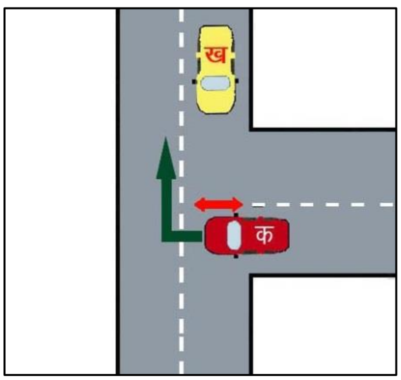

चित्र 62

'क' के चालक को तब तक सीधे आगे बढ़ना चाहिए जब तक उसके वाहन का अगला भाग सड़क के करीब–करीब बीच में न पहुँच जाए, उसके बाद हीदांई ओर मुड़ना चाहिए अन्यथादांई ओर से आ रहे वाहन से दुर्घटना हो सकती है।

5.5. सड़क पर शिष्टाचार

यद्यपि पिछले अनुभाग में बताए गऐ 'मार्ग के अधिकार' संबंधी सिद्धांतों का अनुपालन सामान्यतया हमेशा करना चाहिये, परन्तु कुछ परिस्थितियों में मार्ग का अधिकार होते हुए भी चालक को अपने वाहन को रोककर साइड रोड़ से आने वाले वाहनों को अपने से पहले यातायात में विलय करने अथवा मुख्य मार्ग पर सामने से आ रहे वाहनों को दांई ओर मुड़ने का अवसर अवश्य देना चाहिए। ऐसा करना न केवल शिष्टाचार अपितु अच्छे यातायात नियंत्रण के लिये भी आवश्यक है। जब–जब सड़क पर ट्रैफिक अधिक बढ़ जाता है, अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसे समय में यदि मुख्य मार्ग पर चल रहे वाहन रूक कर शिष्टाचार न दिखाऐं, तो ट्रैफिक जाम होने का खतरा बन जाता है (जैसा कि चित्र 63 में दर्शाया गया है।)

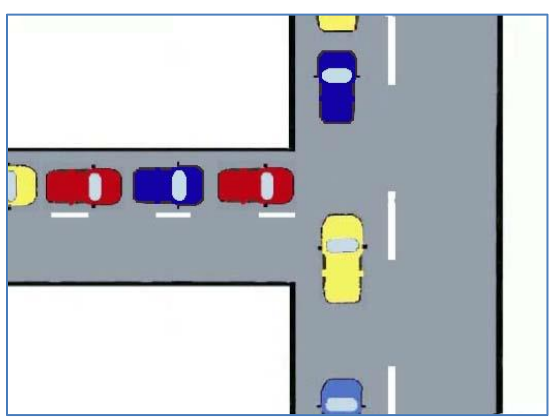

चित्र 63

जब भी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट खराब या बन्द होती है तो कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है जैसा कि चित्र 64 में दिखाया गया है। ऐसा शिष्टाचार की कमी के कारण होता है।

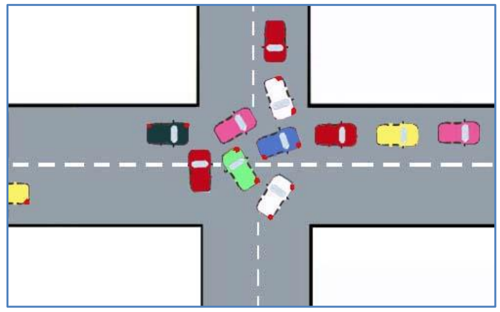

चित्र 64

भीड़–भाड़ वाले समय के दौरान चालक को चाहिए कि ज़ेबरा क्रॉसिंगपैदल यात्रियों के लिए खाली छोड़ दे। इसी प्रकार, किसी चौराहे पर, अगर संकेत हरा भी है लेकिन चौराहे से आगे सड़क खाली नहीं है, तो एक विनम्र चालक अपनी गाड़ी चौराहे से पहले ही रोक लेता है ताकि जंक्शन बॉक्स खाली रहे। सड़कों पर, विशेषकर उत्तर भारत में, शिष्टाचार का अभाव अक्सर देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर जब रेल का फाटक बन्द हो जाता है, तो दोनों ओर वाहनों की लम्बी कतारें लग जाती है। ऐसे में कार व दुपहिया चालक आमतौर पर सामने से आ रही लेन में घुस कर उसे जाम कर देते हैं। परिणामस्वरूप जैसे ही फाटक खुलता है, वाहन फॅस जाते हैं, जैसा कि चित्र 65 में दिखाया गया है।

चित्र 65

5.6. सुरक्षित ड्राइविंग के नुस्खे

सुरक्षित या रक्षात्मक ड्राइविंग का अर्थ है कि जुर्माने, चालान, दुर्घटना, किसी प्रकार के नुकसान, चोट अथवा सड़क पर दूसरों के साथ किसी परेशानी के बिना अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुँचना। दूसरे शब्दों में जिम्मेदारी और सामान्य ज्ञान के साथ ड्राइविंग करना। ड्राइविंग सीखने का मकसद केवल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि इसके सही मायने हैं ड्राइविंग की अच्छी आदतों को आत्मसात करना। नीचे कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव हैं जो आपको एक सुरक्षित और जिम्मेदार चालक बनने में सहायक सिद्ध होगें–

- यातायात चिह्नों और संकेतों का हर समय पालन करें। चाहे कोई न भी देख रहा हो, लाल बत्ती पर अवश्य रुकें। रोलिगं स्टॉप (स्टॉप रेखा पर रूककर धीरे-धीरे चलते रहना) इत्यादि जैसी धोखाधड़ी न करें। स्टॉप लाइन स्टॉप सूचक पर पूरी तरह से रुकें।
- वाहन चलाते हुए रियर-व्यू मिरर व साइड मिरर (दर्पण) नियमित रूप से देखते रहें जिससे आसपास के यातायात की जानकारी रहे। इसी प्रकार दिशा बदलते हुए

कंधे के ऊपर से पीछे देखकर ब्लाइंड स्पॉट को अवश्य चैक करें। हमेशा अन्य वाहनों, विशेष रूप से बड़े ट्रकों के ब्लाइंड स्पॉट के बारे में सावधान रहें तथा दूसरे वाहनों के ब्लाइंड स्पॉट से बाहर रहें।

- मुड़ते समय या लेन बदलते समय उचित संकेत दें।
- सचेत रहें और लगातार सड़क पर संभावित खतरोंके प्रति सजग रहें।
- शराब या किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में, नींद में अथवा यदि आप थकान महसूस कर रहे हों तो वाहन न चलाऐं।
- ड्राइविंग करते हुए ध्यान भंग होना खतरनाक हो सकता है। ड्राइविंग करते हुए कोई अन्य काम फोन पर बात करना, खाना, फिल्म देखना, रेडियो/सी॰डी॰ प्लेयर/जी॰पी॰एस॰ समायोजित करना, मेकअप करना इत्यादि, कदापि न करें।
- अपने वाहन की गति सड़क, मौसम और अन्य परिस्थितियों के अनुसार रखें।
- आगे चल रहे वाहन से सटकर (Tailgating) न चलें, बल्कि उससे सुरक्षित दूरी बनाये रखें। आगे वाले वाहन से सुरक्षित दूरी निर्धारित करने के लिए 2 सैकंड नियम का पालन करें।
- अपने वाहन को अच्छी हालत में रखें। विंडस्क्रीन, खिड़कियाँ और दर्पण साफ रखें और टायरों में हवा का दबाव पर्याप्तरखें।
- सड़क को ट्रक, साइकिल, पैदल यात्री, मोटरसाइकिल और सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ समानता व शिष्टाचार के आधार पर सांझा करें।
- विनम्र बनें और आक्रामक ड्राइविंग न करें। ड्राइविंग कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसे जीतना जरूरी है। वाहन चलाने का प्रयोजन केवल अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुँचना है।
- वाहन में सभी यात्रियों को सीट बेल्ट पहनने के लिए प्रेरित करें। शिशुओं और बच्चों को वाहन की पीछे की सीटों पर बैठाएँ। उनको आगे बैठाना असुरक्षित हो सकता है।
- वाहन में प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा रखें।
- सड़क की असमतल और ऊबड़–खाबड़ पटरी बारे खास तौर पर सावधान रहें, यह सड़क की तुलना में नीची हो सकती है और दुर्घटना का कारण बन सकती है।
- पशुओं और धीमी गति से चलने वाले वाहनों का ध्यान रखें। उन्हें धीरे–धीरे और तभी पार करें जब ऐसा करना सुरक्षित हो।
- आपातकालीन वाहनों को रास्ता दें और उनका पीछा कभी न करें। आपातकालीन वाहन का सायरन सुनते ही लेन बदल लें और उन्हें जाने की जगह दें।

- दुपहिया वाहन की सवारी करते समय हमेशा हेलमेट पहनें।
- मानवरहित रेलवे लाइन को पार करते समय सतर्क रहें। केवल निर्धारित क्रॉसिंग से ही रेलवे लाइन को पार करें। रेलगाड़ी के साथ तेज़ चलने की स्पर्धा न करें, क्योंकि रेलगाड़ियाँ प्रायः जितनी दिखती हैं,उससे बहुत तेज गति से चल रही होती हैं।
- एक अभिभावक के रूप में युवा पीढ़ी को सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में जागरूक करना आपकी जिम्मेदारी है। उन्हें अच्छी ड्राइविंग करने हेतु प्रोत्साहित करें। याद रखें कि यदि अभिभावक स्वयं सुरक्षित ड्राइविंग के नियमों का पालन नहीं करेगें तो उनके किशोर बच्चे भी उनका ही अनुसरण करेगें।
- उम्र बढ़ने के साथ–साथ व्यक्ति की नजर कमजोर हो जाती है, शरीर में शक्ति और लचीलापन कम हो जाता है तथा प्रतिक्रिया सुस्त हो जाती है। ऐसे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन ड्राइविंग को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अपनी शारीरिक विशेषकर आँखों की नियमित रूप से जाँच करवाएँ। यदि आप कोई दवा लेते हैं, तो अपने ड्राइविंग कौशल और दृष्टि पर उसके प्रभाव बारे पता कर लें।
- बच्चों को वाहनों के अन्दर या आसपास खेलने अथवा वाहन की डिग्गी में छुपने के खतरों के बारे में अवश्य बतायें। कोई बच्चा गायब हो जाये, तो अपने वाहन और उसकी डिग्गी को तुरन्त चैक करें।
- बच्चों या पालतू जानवरों को कभी भी वाहन में अकेला न छोडें, चाहे आप थोड़े समय के लिए ही वाहन से दूर जा रहे हों।
- पैदल चलने वालों के लिए रुकें और उन्हें पहले जाने दें। इसी प्रकार बच्चों का खास ध्यान रखें, विशेष रूप से आवासीय क्षेत्रों में तथा स्कूलों व स्कूल बसों के आस–पास बच्चे अचानक आपके रास्ते में आ सकते हैं।

5.7. मुड़ने के संकेत

यदि आप गति धीमीकरना चाहते हैं अथवा रुकनाया मुड़ना चाहते हैं, तो उचित संकेत दीजिए ताकि सड़क के अन्यउपयोगकर्ताओं को प्रतिक्रिया करने का पर्याप्त समय मिल सके। निम्नलिखित परिस्थितियों में संकेत दिया जाना चाहिए–

- लेन बदलने से पूर्व
- धीमे होने या रुकने से पूर्व
- चौराहे पर मुड़ने से पूर्व
- राजमार्ग पर प्रवेश करने या बाहर निकलने से पूर्व

- सड़क के किनारे से वाहन स्टार्ट करके यातायात में विलय करने के लिए चलना शुरू करने से पूर्व, और
- सड़क के छोर पर जाने या सड़क के किनारे रुकने से पूर्व।

अपनी दिशा बदलने से पूर्व संकेत देना अच्छी आदत है। चाहे आपके आस–पास कोई भी वाहन न हो, संकेत अवश्य दें। संकेत समय रहते देना चाहिए ताकि अन्य चालकों को प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिल सके।लेकिन बहुत पहले से संकेत देना भी ठीक नहीं होता। विशेषकर मुड़ने का संकेत तभी देना चाहिए जब आपका मोड़ नजदीक आ जाये। बहुत पहले से संकेत न दें।

दिन के उजाले में जब दृश्यता सामान्य हो, तो आप मुड़ने का संकेत वाहन के बिजली संचालित सूचकों के बजाय अपने हाथ से भी दे सकते हैं। रात के समय या ऐसी स्थिति में जब आपके हाथ के संकेत दूसरों को न दिखें, बिजली संचालित संकेतों का उपयोग करें। नीचे दिए गए चित्रों में विभिन्न प्रकार के हाथ के संकेतों को स्पष्ट किया गया हैः–

चित्र 66

दाएँ मुड़ना

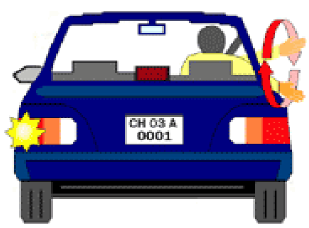

चित्र 67

बाएँ मुड़ना

चित्र 68

रूकना

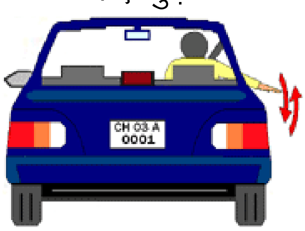

चित्र 69

धीमे होना

चित्र 70

पीछे आ रही कार ओवरटेक कर सकती है

5.8. गति सीमा

मोटर वाहन दुर्घटनाओं के पीछे गति एक प्रमुख कारक है, इसलिये चालक को निर्दिष्ट गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए। सुरक्षित गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है–

- सड़क कीस्थिति– मोड़, संकरे पुल, गीली और फिसलन भरी सड़क, ढीली बजरी तथा ऊबड़–खाबड़ रास्ते पर गति कम कर लें।

- दृश्यता– अंधेरा, बारिश, कोहरा, धूल, बर्फ, पहाड़, अन्य रूकावटें दृश्यता को कम कर देते हैं, ऐसे में गति धीमी कर लें।
- यातायात– भारी यातायात का अर्थ है दुर्घटना का खतरा। अतएव वाहन धीरे चलायें।
- यातायात की गति–जब आप अन्य वाहनों के मध्य में हों, तो उनकी औसत गति आपके लिए सुरक्षित गति है,बशर्ते यह गति सीमा के भीतर हो। अन्य वाहनों की तुलना में तेज या धीमे चलने से दुर्घटना की संभावना बनी रहतीहै।
- वाहन की स्थिति–विशेषकर टायरों और ब्रेक प्रणाली की हालत वाहन पर आपके नियंत्रण को प्रभावित कर सकती है। यदि आपका वाहन घिसे हुए टायर और कम कारगर ब्रेक प्रणाली वाला है, तो धीरे चलने में ही भलाई है।
- चालक की शारीरिक व मानसिक स्थिति– ड्राइविंग करते समय आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति आपकी सतर्कता को प्रभावित कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप वाहन पर आपका नियंत्रण कम हो सकता है।

आपकी गति जितनी अधिक होगी, आपके पास प्रतिक्रिया के लिए उतना ही कम समय होगा तथा आपके धीमे होने या रुकने की दूरी बढ़ जायेगी।तेज़ गति से यात्रा करने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे, यदि दुर्घटना बहुत अधिक गति पर हो गंभीर चोट लगने का खतरा भी अधिक हो जाता है।

गति सीमा

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर अधिकतम गति सीमा से अधिक अथवा न्यूनतम गति सीमा से धीरे वाहन नहीं चलाएगा। अधिकतम तथा न्यूनतम गतिसीमा का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा इसी प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर किया जाता है।

यदि आप किसी बारात, सेना या पुलिस के मार्चपास्ट, सड़क पर मरम्मत कार्य के दौरान गुजर रहे हैं, तो आपकी गति 25 कि॰मी॰ प्रति घण्टा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए निर्दिष्ट गति सीमा निम्न तालिका में दी गई हैः–

वाहन का प्रकार	राष्ट्रीय राजमार्ग (कि॰मी॰/घ॰)	राज्य राजमार्ग (कि॰मी॰/घ॰)	अन्य मुख्य सड़कें (कि॰मी॰/घ॰)
बस/ ट्रक	65	65	60
कार/ जीप	90	80	70
मोटरसाइकिल/ स्कूटर	50	50	45

ध्यान रखें कि गति सीमा आदर्श परिस्थितियों को मान कर निर्धारित की जाती है। यदि परिस्थितियाँ अनुकूल न हों, तो आप आवश्यकतानुसार गति धीमी कर लें।

6. सड़क को सांझा करना

हर चालक की जिम्मेदारी है किवह केवल वाहन चलाने परध्यान केंद्रित करे और अपने आस पास कीपरिस्थितियों बारे जानकारी रखे।बहुत सारी सड़क दुर्घटनाओं को मात्र यातायात नियमों का पालन करके और अन्य चालकों के प्रति शिष्टाचार दिखा कर रोका जा सकता है। याद रखें कि सार्वजनिक सड़कें और राजमार्ग सभी की सांझी सम्पति हैं तथा इन पर सभी का समान अधिकार है।

यह अध्याय 'सड़क विनियम नियमावली, 1989' (Rules of the road regulations, 1989)पर आधारित है। वाहन चलाने के मौलिक सिद्धांतों– जैसे मार्ग का अधिकार, ओवरटेकिंग करना, वाहन मोड़ना तथा पार्किंग करना आदि के बारे में बताया गया है। इस नियमावली की पालना सड़क पर वाहन चलाते समय एक आधारभूत मार्गदर्शिका के रूप में की जानी चाहिए।

6.1. बाएँ चलना

भारतवर्ष में वाहन सड़क के बाईंओर चलाये जाते हैं। अपने वाहन कोबाईं ओर रखना और सामने से आ रहे यातायात को दाईं ओर से जाने देनाएकमहत्त्वपूर्ण नियमहै, जिसका सदैव पालन करना चाहिए। दुर्घटना से बचने के लिए जितना हो सके बाईं ओर रहें। यदि आप एक लेन वालेमार्ग पर वाहन चला रहें हों तो वाहनको सड़क के बायें छोरके करीब रखें।

6.2. लेन बदलना

लेन बदलना खतरनाक हो सकता है इसलिये ऐसा अत्यन्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। लेन बदलते हुएएम॰एस॰एम॰ नियम का पालन करें तथा लेन बदलने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके आगे, पीछे व साइड में पर्याप्त खाली जगह हो ताकि किसी अन्य वाहन से टकराव की सम्भावना न रहे।

ब्लाइंड स्पॉटवे स्थान होते हैं जो आपके वाहन के रियर–व्यू मिरर अथवा साइड मिरर यानि दर्पण में दिखाई नहीं देते। परिणामस्वरूप इन जगहों पर चल रहे वाहन, पैदल यात्री या अन्य वस्तुएँ आपके वाहन के रियर–व्यू मिरर अथवा साइड–मिरर में दिखाई नहीं देतीं। अतः चालक कोअपने ब्लाइंड स्पॉट की जानकारी होना बहुतमहत्त्वपूर्ण है। लेन बदलने से पहले अपने कंधे के ऊपर से पीछेकी ओर ब्लाइंड स्पॉट में वाहनों या पैदल चलने वालों को अवश्यदेखें। इसके अलावा, दूसरे चालकों के ब्लाइंड स्पॉट में ड्राइविंग करनेसे बचें। ध्यान रखें कि वाणिज्यिक वाहनों के आकार और बनावट के कारण उनके ब्लाइंड स्पॉट क्षेत्र में बड़े होते हैं।

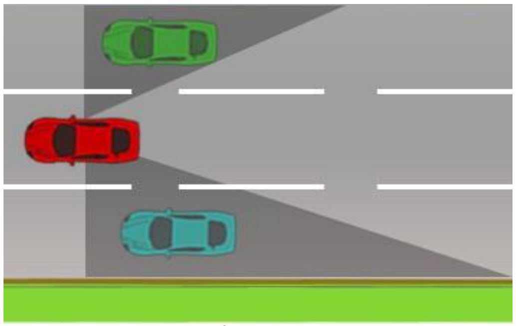

चित्र 71

कार के ब्लाइंड स्पॉट (छायांकित क्षेत्र)

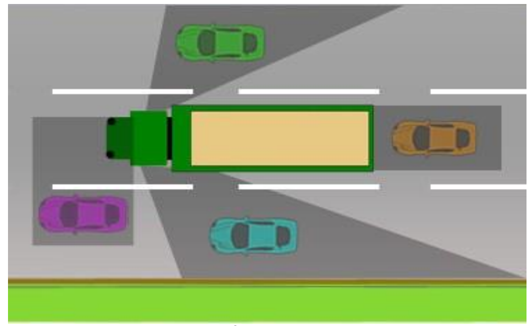

चित्र 72

वाणिज्यिक वाहन के ब्लाइंड स्पॉट (छायांकित क्षेत्र)

6.3. मुड़ना

गलततरीके से या सहीसंकेत दिये बिना मुड़ना दुर्घटना का कारण बन सकता है।मुड़ने से पहले अपने वाहन को उचित लेन में सुरक्षित तरीके से ले जायें।लेन बदलते समय या मुड़ते समय हमेशाएम॰एस॰एम॰ नियम का पालन करें। तभी मुड़ें जब ऐसा करना सुरक्षित हो। बाएँ मुड़ते समय दाईं ओर से आ रहेयातायात का ध्यान अवश्यरखें। इसी प्रकारदाईं ओर मुड़ते समय सामने से अथवा बाईं ओर सेआ रहे यातायात का ध्यान रखें। यदि आपने लेन बदलनी हो तो अपनी बारी आने पर एम॰एस॰एम॰ नियम का पालन करने के बाद ही ऐसा करें। यदि चौराहेपर ट्रैफिक लाइटयापुलिसकर्मीद्वारा यातायातनियंत्रित किया जा रहा हो तो उचित संकेत मिलने पर ही मुड़े।

मुड़ने का सही तरीका

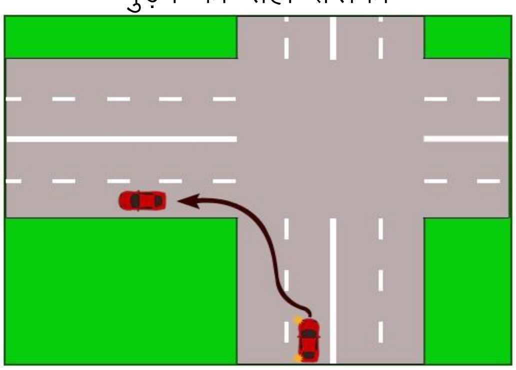

चित्र 73

बाँया मोड़ः यदि लेनमें मुड़ने हेतु तीर के निशान न बनाये गये हों, तो एम॰एस॰एम॰नियम का पालन करते हुऐ पीछे आ रहे यातायात को ध्यान में रखकर व उचित संकेत देते हुए पर्याप्त समय पहले सबसे बाईं लेन में चले जाएँ। बाएँ मुड़ने का संकेत निरन्तर देते रहें ताकि अन्य लोगों को आपकी बाएँ मुड़ने की मंशा का पता चल जाए। तत्पश्चात जब सुरक्षित हो, सावधानीपूर्वक सबसे बाईं लेन में मुड़ें। मुड़ते वक्त चौराहे में चल रहे पैदल यात्रियों व वाहनों को पहले रास्ता दें तथा सीधे जा रहे यातायात का ध्यान रखें।

मुड़ने का गलत तरीका

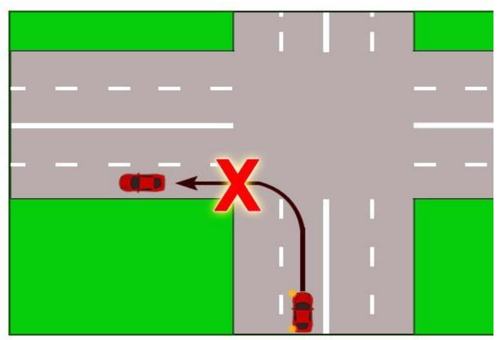

चित्र 74

गलत बाँया मोड़ः मुड़ते समय लेन जम्प ना करें। यदि लेन में मुड़ने के तीरनुमा निशान अंकित न हों तो सबसे बाईं लेन में जाकर मुड़ें।

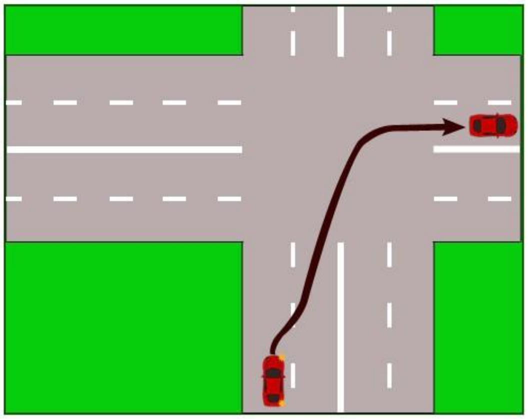

चित्र 75

दायाँ मोड़ः अपने पीछे आ रहे यातायात को देखते हुए व अपनी मुड़ने की मंशा का संकेत देते हुए समय से मध्य रेखा के सबसे पास की लेन में चले जाएँ। दाएँ मुड़ने का संकेत निरन्तर दें ताकि अन्य लोगों को आपके दाएँ मुड़ने का पता चल जाए। सावधानीपूर्वक अपनी लेन में रहते हुए मध्य रेखा के बाईं ओर की लेन में मुड़ें। मुड़ते समय सीधे जा रहे यातायात व सामने से आ रहे यातायात का ध्यान रखें।

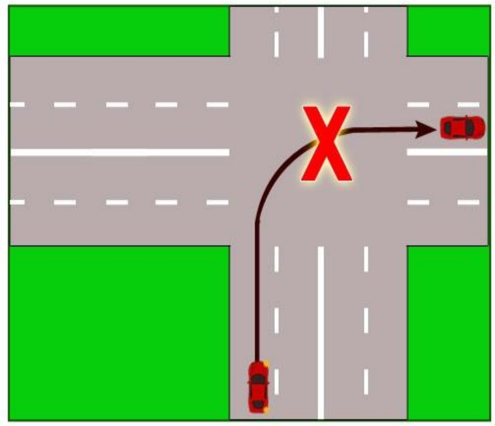

चित्र 76

गलत दायाँ मोड़ : गलत लेन से दाईं ओर न मुड़ें। पहले मध्य रेखा के सबसे पास की लेन में जाएँ और फिर दाईं ओर मुड़े। मुड़ते समय लेन जम्प न करें।

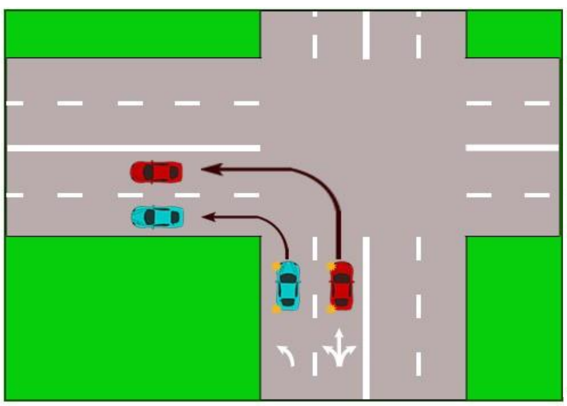

चित्र 77

मल्टीलेन बाँया मोड़ः यदि सड़क पर एक या एक से अधिक लेन में बायें मुड़ने के तीरनुमा निशान बने हों, तो पीछे से आ रहे यातायात को देखते हुए व अपनी मंशा का संकेत देते हुए समय से बाईं ओर मुड़ने वाली लेन में चले जाएँ तथा बाएँ मुड़ने का संकेत निरन्तर देते हुए तथा जब सुरक्षित हो, सावधानीपूर्वक मुड़ें। मुड़ते समय अपनी लेन में रहें तथा चौराहे में चल रहे पैदल यात्रियों व वाहनों को रास्ता दें।

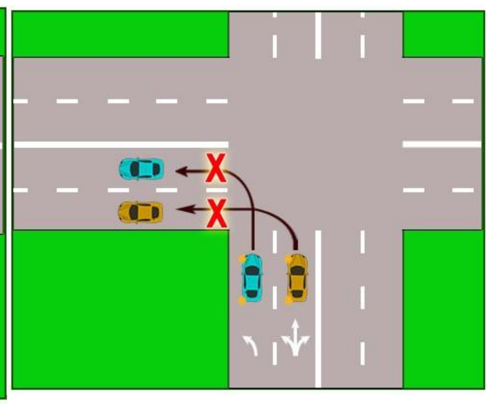

चित्र 78

गलत मल्टीलेन बाँया मोड़ः मुड़ते समय लेन को अचानक जम्प न करें तथा गलत लेन में न मुड़ें। किसी दुर्घटना से बचने के लिए अपनी लेन में ही रहें।

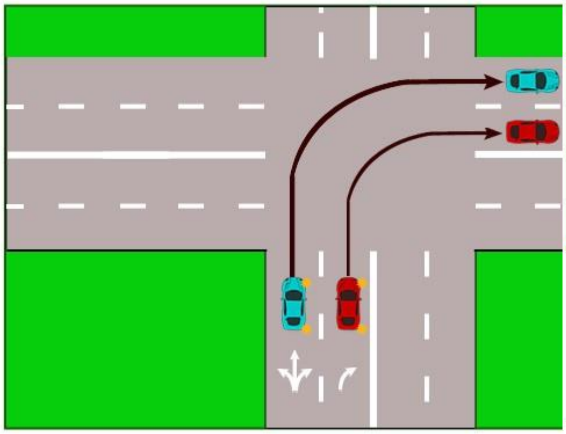

चित्र 79

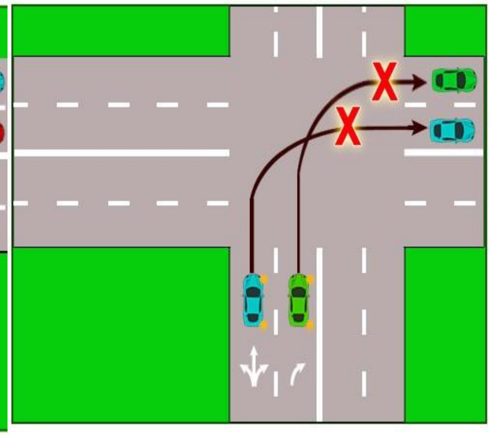

चित्र 80

मल्टीलेन दायाँ मोड़ः यदि सड़क पर एक या एक से अधिक लेन में दाँयें मुड़ने के तीरनुमा निशान बनें हों तो पीछे आ रहे यातायात को देखते हुए व अपनी मंशा का संकेत देते हुए समय से दाईं ओर मुड़ने वाली लेन में चले जाएँ। दाएँ मुड़ने का संकेत निरन्तर दें ताकि अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं को आपके दाएँ मुड़ने की मंशा का पता चल जाए तथा जब सुरक्षित हो सावधानीपूर्वक मुड़ें। मुड़ते समय अपनी लेन में रहें और सीधे जा रहेव सामने से आ रहे यातायात का ध्यान रखें।

गलत मल्टीलेन दायाँ मोड़ः मुड़ते समय लेन को अचानक जम्प न करें तथा गलत लेन में न मुड़ें। किसी दुर्घटना से बचने के लिए अपनी लेन में ही रहें।

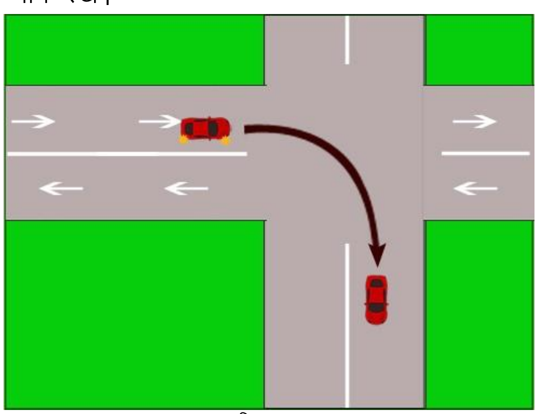

चित्र 81

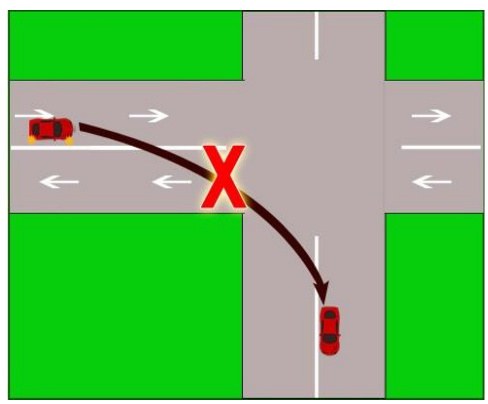

चित्र 82

सहीदायाँ मोड़ः वाहन को दाएँ मोड़ने से पहले चौराहे में प्रवेश करने के बाद कम से कम रास्ते के चौथे हिस्से तक सीधे चलें। तत्पश्चातदाँये मुड़ना शुरू करें तथा सही लेन में प्रवेश करें।

गलत दायाँ मोड़ः चौराहे में प्रवेश से पहले ही मुड़ना प्रारंभ न करें। कभी भी मध्य रेखा को न लांघें। ऐसा करनेसे सामने से आ रहे यातायात केप्रवाह में अवरोध पैदा होता है।साथ ही आपका वाहनबाएँ मुड़ने वालेयातायात को भी अवरूद्ध कर देता है जिससे दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है।

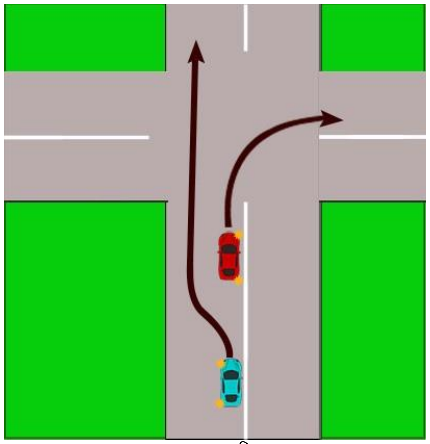

चित्र 83

दाएँ मुड़ने का संकेत दे रहे वाहन को ओवरटेक करने का सही तरीका: दाएँ मुड़ने का संकेत दे रहे रुके हुए वाहन को ओवरटेक करने का उचित तरीका बाईं ओरसे होता है। एम॰एस॰एम॰ नियम का पालन करते हुए ओवरटेक करने के लिए बाईं लेन में जाने का संकेत देकर ओवरटेक करें।

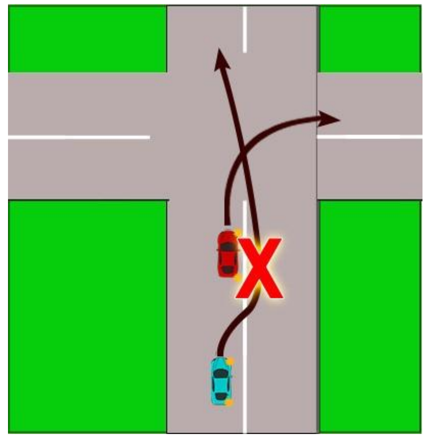

चित्र 84

दाएँ मुड़ने का संकेत दे रहे वाहनको ओवरटेक करने का गलत तरीका: दाएँ मुड़ने का संकेत दे रहे रुके हुए वाहन को दाईं ओर से ओवरटेक न करें।

6.4. ओवरटेक करना

किसी अन्य वाहन को ओवरटेक करने में सावधानी की आवश्यकता होती है। तभी ओवरटेक करें जब ऐसा करना सुरक्षित हो। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपके और आगे चल रहे वाहन के बीच पर्याप्तदूरी हो। इसके बाद एम॰एस॰एम॰ नियम का पालन करते हुए लेन बदलें। दाईं ओर मुड़ने का संकेत दे रहे वाहन को छोड़करअन्य सभी वाहनों को हमेशा दाईं ओर से ओवरटेक करें।

यदि आप एकल लेन की सड़क पर ओवरटेक करना चाहते हैं,तो ऐसा तभी करें जब सुरक्षित हो तथा आपके व सामने से आ रहे यातायात के बीच पर्याप्तदूरी हो। अपनीगति तथा ओवरटेक किये जाने वाले व सामने से आ रहे वाहन की गति का सावधानीपूर्वक आंकलन करने के बाद तभी ओवरटेक करें जब आप ओवरटेक करने के उपरान्त सुरक्षित अपनी लेन में वापिस आने की स्थिति में हों, अन्यथा प्रतीक्षा करें।

ओवरटेक न करें यदि–

- आप चौराहे के पास हों अथवा चौराहे में हों,
- आप मोड़ पर आगे स्पष्ट न देख सकते हों,
- आप रेलवे क्रॉसिंग पर अथवा सुरंग के अन्दर हों, अथवा
- सामने से आ रहा वाहन ओवरटेक करने के लिए सुरक्षित दूरी पर न हो।

यदि कोई अन्य वाहन आपको ओवरटेक कर रहा हो तो आपको अपनी गति कम करके तथा सड़क के बाईं ओर जाकर उस चालक कोआगे जाने देना चाहिए।

6.5. गोल चक्कर **(Roundabout)**

गोल चक्कर चौराहे अथवा T-जंक्शनपर यातायात नियन्त्रण के लिये बनाये जाते हैं। ये प्रायः वृताकार अथवा एक टापू की शक्ल में होते हैं। वाहन इनके चारों ओर घड़ी की सुइओं की दिशा में घूमते हुए अपने गन्तव्य की ओर बढ़ते हैं जैसा कि चित्र 85में दर्शाया गया है। गोल चक्कर मेंप्रवेश कर रहे वाहन को अन्य सभी वाहनों व पैदल यात्रियों को रास्ता देना चाहिए। गोल चक्कर में प्रवेश करतेसमयऔर उससे निकलते समय एम॰एस॰एम॰ नियम का पालन करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। किसीगोल चक्कर से सुरक्षित व कारगर तरीके से गुजरने के मुख्य नियम निम्नलिखित हैः–

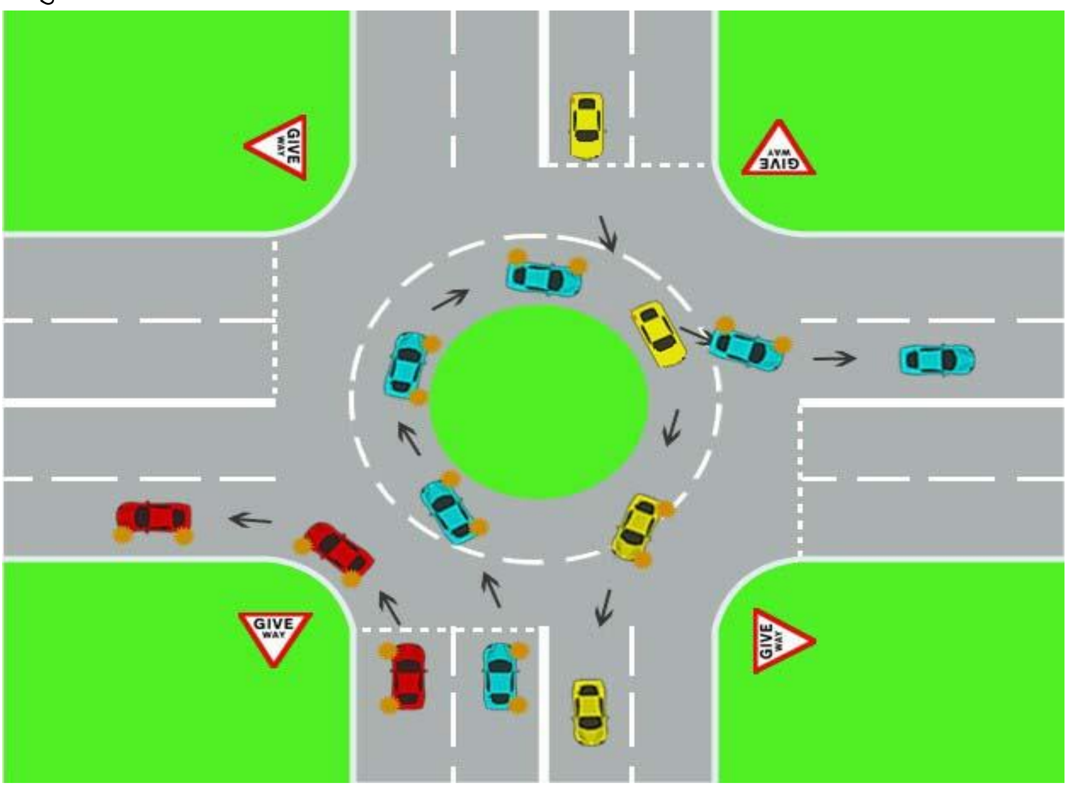

चित्र 85

1. हमेशा घड़ीकी सुइओं की दिशा में चलें।
2. हमेशा अपने दाईं ओर के वाहनों को मार्ग का अधिकार दें।
3. सही दिशासूचक संकेत दें।
4. गोल चक्कर में प्रवेशकरते हुए व निकलतेसमयएम०एस०एम० नियम का पालन करें।

बाएँ मुड़ना

ऊपर चित्र में लाल वाहन गोल चक्कर पर बायें मुड़ने का सही तरीका दर्शाता है–

1. बाएँ मुड़ने का संकेत देकर एम०एस०एम० नियम का पालन करते हुएसबसे बाईं लेन में पहुँचें।
2. गोल चक्कर में पहले से चल रहेयातायात को रास्ता दें। इसी प्रकारपैदल यात्रियों को मार्ग का अधिकार होता है, उनका भी सम्मान करें तथा उन्हे पहले रास्ता दें।

3. यदि आगे रास्ता खुला हो, तो सबसे बाईं लेन में रहते हुएसावधानीपूर्वकगोल चक्कर में प्रवेश करें तथा बाएँ मुड़ने का संकेत निरन्तर देते रहें।
4. गोल चक्कर में बाईं लेन में रहें और अपने गन्तव्य मार्ग की बाईं लेन में निकास करें।

सीधे जाना

चित्र 83 में पीला वाहन गोल चक्कर पर सीधे जाने का सही तरीका दर्शाताहै–

1. गोल चक्कर में प्रवेश हेतु सही लेन का चयन करें। यदि सड़क पर अंकित न हो तो आमतौर पर दाईं लेन में रहना सबसे सुरक्षित होता है।
2. गोल चक्कर में पहले से चल रहेयातायात को रास्ता दें। इसी प्रकारपैदल यात्रियों को मार्ग का अधिकार होता है, उनका सम्मान करें तथा उन्हें पहले सड़क पार करने दें।
3. गोल चक्कर मेंदाईं ओर रहें, जब तक आपको बाहर निकलने के लिए लेन बदलने की आवश्यकता न हो।
4. जिस भी मार्गसे आप बाहर निकलना चाहते हैं उससे पहले वाला मार्ग निकलते हीबाईं ओर मुड़ने का संकेत दें और सुरक्षित रूप से एम०एस०एम० नियम का पालन करते हुए निकास करें।

दाएँ मुड़ना वयू–टर्नलेना

चित्र 83 में नीला वाहन गोल चक्कर पर दाईं ओर मुड़ने का सही तरीका दर्शाता है–

1. दायें मुड़ने कासंकेत दें और एम०एस०एम० नियम का पालन करते हुए सबसेदाईं ओर की लेन में पहँचें।
2. पैदल चलने वालों और गोल चक्कर में पहले से ही चल रहे वाहनों को रास्ता देते हुए सावधानी से आगे बढ़ें।
3. गोल चक्कर पर दाईं ओर रहें, जब तक आपको बाहर जाने के लिए लेन बदलने की आवश्यकता न हो।
4. जिस मार्ग पर आप बाहर निकलना चाहते हैं उससे पहले वाले मार्ग को पार करने के तुरन्त बाद बाईं ओर मुड़ने का संकेत दें और सुरक्षित रूप से एम०एस०एम० नियम का पालन करते हुए गोल चक्कर से बाहर निकल जायें।

यू–टर्न लेने के लिए भी यही रणनीति अपनाई जानी चाहिए।अपने वाहन को गोल चक्करके चारों ओर घुमाते समय लगातारदाईं ओर मुड़ने का संकेत देते रहें तथा जिस मार्ग से आप बाहर निकलना चाहते हैं उससे पहले वाले मार्ग को पार करते ही बाईं ओर मुड़ने का

संकेत दें और एम०एस०एम० नियम का पालन करते हुए सुरक्षित रूप से बाहर निकल जायें।

6.6. यू–टर्न

यू–टर्न 180 डिग्री के मोड़ को कहते हैं। यू–टर्न तब लिया जाता है जब आप अपने वाहन को बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाना चाहें। कुछ स्थानों पर 'यू–टर्न निषिद्ध' का संकेत लगा होता है, ऐसे स्थानों पर यू–टर्न न लें।इसके अतिरिक्तजहाँअसुरक्षित हो अथवा यातायात बाधित होता हो, वहाँ भी यू–टर्न न लें।

6.7. बैक (रिवर्स) करना

किसी वाहन को रिवर्स करना यानि बैक करनामुश्किल हो सकता है।इसके लियेगहन अभ्यास और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बैक करने से पहले अपने वाहन के चारों ओर चल कर सुनिश्चित कर लें कि गाड़ीके पीछे कुछ न हो। वाहन के सामने व साइडों में भीअच्छे से देख लें। वाहन को बैककरतेसमय पीछे के शीशे से निरन्तर पीछे देखते रहें। जब आप अपने घर अथवा गैराजसे वाहन को बाहर सार्वजनिक सड़क पर ले जाने के लिए बैक कर रहे हों तो सबसे निकटतम लेन में धीरे–धीरे और सावधानी से प्रवेश करें। राजमार्गों पर वाहन को बैक करनेकी अनुमति नहीं होती।केवल यातायात पुलिस के निर्देश पर आपऐसा कर सकतेहैं। बैक करते समय आप अपनी सीट बैल्ट खोल सकते है ताकि आपको पीछे देखने में कठिनाई न हो। यदि सीधा पीछे अथवा बाईं दिशा में रिवर्स कर रहे हों तो अपने बाये हाथ से बाजू वाली सीट को पीछे से पकड़े, इससे पीछे मुड़कर देखने में आसानी होगी।

6.8. वाहन रोकना

रुकने या धीमे होने से पहले अन्य चालकों को अपने इरादे का संकेत दें तथा कभीभी अचानक ब्रेक न लगाएँ। ध्यान रखें कि वाहन को पूरी तरह रुकनेके लिए कुछ दूरी की आवश्यकता होती है। इस दूरी के सही आंकलन से आपअन्य वाहनों सेटकराने से बच सकते हैं। अपने वाहन को रोकने से पहले आपअपने आसपास किसी भीखतरे बारेसावधान रहें।सुरक्षित होने पर हीवाहन को रोकने हेतु ब्रेक लगाये।

रूकने का निर्णय करने हेतु लिये गए समय कोप्रतिक्रिया समय (Reaction time)कहते हैं।प्रतिक्रिया समय चालक, सड़क, समय तथामौसम की स्थिति पर निर्भर करता है।प्रतिक्रिया के दौरान वाहन जितनी दूरी तय करता है उसे प्रतिक्रिया दूरी कहा जाता है। एक बार जब आप ब्रेक लगाते हैं तो टायर और सड़क के बीच घर्षण वाहन को धीमा करने लगता है और अंत में वाहन कोरोक देता है। पूरी तरह से रुकने से पहले वाहन कुछ दूरी तय करता

है, जिसे ब्रेकिंग दूरी (Breaking distance)कहा जाता है। यह ब्रेकिंग दूरी सड़क और टायर की हालत, टायर में हवा के दबाव, वाहन के वजन, और ब्रेकिंग प्रणाली की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। रुकने की कुल दूरी प्रतिक्रिया दूरी और ब्रेकिंग दूरी का योग होती है यानि –

रुकने की कुलदूरी = प्रतिक्रिया दूरी + ब्रेकिंग दूरी

उदाहरण के लिए, 50 कि॰मी॰/प्रति घण्टा की गति से चल रहे वाहन के चालक का प्रतिक्रिया समय औसतन 0.75 सेकेंड होता है। इस गति पर वाहन कीप्रतिक्रिया दूरी लगभग 11 मीटर होगी तथा ब्रेकिंग दूरी 14 मीटर होगी।

इसलिए,

रूकने की कुलदूरी = 11+ 14 = 25 मीटर

उच्च गति पर यात्रा कर रहा वाहन रुकने से पूर्व काफी लंबी दूरी तय करताहै। निम्न तालिका मेंएक सामान्यसड़क पर भिन्न–भिन्न गति पर चल रहे वाहनोंकी रूकने की कुल दूरीदी गई है:

वाहन की गति (कि.मी. / घ.)	प्रतिकिया दूरी (मीटरों में)	ब्रेकिंग दूरी (मीटरों में)	रूकने कीकुल दूरी (मीटरों में)
32	6	6	12
48	9	14	23
64	12	24	36
80	15	38	53
96	18	55	73
112	21	75	96

6.9. पार्किंग

यदि सभी चालक अपने वाहन की सही पार्किंग करें, तो सड़क अवरूद्ध नहीं होगी। इसलिये पार्किंग नियमों का सदैव पालन करें। पार्किंग चिह्न देखकर हीवाहन पार्क करें।

निम्न स्थानों पर पार्किंग न करें:

- जहाँ पार्किंग निषिद्ध या असुरक्षित हो,
- गोल चक्करया चौराहे के अन्दरया उसके बहुत पास,

- होटल, स्कूल, अस्पताल अथवा किसी अन्य भवन के बाहर निकलने या भीतर जाने के रास्ते के सामने,
- पैदल यात्री पार पथ पर या उसके निकट,
- फुटपाथ पर,
- गलत साइड पर या सड़क केदाईं ओर,
- जहाँ आपका वाहन यातायात के सामान्य प्रवाह को अवरूद्ध करता हो,अथवा
- जहाँआपका वाहनकिसी अन्य वाहन का रास्ता अवरूद्ध करताहो।

यदि आप किसी मुख्य मार्गपर अपना वाहन रोकना या छोड़नाचाहते है, तो उसे राजमार्ग के मुख्य यातायात वाले भाग से दूर नीचे उतार कर खड़ा करेंतथा अन्य चालकों को सचेत करने के लिए विशेषकर रात के समय आपातकालीन लाइट, पार्किंग लाइट या लो–बीम यानि डिप्पर लगाकर हेडलाइट का प्रयोग करें। वाहन खड़ा करते समय हमेशा पार्किंगब्रेक (यानि हैंड ब्रेक) लगाएँ। पार्किंग की अवस्था सेचलते समय आसपास के यातायात कोध्यानसे देख लें और उचित संकेत देकरयातायात के प्रवाह में विलय करने की अपनीमंशा ज़ाहिर करें।

बच्चों और पालतू जानवरों को रूके हुए वाहन में कभी भी अकेला न छोड़ें।

समानांतरपार्किंग

समानांतरपार्किंग का अर्थहै वाहनों को सड़क के समानांतर एक दूसरे के ठीक पीछेएक लाइन में खड़ा करना। सामानांतर पार्किंग आम तौर पर सड़क के बाएँ किनारे पर कीजाती है। समानांतर पार्किंगका सही तरीका इस प्रकार है –

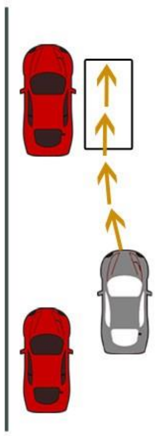

चित्र 86

चरण 1: आगे खड़े वाहन के समानांतर इस प्रकार से रोकें कि दोनों वाहनों के पिछले टायर एक ही रेखा में हों।

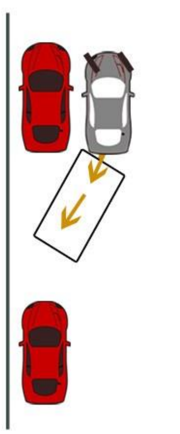

चित्र 87

चरण 2: स्टीयरिंग व्हील को घड़ी की उल्टी दिशामें 360°घुमायें तथा वाहन को तब तक धीरे धीरे बैककरेंजब तक बायां विंग मिरर आगे वाली कार के पिछले हिस्से के बराबरना आ जाये।

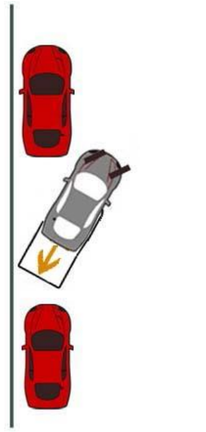

चित्र 88

चरण 3: स्टीयरिंग व्हील को घड़ीवत दिशा में 360°घुमायें |इससेआपका पहिया सीधा हो जाएगा। अपने वाहन को धीरे–धीरे बैक करें जब तक बायें विंग मिरर में पिछले दरवाजे का हैंडल सड़क के छोर को छू ना ले।

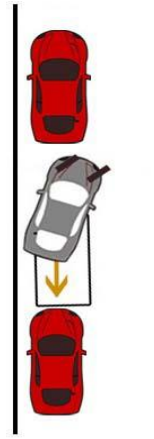

चित्र 89

चरण 4: अब स्टीयरिंग व्हील को 360° घड़ीवत दिशा में घुमायें व धीरे धीरे बैक करें जब तक आपका वाहनसड़क केछोरके समानांतर न आ जाये।

चित्र90

चरण 5: स्टीयरिंग व्हील को 360° घड़ी की उल्टी दिशा में घुमायें ताकि आपका पहिया एक बार फिर सीधा हो जाऐतथा अपनेवाहन को आगे पीछे करें ताकि वह दोनों वाहनों के ठीक मध्य में आ जाये।

समानांतर पार्किंग से बाहर निकलने के लिए,

- पीछे खड़े वाहन को बचातेहुए धीरे सेबैककरें।
- रियर–व्यू मिरर में पीछे से आ रहे यातायात कोदेखें, दायाँ सूचक दिखा कर पार्किंग से बाहर आने की अपनी मशां का संकेत दें, ब्लाइंड स्पॉट के लिए कधें के ऊपर से पीछे की ओर देखें, तथा
- स्टीयरिंग को दाएँ मोड़ें और धीरे से आगे बढ़ें तथा यातायात की धारा मेंशामिल हो जायें।

कोणीय पार्किंग

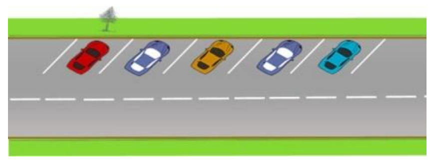

चित्र 91

कोणीय पार्किंगमें वाहन सड़क के किनारे समानांतरकिन्तु तिरछेखड़े किए जाते हैं जैसा कि चित्र 89 में दिखाया गया है। कोणीय पार्किंग कातरीका निम्न है–

1. दर्पण में पीछे के यातायात को चैक करें।
2. कंधे के ऊपर से ब्लाइंड स्पॉट चैक करें।
3. बाँये मुड़ने का संकेत दें।
4. पार्किंग में प्रवेश करें और पहियों को सीधा कर दें।
5. हैंडब्रेक लगाएँ तथावाहन को पहले गियर में डाल दें।

कोणीय पार्किंग से बाहर निकलने के लिए दर्पण में और कंधे के ऊपर से पीछे देखें और यदि रास्ता साफ हो तो वाहन को धीरे–धीरे बैककरें। साइकिल चालक, रिक्शा या पैदल चलने वालों का विशेष रूप से ख्याल रखें।

लम्बवत पार्किंग

लम्बवत पार्किंग में वाहन सड़क पर 90° पर खड़े किये जाते हैं। इस प्रकार की पार्किंग में वाहन को बैक करके खड़ा करना बेहतर होता है ताकि वह आसानी से बाहर निकल सके।

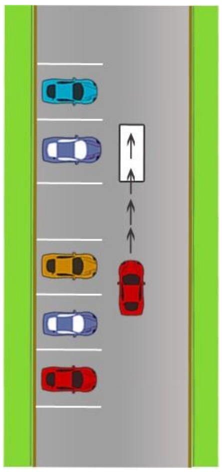

चित्र 92

चरण 1: पार्किंग स्थल में खाली स्थान से आगे खड़े वाहनतक जाएँ जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। अपना वाहन इस प्रकार रोकें कि आपके तथा खड़े हुएवाहनों के बीच कम से कम 5–6 फुट की दूरी हो तथा आपकेवाहन कापिछला हिस्सा खाली पार्किंग स्थान की दूसरी छोररेखा को लांघ गया हो।

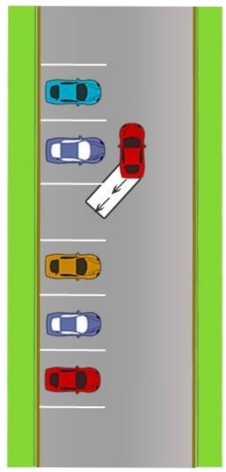

चित्र 93

चरण 2: स्टीयरिंग को पूरी तरह बाएँ मोड़ दें, रिवर्स गियर डालें व वाहन को धीरे से पार्किंग स्थल में बैक करें। वाहन को बैक करते हुए साइकिल चालक, रिक्शा या पैदल चलने वालों का ध्यान रखें।

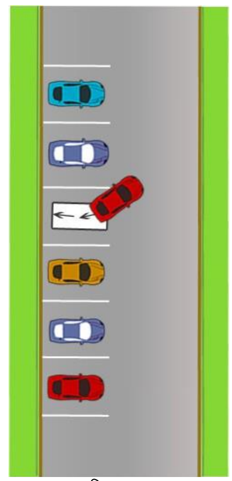

चित्र 94

चरण 3: जब आपका वाहन बगल में खड़े वाहनों के समानांतर हो जाए, तो स्टीयरिंग को सीधा कर दें और जब तक आपका वाहन सही रूप से पार्क ना हो जाए, बैक करते जाएँ।

लम्बवत पार्किंग से बाहर निकलने के लिए–

1. बाएँ या दाएँ मुड़ने का उचित संकेत दें।
2. साइकिल चालक, पैदल चलने वालों और गुज़रते यातायात का ध्यान रखते हुए सावधानीपूर्वक आगे बढ़े जब तक आपका वाहन पूरी तरह पार्किंग से बाहर न आ जाए।
3. जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, अपना वाहन उस ओर मोड़ें तथा पूरी तरह मुड़ जाने तक दिशा सूचक संकेत देते रहे।

ढलान परपार्किंग

ढलान पर पार्किंग करते समय पार्किंग ब्रेक अवश्य लगायें। इसके अतिरिक्त,अपने वाहन के अगले पहियों को नीचे दिखाए गये चित्रानुसार मोड़ दें।अगले पहियों को इस प्रकार मोड़ने का लाभ यह होता हैकि यदि पार्किंग ब्रेक हट जाती है और वाहन ढलान पर चल पड़ता है तो वह फुटपाथ से टकराकर रूक जायेगा और यदि फुटपाथ न हो, तो वाहन सड़क से नीचे उतर जायेगा जिससे सड़क पर चलने वाले वाहन सुरक्षित रहेगें।

चित्र 95

चित्र 96

चित्र 97

6.10. सड़क पर आपात स्थिति

चाहे आप कितनी ही सावधानीपूर्वक गाड़ी चला रहे हों या आपका वाहन कितनी ही अच्छी हालत में क्यों न हो, किसी अनपेक्षित आपात स्थिति की संभावना हमेशा होती है।इस अनुभाग में ऐसी कुछ आपात स्थितियों और उनसेनिपटने के उपायों के बारे में बताया गया है।

ब्रेक फेल होना

यदि आपको ब्रेक संबधी समस्याका चेतावनी संकेत दिखता है तो तुरंत अधिकृत सर्विस सैंटर पर उसकी जाँच करवाएँ। यदि वाहन चलाते समय आपको ब्रेक फेल होने का शक हो तो ब्रेक पैडल जोर से कई बार दबाएँ। इससे ब्रेक में वाहन रोकने के लिए पर्याप्त दबाव बन जाता है। यदि इससे लाभ न हो तो वाहन को रोकने के लिए धीरे धीरे पार्किंग ब्रेक लगाएँ। यदि यातायात कम हो और आप धीरे–धीरे वाहन को रोकने की स्थिति में हों यानि आपके पास समय और स्थान दोनों हों, तो वाहन को छोटे गियर में डालें और फिर उससे छोटे गियर में डालें।जब तक आपका वाहन बहुत धीमे न हो जाए, ऐसा करते रहे। उसके बाद वाहन को सड़क के एक ओर ले जाएँ और हैंड ब्रेक लगाकर रोक दें। ऐसी स्थिति में निकटतम गैराज तक वाहन को चला कर ले जाने का प्रयत्न न करें, अपितु सहायता की प्रतीक्षा करें।

स्टीयरिंग फेल होना

जब वाहन स्टीयरिंग व्हील को घुमाने पर मुड़ना बंद कर देता है तो उसे स्टीयरिंग फेल होना कहते है। यदि आपको लगे कि स्टीयरिंग फेल हो गया है तो वाहन को धीमा कर लें। ब्रेक तभी लगायेंजब दुर्घटना से बचने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो।यदि आपको ब्रेक लगाने भी पड़ेंतो ऐसा धीरे धीरे करें। अचानक ब्रेक लगाने से वाहन नियंत्रण से बाहर हो सकता है। इंजन बंद होने पर पावर स्टीयरिंग व्हील के सख्त होने की भी सम्भावना रहती है। ऐसे में वाहन को ड्राइव करते हुए उसे शीघ्र स्टार्ट करने का प्रयत्न करें।क्लच पैडल को दबाकर और चाबी को घुमाकर वाहन को स्टार्ट किया जा सकता है। यदि फिर भी गाड़ी स्टार्ट न हो, तो आपको वाहन रोकना पड़ सकता है। ध्यान रहेकि यदि आपके वाहन में पावर ब्रेक हों तो आपको वाहन रोकने के लिए ब्रेक ज़ोर से दबानी पड़ सकती हैं।

टायर फटना

चलते हुए अचानक टायर फटने से वाहन पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो सकता है। अंग्रेजी में इसे ब्लो–आउट कहते हैं। ऐसी स्थिति में आप स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े रहें, वाहन को सीधा रखें तथा धीरे–धीरे ऐक्सेलरेटर से पैर हटायें। अचानक ब्रेक न लगाएँ। ब्रेक केवल तभी लगाएँ जब वाहन पर आपका नियंत्रण हो जाये। अन्य वाहनों का ध्यान रखते हुए अपने वाहन को सड़क से पूरी तरह नीचे उतार लें।

आपकी लेन में सामने से आ रहा वाहन

यदि आप अपनी लेन में सामने से किसी वाहन को आते हुए देखें तो तुरंत अपना वाहन धीमा करके ब्रेक लगाएँ और सामने से आ रहे वाहन के रास्ते से बाईं ओर हट जाएं। टकराव से बचने के लिए दाईं लेन में जाने से बचें क्योंकि हो सकता है कि दूसरा चालक अपनी लेन में जाने के लिए बाईं ओर जाये और फिर से आपके सामने आ जाए। अगर वह वाहन आपकी ओर आना जारी रखता है तो सीधी टक्कर से बचने के लिए सड़क से नीचे उतर जाएँ। हॉर्न बजाएँ और हेडलाइट चमका कर उस चालक को सावधान करें, क्योंकि हो सकता है कि वह नींद में हो अथवा उसका ध्यान कहीं और हो।

सड़क से नीचे उतरना

यदि आपका वाहन सड़क से उतर कर कच्चे रास्ते पर आ जाए तो तुरंत सड़क पर वापिस जाने की कोशिश न करें। कच्चे रास्ते पर ही रहें और ऐक्सेलरेटर पैडल से पैर हटा कर वाहन को धीरे करें। गति कम होने के बाद सुरक्षित होने पर ही पुनः सड़क पर चढ़ें और फिर से गति बढ़ाएँ।

हेडलाइटखराब होना

यदि आपके वाहन की हेडलाइट अचानक काम करना बंद कर दे तो उन्हें पुनः ऑन करने की कोशिश करें।कई बार डिप्पर का प्रयोग करने से हेडलाइट काम करना शुरू कर देती है। यदि इससे भी मदद न मिले तो पार्किंग लाइट या खतरे की चेतावनी देने वाली लाइट ऑन करेंताकि आपको इतनी रोशनी मिल सके जिससे आप अन्य वाहनों को अपनीस्थिति बारे चेतावनी दे सकें और अपने वाहन को सड़कके नीचे उतार सकें।

वाहन के हुड (बॉनिट) का अचानक खुल जाना

यदि वाहन चलाते समय वाहन का बॉनिट अचानक खुल जाता है तो ऐक्सेलरेटर से तुरन्त अपना पैर हटा लें और बॉनिट के नीचे से आगे का रास्ता देखने की कोशिश करें। यदि इससे मदद न मिले तो खिड़की से अपना सिर बाहर निकाल कर आगे देखें। ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन के लिए आप लेन चिह्नों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार अपने वाहन को धीरे–धीरे सड़क के किनारे ले जाएँ और रोक दें।

ऐक्सेलरेटर पैडल का अटक जाना

यदि आपके वाहन का ऐक्सेलरेटर पैडल अटक जाता है तो आप उसके नीचे अपना पैर या अंगूठा फँसा कर ऊपर की ओर खींचकर उसे मुक्त करसकते हैं। पैडल को मुक्त कराते समय आगे सड़क पर निगाह रखें। यदि फिर भी पैडल अटका रहे तो ब्रेक लगाएँ और वाहन को न्यूट्रल गियर में डालें। सुरक्षित रास्ता देखकर अपने वाहन को किनारे पर ले जाएँ। अन्य वाहन चालकों को आगाह करने के लिए चेतावनी लाइट ऑन करें।

रेल की पटरियों पर वाहन का अटक जाना

यदि आपका वाहन रेल की पटरियों पर अटक गया हो और कोई रेलगाड़ी आ रही हो तो आपकोऔर आपके सह यात्रियों को तुरंत वाहन छोड़ देना चाहिए। ट्रेन से टकराकर आपके वाहन के टुकड़े दूर–दूर तक छितरा सकते हैं। उनसे बचने के लिए जिस ओर से रेलगाड़ी आ रही हो उस ओर रेल की पटरियों से दूर सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ। वाहन से अपना सामान निकालने के लिये पटरियों के पास बने रहने की गलती न करें।

फिसलन, बाढ़ प्रभावित या गीली सड़क

बारिश या बर्फ पड़ने के दौरान सड़क गीली और फिसलन भरी हो सकती हैं। ऐसी सतह पर तेज़ गति से वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि वाहन सड़क पर अपनी पकड़ खो सकता है। ऐसी स्थिति में गाड़ी को धीरे करने के लिए ऐक्सेलरेटर पैडल से अपना पैर हटा लें। गीली अथवा फिसलन भरी सड़क पर अचानक ब्रेक लगाने से वाहन नियंत्रण से बाहर हो सकता है। अपने स्टीयरिंग व्हील को कस कर पकड़े रखें और वाहन को जहाँ तक संभव हो सीधा रखें। स्टीयरिंग व्हील को अचानक और आवश्यकता से अधिक घुमानेसे वाहन अपना संतुलन खो सकता है।

आगलगना या ओवर–हीटिंग होना

यदि आप वाहन से आग या धुआँ निकलता देखें तो तुरंत वाहन को सड़क से उतार कर रोक दें। इंजन बंद कर दें और तुरंत सभी यात्रियों को वाहन से दूर कर दें। किसीसंभावित विस्फोट या आग की लपटों सेघायल होने से बचने के लिए वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आग पर पानी न डालें, इससे लपटें और फैल सकती हैं। यदि आपके पास आग बुझाने का यंत्र है तो केवल थोड़ा–सा बॉनिट उठा कर लपटों पर प्रयोग करें। यदि आग अधिक हो तो हुड यानि बॉनिट खोलना खतरनाक हो सकता है, ऐसे में दूर खड़े रहें और सहायता माँगें।

यदि इंजन के अत्यधिक गर्म होने का संकेत मिले तो वातानुकूलन जैसे अनावश्यकउपकरणों को तुरन्त बंद कर दें, वाहन को सड़क के किनारे ले जाएँ और उसे रोक कर इंजन को तुरंत बंद कर दें। यदि सुरक्षित हो तो इंजन को ठंडा करने के लिए हुड खोल दें। रेडीएटर का ढक्कन न खोलें। ठंडा करने की प्रणाली के अत्यधिक गर्म होने की अवस्था मेंवाहन चलाने से इंजन को नुकसान हो सकता है।

गहरेपानी के अदंर गिरने पर

ऐसी स्थिति में अधिकांश वाहन कुछ सेकंड से लेकर चंद मिनटों तक सतह पर तैरते रह सकते हैं क्योंकि गाड़ी की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद होते है। ऐसे में वाहन से तुरंत बाहर आने का हर संभव प्रयत्न करें। पानी के खिड़की के स्तर तक आने से पहले ही खुली हुई खिड़की से बाहर आ जाएँ। यदि वाहन जलमग्न हो जाता है तो संभव है कि वाहन के अंदर और बाहर पानी का दबाव बराबर होने तक दरवाज़े न खुलें। वाहन के अन्दर पूरी तरह पानी भरते ही आप दरवाजा खोलने में कामयाब हो सकते हैं, यदि वाहन को संरचनात्मक कोई क्षति न हुई हो।

इंजन का वजन आगे होने के कारण आमतौर पर वाहन पहले सामने की ओर से डूबते हैं। ऐसे में पीछे के हिस्से में जो हवा का क्षेत्र बनता है, उससे आपको साँस लेने के लिए कुछ समय मिल जाता है। इसका लाभ उठाकर आप बाहर निकलने की रणनीति बना सकते हैं। इस प्रकार बाहर निकलने के लिए आपको वाहन के पिछले हिस्से में जाने की जरूरत पड़ सकती है। यदि वाहन में अन्य यात्री भी हैं, तो वाहन से एक साथ बाहर निकलने का प्रयत्न करें।

दुर्घटना से बचना

कुछ अवसरों पर ऐसा लगता है कि दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना से बचने के लिए चालक के पास मुख्य रूप से निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होते हैं–

ब्रेकलगाकर वाहन को धीमा करना व रोकना एक विकल्प है। हालाँकि, यदि वाहन एंटी–लॉक ब्रेकिंग प्रणाली से सुसज्जित नहीं है तो अचानक जोर से ब्रेक लगाने पर वाहन फिसल सकता है। ऐसे में यदि वाहन फिसलना शुरू कर दे तो ब्रेक पैडल को छोड़ दें और कुछ पल के बादइसे फिर से दबाएँ।

बचकर साइड से वाहन निकालना(evasive steering) भी टकराव से बचने का एक तरीका है इसमें संभावित बाधा कोबचाकर चालक साइड से अपने वाहन को निकाल ले जाता है। ऐसा करने से पहले आसपास के यातायात की स्थिति और जिस वाहन से आपके टकराने का खतरा है, उसकी गतिविधि पर निगाह रखना महत्त्वपूर्ण है।

तेज़ी से गति बढ़ाना एक अन्य विकल्प है, खास तौर से जब टकराने का खतरा पीछे से अथवा साइड से हो। मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वाहनों में तेज़ी से गति बढ़ाने के लिए छोटा गियर डालना चाहिए।

दुर्घटना होने पर खुद की और सहयात्रियों की सुरक्षा करना

कई बार आप हर प्रयत्न करने के बाद भी दुर्घटना से बचने में कामयाब नहीं हो पाते। सीट बेल्ट दुर्घटना में गंभीर चोट या मौत से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करती है। दुर्घटना होने की स्थिति में निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना करना लाभकारी सिद्ध होता है:

पीछे से टक्कर लगने पर: यदि आपको पीछे से टक्कर लगने का खतरा है, तो

- ब्रेक लगाने के लिए तत्पर रहें ताकि आप आगेजा रहे वाहन से नटकरा जाएँ।
- अपने आप को स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच बनाये रखें।
- अपनी गर्दन को अचानक झटका लगने से बचाने के लिए सिर को सीट के टिकाव पर मजबूती से टिका लें।

साइड से टक्कर लगने पर: यदि आपको साइड से टक्कर लगने का खतरा है,

- यदि संभव हो तो कोशिश करें कि वाहन की साइड में ऐसे स्थान पर टक्कर लगे जहाँ आप और आपके यात्री सुरक्षित हों।
- वाहन में एक ओर गिरने से बचने के लिए स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से जकड़े रहें।
- दुर्घटना होने पर वाहन गोल गोल घूम सकता है, ऐसी सूरत में उस पर शीघ्र नियन्त्रण कायम करने के लिए तैयार रहें।

सामने से टक्करलगने पर:यदिआप सामने से टकराने वाले हैं तो एयरबैग (यदि आपके वाहन में हैं) फूलकर आपको टक्कर के झटके से बचा लेंगे। परन्तु यदि आपका वाहन एयरबैग से सुसज्जित नहीं है तो,

- अपने सिर व चेहरे की सुरक्षा के लिए अपने हाथों और बाजुओं का प्रयोग करें।
- स्टीयरिंग व्हील या विंडशील्ड से बचने के लिए अपनी सीट पर एक ओर गिर जाएँ।

7. ड्राइविंग हेतु खतरनाक परिस्थितियाँ

इस अध्याय में ड्राइविंग की कुछ अच्छी प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया है जिनका पालन कठिन परिस्थितियों में वाहन चलाते समय किया जाना चाहिए।

7.1. मौसम की स्थिति

बारिश, बर्फ या कोहरे में वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है।इसलिए ऐसी परिस्थितियों में वाहन चलाने के लिएअतिरिक्त ड्राइविंग कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकिखराब मौसम में सड़क तथा दूसरे वाहनों और वस्तुओं को देखने की क्षमता कम हो जाती है।

सर्दियों के मौसम में कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो जाती है। इसलिएघने कोहरे के दौरान ड्राइविंग न करें। यदि ड्राइव करना अति आवश्यक हो तो निम्नलिखित सावधानियाँ बरतें–

चित्र 98

- दृश्यता अनुसार अपनी गति धीमी रखें।
- हेडलाइट ऑन रखें। आँखों में तेज चमक से बचने के लिए लो–बीम का प्रयोग करें। कभी भी अकेली फोग लाइट के सहारे वाहन न चलाएँ।
- मार्गदर्शन हेतु सड़क के बाएँ छोर पर यातायात चिह्नों (सफेद अथवा पीली विच्छेदित रेखा) का अनुसरण करें।
- आवश्यकता अनुसार खतरे की चेतावनी देने वाली आपातकालीन लाइट का प्रयोग करें।
- यदि आप किसी वाहन के पीछे चल रहे हों तो उससे अपनी दूरी बढ़ा दें।
- बेहतर दृश्यता के लिए विंडस्क्रीन वाइपर और डिफ्रॉस्टर का प्रयोग करें।

बारिश में आपकी दृश्यता कम हो जाती है। ऐसे में अपने वाहन की गति धीमी कर लें। विंडस्क्रीन वाइपर, लो–बीम हेडलाइट और डिफ्रॉस्टर का प्रयोग करें। बारिश में सड़क गीली होकर फिसलन भरी हो जाती है जिससे सड़क पर टायरों की पकड़ कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप 'Aquaplaning' या 'hydroplaning'नामक स्थिति बन सकती है।

Aquaplaning, सड़क की स्थिति, पानी की मात्रा और वाहन की गति के संयोजन से उत्पन्न होती है।इस स्थिति में टायर और सड़क की सतह के बीच पानी की पतली परत बन जाती है तथा वाहन का सड़क से संपर्क टूट जाता है। वाहन पानी की परत पर चलने लगता है तथा ब्रेक लगाने, गति बढ़ाने और मोड़नें के दौरान वाहन घर्षण के अभाव में फिसलता है।

चित्र 99

Aquaplaning को रोकने के लिए बारिश में अथवा खड़े पानी से गुजरते हुए अपने वाहन की गति कम कर दें। टायरों में हवा का उचित दबाव बनाये रखें तथा घिसे हुए टायर बदल दें।

बर्फ और ओले सड़कों को गीला और फिसलन भरा बनाते हैं। फिसलन भरी सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए धीरे चलना, धीरे ब्रेक लगाना अथवा मुड़ना और आगे चल रहे वाहन से एक निश्चित दूरी बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।

इंजन स्टार्ट करने से पहले वाहन के ऊपर से बर्फ साफ कर दें और डिफ्रॉस्टर का प्रयोग करें तांकि शीशे साफ हो जायें। छायादार जगहों जैसे ओवरब्रिज आदि के नीचे विशेष ध्यान रखें क्योंकि ऐसे स्थानों पर बर्फ लम्बे समय तक जमी रहती है। अपने वाहन की वायु–संचार (वेंटिलेशन) प्रणाली को अच्छी हालत में रखें और कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से बचने के लिए निकास प्रणाली में संभावित रिसाव की जाँच करते रहें।

भारी हिमपात के दौरान ड्राइविंग के लिए पहियों पर चेन के प्रयोग की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी स्थिति में ठण्ड से बचने के लिए वाहन में कंबल अवश्य रखें क्योंकि आप भारी बर्फबारी में लम्बे समय के लिए भी फँस सकते हैं।

7.2. पहाड़ों में वाहन चलाना

चित्र100

पर्वतीय क्षेत्र में ड्राइविंग करना किसीचुनौती से कम नहीं है।जब आप पहाड़ी मोड़ पर पहुँचें तो अपनी गति धीमी कर लें। जब किसी चट्टान या मोड़ के कारण आपकी दृष्टि बाधित हो रही हो, तो ओवरटेक न करें, क्योंकि आप यह जानने कीस्थिति में नहीं होते कि ओवरटेकिंग करना सुरक्षित है या नहीं। पर्वतीय क्षेत्र में अपने वाहन को हमेशा बाईं ओर रखें क्योंकि वहाँ सड़कें आम तौर पर तंग होती हैं। जहाँ हॉर्न बजाना निषिद्ध न हो,वहाँ अन्य चालकों को चेतावनी देने के लिए हॉर्न का उपयोग करें। इसके अलावा, भूस्खलनसम्भावितक्षेत्रों में, खासकर बारिश के दौरान या उसके बाद, गिरती हुई चट्टानों का विशेष ध्यान रखें।

7.3. रात में वाहन चलाना

रात्रि के समय वाहन चलाना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकिकम रोशनी, चमक और थकान की वजह से आपकी आगे देखने की क्षमता और दूसरे सड़क उपयोगकर्ताओं की आपको देखने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में सुनिश्चित करें कि आपकी हैडलाइट ठीक तरीके से काम कर रही हों,सामने की विंडस्क्रीन (शीशा) और पीछे की खिड़की साफ हो और उनमें किसी प्रकार की खरोंच, दरार इत्यादि न हो।

सूर्यास्त के आधे घण्टे बाद अथवा जिस समय रोशनी पर्याप्त न हो, अपनी हेडलाइट ऑन कर लें। दृश्यता कम होने के कारण रात्रि के समय वाहन की गति कम रखनी चाहिए। यदि सामने से कोई वाहन आ रहा है या आप किसी वाहन के ठीक पीछे चल रहे हैं तो अपनी हेडलाइट से अन्य चालकों को चौंधियाने से बचाने के लियेलो–बीम यानि डिप्पर का इस्तेमाल करें।

चमक–सामने से आने वाले वाहनों की लाइट और रियर–व्यू मिरर से परिलक्षित हो कर पीछे से आ रहे वाहनों की हैडलाइट की चमक आपकी दृष्टि को प्रभावित कर सकती है। यह चमक क्षण भर के लिए आपको अंधा भी बना सकती है। सामने से आ रहे वाहनों की चमक को कम करने के लिए अपनी आँखें सड़क के बाईं ओर केंद्रित करें और सड़क पर बाईं तरफ लगे चिह्नों पर ध्यान दें। पीछे से आ रही चमक को कम करने के लिए अपने रियर–व्यू मिरर की स्थिति में थोड़ा बदलाव करें। यदि आपके वाहन में डे–नाइट प्रकार का उच्च कोटि का रियर–व्यू मिरर लगा है, तो रात्रि के समय उसे नाइट मोड (Night Mode) में कर लें।

चित्र101

चित्र 102

थकानः– मोटर दुर्घटनाओं में वृद्धि के पीछे एक बड़ा कारण थकान होती है। वाणिज्यिक वाहनों के मालिक अक्सर पैसे बचाने के लिए अपने वाहन पर एक ही चालक रखते है। लंबे समय तक लगातार ड्राइविंग करनेके कारण चालकसुस्त हो जाता है और कभी कभी उसे नींद भी आ जाती है। इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले तथा थोड़े–थोड़े अन्तराल परविश्राम करते रहें। थकान कम करने के लिए आपको चाहिए कि–

- जब जरूरत महसूस हो, रूक जाएँ। वाहन से बाहर आएँ, अंगड़ाई लें व ताजी हवा खाएँ।
- अपने साथ सहचालक रखें व बारी–बारी वाहन चलाएँ।
- चाय, कॉफी या शीतल पेय पीएँ।
- चुईंग–गम चबाएँ या टॉफी इत्यादि खाएँ।
- सहयात्रियों के साथ बात करें।
- रेडियो सुनें।

- यदि इससे लाभ न हो तो किसी सुरक्षित जगह (सड़क किनारे रेस्तराँ, होटल, मोटल,ढ़ाबा, पेट्रोल पम्प इत्यादि) पर रुकें, इंजन बंद करें, दरवाज़े लॉक करें, हवा के लिए खिड़कियाँ थोड़ी–सी खोलें और थोड़ी देर सो जाएँ।

8. ड्राइविंग अपराध और दंड

यातायात के कानून तथा नियमों को लागू करने का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। जो चालक सड़क के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनका मोटरयान अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत चालान किया जाता है।ट्रैफिक चालान काटने का उद्देश्य गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग को हतोत्साहित करना और सड़कों पर अनुशासन बनाना है। यातायात के कुछ महत्त्वपूर्ण नियमों और अपराधों की नीचे व्याख्या की जा रही है–

8.1. शराब पीकर वाहन चलाना

भारत में शराब पीकर वाहन चलाना मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत अपराध है। कोई व्यक्तिजब वाहन चला रहा हो या चलाने का प्रयास कर रहा हो, इस धारा के अपराध के लिएदोषी ठहराया जा सकता है, यदिः

- उसके रक्त में शराब की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक पाई जाये, अथवा
- वह किसी दवा या नशे के इतने प्रभाव में हो जिससे वाहन पर उसका समुचित नियंत्रण न रहे।

धारा 185 के अधीन पहले अपराध के लिए शराबी चालक को 6 मास तक का कारावास अथवा दो हजार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। तीन वर्ष की अवधि के भीतर दोबारा यह अपराध करने पर 2 वर्ष तक का कारावास अथवा तीन हजार रूपयेतक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को धारा 185 के अपराध के लिए उत्प्रेरित करता है, तो वह भी मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 188 का अपराध करता है, जिसके लिए सज़ा वही है जो धारा 185 के तहत दी जा सकती है।

8.2. गति सीमा का उल्लंघन करना

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 112 के तहत निर्धारित न्यूनतम अथवा अधिकतम गति सीमा का उल्लंघन करना मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 183 के तहत अपराध है। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्तिअपने अधीन किसी अन्य व्यक्ति को इस धारा का उल्लंघन करने के लिए उत्प्रेरित करता है तो वह भी धारा 183 के तहत दोषी माना जायेगा।

8.3. खतरनाक वाहन चालन

मोटर वाहन को खतरनाक तरीके से चलाना मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध है। चालक वाहन को खतरनाक तरीके से चला रहा है, इस बात का निर्धारण यातायात की अवस्था, वाहनों की संख्या, स्थान जहाँ वाहन चलाया जा रहा है, तथा अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किया जाता है।

इस धारा के तहत पहले अपराध के लिए 6 मास तक का कारावास अथवा एक हजार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। तीन साल के भीतर दोबारा अपराध करने पर दोषी को 2 वर्ष तक का कारावास अथवा दो हजार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

इसके अलावा, जो व्यक्ति किसी अन्य को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 184 के अपराध के लिए उत्प्रेरित करता है, वह इस अधिनियम की धारा 188 का अपराध करता है, जिसके तहत धारा 184 के समान सज़ा का प्रावधान है।

8.4. हेलमेट

हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 185 के अनुसार किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी वर्ग या श्रेणी की मोटर साइकिल चला रहे या उसकी सवारी कर रहे हर व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप बना हेलमेट पहनना होगा। हालाँकि, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अधीन दो पहिया वाहन चला रहे या उसकी सवारी कर रहे ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हेलमेट पहनने की छूट दी गई होअथवा पगड़ीधारी सिक्खों को,हेलमेट डालने की आवश्यकता नहीं है।

8.5. मोबाइल फोन

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोगनहीं करना चाहिए। यह केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 21(25) और मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 184 के तहत अपराध है।

8.6. वाहन चलाते समय धूम्रपान करना

वाहन चलाते समय धूम्रपान करना केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 21 (14) काउल्लंघनहै। लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे वाहन चालक को वाहन चलाने हेतुअयोग्य घोषित कर सकता है। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी निमित कुमार बनाम चंडीगढ़ प्रशासन के मामले में निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति दो पहिया वाहन सहित किसी भी प्रकार के वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग अथवा धूम्रपान नहीं करेगा।

8.7. दौड़ या गति परीक्षण करना

यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान परमोटर वाहनों कीदौड़ या गति परीक्षण में भाग लेता है या उसकी अनुमति देता है, वह मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 189 का अपराध करता है।

8.8. बिना पंजीकरण अथवा बीमा के वाहन का चलाना

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39 काउल्लंघनकर बिनापंजीकरण के वाहन का उपयोग करना या उसके उपयोग की अनुमति देना मोटरयान अधिनियम,1988 कीधारा 192 के तहत दंडनीय अपराध है। परन्तु यदि मोटर वाहन को किसी बीमार या घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने, आपदा के समय भोजन, दवाइयाँइत्यादि जैसी राहत सामग्री लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तथा इसकी सूचना क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण के सचिव को सात दिन के भीतर दे दी जाती है, तो इसे धारा 192 का अपराध नहीं माना जायेगा।

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146 के तहत बीमा के वाहन के उपयोग की अनुमति देना या उसे चलाना मोटरयान अधिनियम, 1988 कीधारा 192 के तहत दंडनीय अपराध है।

8.9. यातायात के मुक्त प्रवाह को बाधित करना

यदि कोई व्यक्ति, किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने मोटर वाहन को इस तरह रखता है जिससे यातायात का मुक्त प्रवाह बाधित हो, तो वह मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 201 के तहत अपराध करता है।

8.10. आपातकालीन वाहन

सड़क के नियम विनियम (Use of the Road Regulations), 1989 के अनुसार हर वाहन चालक को सड़क के एक किनारे होकर अग्निशमन सेवा वाहनों और एम्बुलेंस आदि आपातकालीन वाहनों को शीघ्र गुज़रने देना चाहिए। ऐसे में चालक को, जितना हो सके, सड़क के बाएँ किनारे की ओर रूकना चाहिए। दो या दो से अधिक लेन वाली वन–वे सड़क पर, चौराहे को छोड़कर, जितना हो सके सड़क के नज़दीकी छोर पर रूकना चाहिए। इसी प्रकार बहु लेनीय राजमार्ग पर सड़क का किनारा अवरुद्ध न करें क्योंकि कई बार मुख्य मार्ग अवरुद्ध होने पर आपातकालीन वाहन सड़क के किनारे का प्रयोग करते हैं। आपातकालीन वाहन को देखकर अचानक ब्रेक न लगाएँ और न ही अचानक आगे निकलने का प्रयत्न करें, बल्कि शांति और धैर्यपूर्वक पीछे से आ रहे यातायात को देखते हुए अपने वाहन को किनारे पर अथवा आगे ले जाएँ। कभी भी आपातकालीन वाहन का पीछा या उसे ओवरटेक करने की कोशिश न करें।

8.11. दुर्घटना के समय एक चालक का कर्तव्य

पं. परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1989 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के पश्चात मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन किया गया है जिसके तहत वाहन चालक व मालिक दोनों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है कि वे किसी भी औपचारिकता की प्रतीक्षा किये बिना दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को नज़दीकी चिकित्सक

तक लेकर जाएँ तथा चिकित्सक भी औपचारिकताओं के पूरे होने की प्रतीक्षा किए बिना घायल व्यक्ति का इलाज करे।

मोटरयान अधिनियम, 1988 कीधारा 134 के तहत जब सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल होता है या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति क्षतिग्रस्त होती है, तो वाहन का चालक या उसका प्रभारी:

- यदि भीड़ के रोष के कारण अथवा किसी अन्य कारण से जो उसके नियन्त्रण के बाहर हो, ऐसा करना सम्भव न हो, अथवा यदि घायल व्यक्ति या उसका अभिभावक (घायल व्यक्ति के नाबालिग होने की स्थिति में) कुछ अन्यथा न चाहे, घायल व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु सभी उचित कदम उठाएगा व उसे चिकित्सक या अस्पताल तक ले कर जाएगा। हर रजिस्ट्र्ड मैडीकल प्रैक्टिशनर या अस्पताल में ड्यूटी पर उपस्थित चिकित्सक का कर्तव्य होगा कि वे किसी भी औपचारिकता की प्रतीक्षा के बिना दुर्घटना के शिकार व्यक्ति का इलाज करे।
- वहाँ मौजूद किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछने पर आवश्यक जानकारी दे।यदि कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहो तो चिकित्सकीय सहायता न उपलब्ध करवाने संबंधी परिस्थितियों सहित घटना की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन में जितनी जल्दी हो सके,अधिकतम चौबीस घंटे के भीतर दे।
- बीमा कंपनी, जिसने बीमा प्रमाण पत्र जारी किया है, को घटना के बारे में लिखित रूप में निम्नलिखित जानकारी दे:
    - बीमा पॉलिसी नंबर और उसकी वैधता की अवधि
    - दुर्घटना की तिथि, समय और स्थान
    - दुर्घटना में घायल या मारे गए व्यक्तियों का विवरण
    - चालक का नाम और उसके ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण।

9. सामान्य परिभाषाएँ

निम्नलिखित परिभाषाएँ मोटरयान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 से ली गई हैं–

- कृषि ट्रेक्टरः ऐसा यंत्रचालित चौपहिया वाहन जो कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त उपकरणों और /या कृषि सामग्री के परिवहन में प्रयुक्त ट्रेलर के साथ कार्य करने के लिए बनाया गया है। यह एक गैर–परिवहन वाहन है।
- धुरी भारः किसी वाहन की धुरी के संबंध में ऐसा कुल भार जो उस धुरी के साथ लगे कई पहियों द्वारा उस भूतलपर, जिस पर वह वाहन टिका हुआ है, संप्रेषित किया जाएं।

वाहनों की श्रेणियाँः

- श्रेणीL-1: मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 2 की उप धारा27 में परिभाषित ऐसा मोटर साइकिल जिसकी अधिकतम गति 45 कि॰मी॰प्रति घंटाहो और यदि उसमें ताप इंजन लगा है तो अधिकतम इंजन क्षमता 50 सी॰सी॰ से अधिक ना हो।
- श्रेणी L-2: मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 2 की उप धारा27 में परिभाषित ऐसा मोटर साइकिल जिसकी अधिकतम गति 45 कि॰मी॰प्रति घंटासे अधिक हो और यदि उसमें ताप इंजन लगा है तो अधिकतम ईंजन क्षमता 50 सी॰सी॰ से अधिक हो।
- श्रेणी M:इस श्रेणी में वे वाहन आते हैं जो सवारी तथा उनका सामान ढोने के काम में लाये जाते हैं और जिनमें कम से कम चार पहिये होते हैं।
- श्रेणी M-1: सवारियों तथा उनके सामान को ढोने में प्रयुक्त होने वाले ऐसे मोटर वाहन जिनमें चालक की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें न हों।
- श्रेणी M-2: सवारियों तथा उनके सामान को ढोने में प्रयुक्त होने वाले ऐसे मोटर वाहन जिनमें चालक की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें हों और जिनका अधिकतम वाहन भार 5 टन से अधिक न हो।
- श्रेणी M-3: सवारियों तथा उनके सामान को ढोने में प्रयुक्त होने वाले ऐसे मोटर वाहन जिनमें चालक की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें हों और जिनका अधिकतम वाहन भार 5 टन से अधिक हो।
- श्रेणी N:कम से कम चार पहियों वाला ऐसा मोटर वाहन जो मुख्य रूप से सामान की ढुलाई के लिए प्रयोग किया जाता है।
- श्रेणी N-1: सामान ढोने वाला ऐसा मोटर वाहन जिसका कुल वाहन भार 3.5 टन से अधिक नहीं हो।
- श्रेणी N-2: सामान ढोने वाला ऐसा मोटर वाहन जिसका कुल वाहन भार 3.5 टन से अधिक लेकिन 12 टन से कम हो।
- श्रेणीN-3: सामान ढोने वाला ऐसा मोटर वाहन जिसका कुल वाहन भार 12 टन से अधिक हो।

- पंजीकरण प्रमाण पत्रः मोटरयान अधिनियम 1988 के अध्याय 4 के प्रावधानों के अनुसार किसी वाहन के पंजीकृत होने बारे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- अनुबंध गाड़ी :ऐसा मोटर वाहन जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है और जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे वाहन के संबंध में किसी परमिट के धारक या इस उद्देश्य के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के साथ अभिव्यक्त या निहितअनुबंध किया हो जिसके तहत ऐसे वाहन का उपयोगकिसी निश्चित या सहमत दर पर या राशि के लिएपूर्ण रूप से यात्रियों की ढुलाई के लिएकिया जाता है। इसमें मैक्सीकैब और मोटरकैब भी शामिल हैं।
- चालकः किसी मोटर वाहन द्वारा खींचे जा रहे अन्य मोटर वाहन के संबंध में वह व्यक्ति भी शामिल है, जो खींचे जा रहे वाहन के चालक के रूप में कार्य कर रहा है।
- ड्राइविंग लाइसेंस : मोटरयान अधिनियम 1988 के अध्याय 2 के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति को (प्रशिक्षु को छोड़कर) मोटर वाहन या किसी निर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर वाहन चलाने के लिये अधिकृत करने वाला लाइसेंस।
- शैक्षिक संस्थान की बस : ऐसी कोई बस, जो किसी महाविद्यालय, विद्यालय, या अन्य शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्व में है और जिसका उपयोग शिक्षा संस्था के किसी क्रियाकलाप के संबंध में विद्यार्थियों और कर्मचारियों के परिवहन के लिएकिया जाता है।
- माल : जीवित व्यक्तियों के सिवाय वाहन द्वारा ले जाया जाने वाला पशुधन और (वाहन में सामान्यतः प्रयुक्त उपकरणों को छोड़कर) कोई भी वस्तुपरन्तु किसी मोटर का या उससे संलग्न ट्रेलर में ढोया जाने वाला सामान तथा वाहन में यात्रा कर रहे यात्रियों का निजी सामान इसमें शामिल नहीं है।
- माल वाहन : ऐसा मोटर वाहन जो केवल माल ढोने के लिये निर्मित या अनुकूलित है या ऐसा कोई मोटर वाहन जो माल ढोने के लिये निर्मित या अनुकूलित नहीं है परन्तु उसका प्रयोग माल ढोने के लिएकिया जाये।
- कुल वाहन भार : किसी वाहन केसंबंध में वाहन का कुल भार और उस वाहन के लिए पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत भार जो पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित और पंजीकृत हो।
- भारी माल वाहनः ऐसा कोई माल वाहन जिसका सकल वाहन भार; या ऐसा ट्रैक्टर या रोड़ रोलर जिसका लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है।
- भारी यात्री मोटर वाहनः कोई भी ऐसा सार्वजनिक सेवा वाहन या निजी सेवा वाहन या शैक्षिक संस्थान बस या ओमनी बस जिसका सकल वाहन भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है।
- अशक्त यात्री गाड़ी : किसी शारीरिक खराबी या विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिएविशेष रूप से परिकल्पित व निर्मित वाहन जो केवल अनुकूलित नहीं है और जिसका उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके लिए ही किया जाता है।
- प्रशिक्षु लाइसेंस : द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्रशिक्षु के रूप में एक मोटर वाहन या किसी निर्दिष्ट वर्ग या विवरण के मोटर वाहन का प्रशिक्षु चालक अधिकृत करते हुए दिया जाने वाला लाइसेंस।

- लाइसेंसिंग प्राधिकरण : एक प्राधिकारी जो द्वितीय अध्याय के अंतर्गत या कुछ मामलों में तृतीय अध्याय के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं।
- हल्का मोटर वाहन (L.M.V.): ऐसा परिवहन वाहन या ओमनीबस जिसका सकल वाहन भार, ऐसी मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड़ रोलर जिसका लदान रहित भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है।
- बड़ी टैक्सी : ऐसा मोटर वाहन जो भाड़े या पारिश्रमिक पर चालक के सिवायछः से अधिक किन्तु अधिकतम बारह यात्रियों का वहन करने के लिये निर्मित या अनुकूलित है।
- मध्यम माल वाहनः हल्के मोटर वाहन या भारी माल वाहन के अतिरिक्त कोई भी माल वाहन।
- मध्यम यात्री मोटर वाहनः ऐसा कोई सार्वजनिक सेवा वाहन या निजीसेवा वाहन या शिक्षा संस्थान बस जो मोटर साइकिल अशक्त यात्री गाड़ी, हल्का मोटर वाहन या भारी मोटर वाहन से भिन्न हैं।
- मोटर टैक्सी : ऐसा कोई मोटर वाहन जो भाड़े या पारिश्रमिक पर, चालक के सिवायअधिकतम छः यात्रियों के वहन के लिए निर्मित या अनुकूलित हो।
- मोटर कारः परिवहन वाहन, ओमनीबस, रोड़ रोलर, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल या अशक्त यात्री गाड़ी से भिन्न कोई मोटर वाहन।
- मोटर साइकिलः दो पहियों वाला ऐसा मोटर वाहन जिसमें मोटर वाहन से संलग्न एक अतिरिक्त पहिये वाली साइड कार भी सम्मलित हैं।
- मोटर वाहन या वाहनः सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित कोई भी यंत्रचालित वाहन जो किसी बाहरी या आंतरिक स्रोत से प्रणोदन शक्ति प्राप्त करता हो, जिसमें चेसिस (जिससे वाहन का शरीर नहीं जोड़ा गया हो) और ट्रेलर भी शामिल हैं। परंतु इसमें पटरियों पर चलने वाले वाहन या केवल किसी कारखाने अथवा सीमाबद्ध परिसर में प्रयोग किए जाने वाले या किसी भी विशेष प्रकार के उपयोग के लिए अनुकूलित वाहन या कम से कम चार पहियों वाले वाहन जिनमें पच्चीस घन सेंटीमीटर से अधिक की क्षमता का इंजन न लगा हो, शामिल नहीं हैं।
- ट्रैक्टर ट्रेलरः माननीय पजांब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रीतपाल सिंह (1996–2) 113 Punj. L.R. 49 के मामले में निर्णय दिया कि भले ही एक ट्रेलर किसी मोटर वाहन द्वारा खींचा जा रहा हो यह स्वंय एक मोटर वाहन कहलाएगा तथा ट्रैक्टर और ट्रेलर दोनों मिलकर एक परिवहन वाहन कहलायेगें।
- ओमनी बस : कोई भी मोटर वाहन जो चालक को छोड़कर छः से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित हो।
- मालिकः जिस व्यक्ति के नाम कोई मोटर वाहन पंजीकृत है और यदि ऐसा व्यक्ति नाबालिग हो तो उसके संरक्षक, और किसी किराए–खरीद समझौते या पट्टे या समझौते के तहत गिरवीवाहन के संबंध में वह व्यक्ति जिसके कब्ज़े में वह वाहन है।

- सार्वजनिक स्थान : ऐसी सड़क, गली, मार्ग या अन्य स्थान, चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं, जिस पर जनता को पहुँचने का अधिकार प्राप्त हो और कोई जगह या अड्डा जहाँ पर मंजिली गाड़ी द्वारा यात्रियों को चढ़ाया या उतारा जाता है।
- निजी सेवा वाहनः ऐसा मोटर वाहन जो चालक को छोड़कर छः से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित हो और साधारणतया ऐसे वाहन के मालिक द्वारा या उसकी ओर से उसके व्यापार या कारोबार के लिएयात्रियों को भाड़े या पारिश्रमिक से अन्यथा ले जाने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता हो।इसमें सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाला मोटर वाहन शामिल नहीं है।
- लोक सेवा वाहनः ऐसा मोटर वाहन जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित हो। इसमें मैक्सीकैब, मोटरकैब, अनुबंध गाड़ी और मंजिली गाड़ी शामिल हैं।
- पंजीकृत धुरी भारः किसी भी वाहन के धुरी के संबंध में पंजीयन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित और पंजीकृत धुरी भार।
- पंजीयन प्राधिकारीः मोटरयान अधिनियम, 1988 के चतुर्थ अध्याय के तहत मोटर वाहनों के पंजीकरण हेतु सशक्त किया गया प्राधिकारी।
- अर्ध–ट्रेलरः ट्रेलर के सिवाय ऐसा वाहन जो यंत्रचालित नहीं हैतथा किसी मोटर वाहन से इस प्रकार जोड़ने के लिएबनाया गया हो कि उसका एक भाग उस मोटर वाहन से जुड़ता हो व भार का कुछ भाग उस मोटर वाहन द्वारा उठाया जाता हो।
- मंजिली गाड़ी : ऐसा मोटर वाहन जो भाड़े या पारिश्रमिक पर चालक को छोड़कर छः यात्रियों से अधिक को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित हो और जिसमें हर यात्री अलग से पूरी यात्रा का अथवा यात्रा के चरणों का किराया देता हो।
- पर्यटक वाहनः कोई भी अनुबंध कैरिज वाहन जो इसके संबध में निर्धारित विशेषताओं के अनुसार निर्मित या अनुकूलित हो।
- ट्रेक्टरः एक मोटर वाहन है जो प्रणोदन के प्रयोजन से प्रयोग किए जाने वाले उपकरण के अलावास्वयं कोई भार उठाने के लिए निर्मित नहीं होता।लेकिन इसमें रोड़ रोलर शामिल नहीं है।
- यातायात संकेतः ऐसे सभी संकेत, चेतावनी संकेत स्तंभ, दिशा सूचक स्तंभ, सड़क पर लगाए गए निशान अथवा अन्य युक्तियाँ जो मोटर वाहनचालकों की जानकारी, मार्गदर्शन या निर्देशन के लिए हों।
- ट्रेलरः अर्ध–ट्रेलर या साइड कार के अतिरिक्त कोई भी वाहन जो किसी मोटर वाहन द्वारा खींचा जाता हो या खींचे जाने के लिए बना हो।
- परिवहन वाहनः सार्वजनिक सेवा वाहन, माल वाहक वाहन, शैक्षिक संस्थान की बस या निजी सेवा वाहन।
- खाली भार : कार्य के समय वाहन या ट्रेलर के सामान्य प्रयोग के सभी उपकरणों सहित परन्तुचालक या परिचालक के वजन को छोड़करएक वाहन या ट्रेलर का

भार और यदि वाहन में वैकल्पिक भागों या उपकरणों का प्रयोग किया जाता हो, तो ऐसे सबसे भारी वैकल्पिक भाग या उपकरण सहित वाहन या ट्रेलर का भार।

- भार : जिन पहियों पर वाहन टिका हुआ है, उन द्वारा कुछ समय के लिए सतह पर संप्रेषित किया जाने वाला कुल भार।

संदर्भ

1. मोटरयान अधिनियम, 1988
2. केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989
3. सड़क विनियमन नियम, 1989
4- चंडीगढ़ यातायात पुलिस की वेबसाइट (www.chandigarhtrafficpolice.org)
5. दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट (www.delhitrafficpolice.nic.in)
6- भारतीय सड़क कांग्रेस, नई दिल्ली
7- सड़क यातायात शिक्षा संस्थान(www.irte.com)
8- ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (www.idtrmaruti.com)
9. 'Get There – Your Guide to Travel Safety', The Auto Club and Minnesota Safety Council
10. मिनेसोटा, संयुक्त राज्य अमेरीका, चालक मैनुअल
11. कैंटुकी, संयुक्त राज्य अमेरीका, चालक मैनुअल
12. न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरीका, चालक मैनुअल
13. डॉ0 अधीराज जोगलेकर का ब्लॉग व विडियो (http://driving-india.blogspot.in/)

Haryana
PolicePoliceHeadquar
ters,Sector-
6,Panchkula,Haryana,I
NDIA

Phone: 0172-2570070,Fax: 0172-2567267
Email:
police@hry.nic.inhttp://www.haryanapolice.gov.in